Thursday, 11 May, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Parliament ... 18-8-92

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 42, गुरुवार, 11 मई, 1972/21 वैशाख, 1894 (शक)

No. 42, Thursday, May 11, 1972/Vaisakha 21, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण/MEMBER SWORN		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—17
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
781. हनोई/सैगोन से अभ्यावेदन	Representation from Hanoi/Saigon	1—4
782. बोकारो इस्पात कारखाने में लगा धन	Investment in Bokaro Steel Plant ...	4—6
783. बंगला देश के राहत और पुनर्वास मंत्री का दौरा	Visit by Bangladesh Minister for Relief and Rehabilitation ...	6—7
784. समुद्र सम्बन्धी कानून के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference on the Law of the Sea ...	8—9
785. इस्पात के सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों का प्रबन्ध में शामिल किया जाना	Association of Labour in Public Undertakings is Steel ...	9—11
786. गुजरात में बिजली की कमी के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक	Workers Unemployed due to Power Shortage in Gujarat ...	11—13
787. मिस्र के साथ सम्बन्ध	Relations with Egypt	13—15
790. एशिया के लिये सुरक्षा संधि	Security Pact for Asia	15—16
791. दंडकारण्य में कृषक शरणार्थियों के लिये भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना	Reclamation of Land for Agricultural Refugees in Dandakaranya ...	16—17

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		17—62

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

788. खेतड़ी तांबा परियोजना के बारे में प्रतिवेदन	Report on Khetri Copper Project	17—18
789. उड़ीसा में खानों से लौह अयस्क के परिवहन में कठिनाई	Crisis in Transport of Iron Ore from Mines in Orissa ...	18
792. तमिलनाडु में इस्पात ढलाई संयंत्र की स्थापना	Setting up of Steel Casting Plant in Tamil Nadu ...	18
793. राजस्थान में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Steel Plant in Rajasthan ...	18—19
794. दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के बारे में प्रतिवेदन	Report on Durgapur and Rourkela Steel Plants ...	19
795. गोआ में श्रमिक शिक्षा केन्द्र का बन्द होना	Closure of Labour Education Centre, Goa ...	19
796. कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of coal after Nationalisation of Coking Coal Mines ...	19—20
797. औद्योगिक सम्बन्धों को कार्मिक संघों पर छोड़ना	Leaving of Industrial Relations to Trade Unions ...	20
798. कच्छ में प्रवेश करने वाले शरणार्थी	Refugees influx in Kutch ...	20—21
799. बोनस संदाय अधिनियम की धारा 26 पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Decision on Sections 26 of the Payment of Bonus Act ...	21
800. दिल्ली में इमारतें बनाने वाले श्रमिकों की हड़ताल	Strike by Building Workers in Delhi	21

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5767. खान और खनिज पदार्थ (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन	Amendment in Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 ...	21

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5768. मैसर्स दस्तूर को० द्वारा सलेम इस्पात कारखाने का परियोजना प्रतिवेदन	Project Report of Salem Steel Plant by M/s Dasturco ...	22
5769. राउरकेला सम्पदा विभाग की सशस्त्र पुलिस द्वारा राउरकेला में दुकानों और आवास शैडों का गिराया जाना	Destruction of Shops and Residential Sheds in Rourkela by Armed Police Force of Rourkela Estate Department ...	22—23
5770. राज्यों की इस्पात के वितरण में चोर-बाजारी	Blackmarketing in Distribution of Steel to States ...	23
5771. कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in Coal Price	23—25
5772 अलीगढ़ के नावल्टी टाकीज, रूबी थियेटर के कर्मचारियों के 'कर्मचारी भविष्य निधि' के बारे में दावे	EPF. Claims of Employees of Novelty Talkies, Ruby Theatre, Aligarh ...	25
5773. भारत और बंगला देश के बीच कलाकारों का आदान प्रदान	Exchange of Artists between India and Bangladesh ...	25—26
5774. भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा बेची गई कतरने	Scrappings sold out by Bhilai Steel Plant	26
5775. श्रीलंका से सूक्ष्म तरंग प्रणाली का जोड़ना	Linking of Micro Wave System with Caylon ...	26
5776. नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी	Daily wages of Casual Labourers ...	26
5777. इन्डोचीन में अमरीका द्वारा नौसैनिक शक्ति का जमाव	Naval Build up of USA in Indo-China ...	27
5778. बंगला देश से आये विस्थापितों पर राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय	Expenditure incurred by State Government for Bangladesh Evacuees ...	27
5779. भूटान को सहायता	Assistance to Bhutan ...	27—28
5780. बिहार में नियोक्ताओं के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत आपराधिक मामले	Criminal Cases under EPF Act, 1952 against Employers in Bihar ...	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5781. भैरवा से लुम्बिनी तक सड़क बनाये जाने के लिये नेपाल की सहायता	Help to Nepal in Building Road Linking Bhairwa with Lumbini ...	28—29
5782. भारत की क्षेत्रीय जल सीमा का बढ़ाया जाना	Enhancement of Indian Territorial waters Limit ...	29
5783. भारत नेपाल सीमा पर भुटवाल नेपालगंज सड़क के निर्माण कार्य का स्थगित किया जाना	Deferment of Construction of Butwal Nepalganj Road on India Nepal Border	29
5784. भारत और भूटान के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Bhutan ...	29
5785. कच्चे जस्ते का आयात	Import of Raw Zinc	30
5786. श्रीलंका में तमिलभाषी लोग	Tamilians in Ceylon	30
5787. राजस्थान में जस्ता पिघलाने के संयंत्र की क्षमता	Capacity of Zinc Smelter Plant in Rajasthan	30—31
5788. थेरुवाली, जिला कोरापुट, उड़ीसा में फैरो सिलिकान संयंत्र का विस्तार	Expansion of Ferro silicon Plant at Therubali, District Koraput, Orissa ...	31
5789. संसद सदस्यों तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षद द्वारा पूसा और सब्जीमंडी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण	Inspection of Pusa and Subzimandi Industrial Training Centre by M. Ps. and Executive Councillor of Delhi ...	31—32
5790. मलयेशिया तथा इन्डोनेशिया द्वारा नये सुरक्षा प्रबन्धों पर हस्ताक्षर	Signing of Security arrangements by Malaysia and Indonesia. ...	32
5791. बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Expert Committee on unemployment ...	32
5792. राज्यों में रजिस्टर्ड बेरोजगार	Registered unemployed in States ...	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

5793. नीति नियोजन समिति के चेयरमैन का विदेशों का दौरा	Foreign tours of the Chairman of Policy Planning Committee ...	33
5794. भारत बंगला देश सीमा पर तस्करी	Smuggling on Indo-Bangladesh Border ...	34
5795. छोटी धमन भट्टियों तथा स्मेलटरों की स्थापना के लिए छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Small Enterpreneurs for Setting up small furnaces and smelters ...	34—35
5796. बंगला देश का दौरा कर रहे भारतीय नागरिक	Indian Nationals visiting Bangla Desh ...	35
5797. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Scheduled Castes and Scheduled Tribes unemployed ...	35
5798. नेपाल को सहायता	Aid to Nepal	35—36
5799. ईरान में भूकम्प	Earthquakes in Iran	36
5800. हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की भोपाल मिस्त्री संघर्ष समिति की मांगें	Demands of Bhopal Artisans Sanghars Samiti of HEC Ranchi ...	36
5801. खेतड़ी तांबा प्लांट के लिए माइनिंग स्टोप	Mining Stopes for Khetri Copper Project...	37
5802. गंगानगर में निष्क्रान्त कृषि भूमि का आवंटन	Allotment of evacuee agricultural land in Ganganagar ...	37—38
5803. प्रशिक्षण प्राप्त, बुक बाइंडरों को रोजगार	Employment to trained book binders ...	38
5804. लो शैफ्ट भट्टी कच्चा लोहा संयंत्र के नट कोयले की सप्लाई	Supply of nut coke to low shaft furance pig iron plant ...	38
5806. कतार के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic relations with Qatar	39
5807. संयुक्त राष्ट्र महासभा में चांद के बारे में हुई संधि का प्रारूप	Draft Moon Treaty in UN General Assembly ...	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5808 श्रमिक शिक्षा केन्द्रों में ललित कलाओं की शिक्षा	Education in Fine Arts in Labour Education Centres ...	40
5809. चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में श्रमिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	Opening of Labour Education Centres during Fourth Plan Period ...	40
5810. सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए वित्तीय सहायता की राज्यों को प्रतिपूर्ति	Reimbursement to States of Financial Assistance to People of Border Areas ...	40—41
5811. मैसर्स तिवारी बीहर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड जमशेदपुर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का विलम्ब से जमा करना	Delay in depositing RPF by M/s Tewary Beehar and Co. (P) Ltd. Jamshedpur ...	41
5812 पंजाब और दिल्ली के लघु उद्योगों को वायर राड्स की सप्लाई	Supply of Wire Rods to Small Scale Units in Punjab and Delhi ...	41—42
5813. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और भारत में स्थित विदेशी मिशनों द्वारा भारतीय कारों का प्रयोग	Use of Indian made cars by Indian Missions abroad and Foreign Missions in India ...	42
5814. गुजरात और महाराष्ट्र को स्टेनलेस स्टील का आवंटन	Distribution of Stainless Steel to Gujarat and Maharashtra ...	42—43
5815. पुनर्वास विभाग द्वारा पोटेरु बांध का निर्माण	Construction of Potteru Dam by Department of Rehabilitation ...	43
5816. पुनर्वास विभाग में प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Deputation in Rehabilitation Department ...	43
5817. एशियाई शान्ति योजना	Asian Peace Plan	44
5818. मध्य प्रदेश को दी गई लौह अयस्क की रायल्टी	Royalty for Iron Ore paid to Madhya Pradesh ...	44
5821. बर्मा से आए शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from Burma ...	44—46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5822. माना और दण्डकारण्य शिविरों में फालतू कर्मचारी	Surplus Employees of Mana and Dandakaranya Camps ...	46
5823. पुनर्वास विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Proceeding against two officers of Department of Rehabilitation ...	46—47
5824. पुनर्वास विभाग के कुछ राजपत्रित अधिकारियों से स्पष्टीकरण	Explanation of some Gazetted Officers in department of Rehabilitation ...	47
5825. भवन निर्माण कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Construction Workers ...	47
5826. युनाइटेड सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आरगेनाइजेशन को अतिरिक्त अधिकार	Additional Powers for United Central Trade Union Organisation ...	47—48
5827. समाजवादी देशों के साथ शांति संधि	Peace Treaties with Socialist countries ...	48
5828. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के मुख्यालय को स्थानान्तरित करना	Shifting of Head Office of Hindustan Copper Ltd. ...	48—49
5829. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने की प्रणाली	Pattern of work in Regional Offices of Employees Provident Fund Organisation ...	49
5830. विदेशी सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में इस्पात के कारखाने की स्थापना	Setting up of Steel Plant in Madhya Pradesh in Collaboration with Foreign Government ...	49
5831. मध्य प्रदेश में लोहे तथा इस्पात की कमी	Shortage of Iron and Steel in Madhya Pradesh ...	49—50
5832. मध्य प्रदेश में खनिजों का उत्पादन	Production of Minerals in Madhya Pradesh ...	50
5833. मध्य प्रदेश में सीसा प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना	Setting up of Lead Smelter Plant in Madhya Pradesh ...	50
5834. बंगला देश के शरणार्थियों के लिये वस्तुओं की खरीद	Purchase of Supplies for Bangladesh Refugees ...	50—51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5835. क्रय संगठन	Purchase Organisations	51—52
5836. थाईलैण्ड की यात्रा के समय भारत के राष्ट्रपति के साथ गये भारतीय प्रेस संवाददाताओं के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of Indian Press Correspondents accompanying the President of India to Thailand ...	52—53
5837. बिहार में अभ्रक के कारखानों में तालाबन्दी	Lock out in Mica Factories in Bihar	53
5838. मध्य प्रदेश में विमान द्वारा सर्वेक्षण करना	Conducting of Aerial Survey in Madhya Pradesh ...	53
5839. बोकारो स्टील लिमिटेड को गैर सरकारी पट्टाधारियों द्वारा चूना पत्थर की सप्लाई	Supply of Limestone by Private Leases to Bokaro Steel Ltd. ...	53—54
5840. बोकारो स्टील लिमिटेड को पालामऊ जिले में चूना पत्थर के लिये खनन पट्टा	Mining Lease for Limestone by Bokaro Steel Ltd. on Palamau District ...	54
5841. उद्योग समूहों के निदेशकों और अधिकारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Directors and Officers of Industrial Groups ...	54
5842. लद्दाख में तिब्बत के शरणार्थियों के पुनर्वास की असन्तोषजनक व्यवस्था	Unsatisfactory arrangements for Rehabilitation of Tibetan Refugees in Ladakh ...	54—55
5843. जमालपुर रेलवे वर्कशाप में कर्मचारी भविष्य निधि	EPF in Jamalpur Railway Workshop ...	55
5844. मुंगेर में जेल कम्पाउन्ड में स्थित गन फैक्टरियों में लागू कर्मचारी भविष्य निधि योजना	Gun Factories in Jail Compound in Monghyr covered under EPF Scheme ...	55—56
5845. बिहार में चीनी मिलों का बन्द हो जाना	Closure of Sugar Mills in Bihar	56
5846. बोकारो इस्पात कारखाने के लिये भारी इंजीनियरी निगम के उपकरण	HEC equipments for Bokaro Steel Plant...	56—57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5847. भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण संगठन	Construction Organisation of Bhilai Steel Plant ...	57
5849. विदेशों को दी गई सहायता	Assistance given to Foreign countries	57—58
5850. दिल्ली में कोयले का मूल्य	Price of Coal in Delhi	58
5851. कागज की खरीद और उसका वितरण करने के लिये केन्द्रीयकृत एजेंसी	Centralised Agency for procurement and Distribution of Paper ...	58—59
5853. रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनों में से कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती	Employees Provident Fund Deductions from Rubber Board Employees ...	59
5854. केरल के कपड़ा मिलों में परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme in Textile Mills in Kerala ...	59
5855. केरल के पहाड़ों में खनिजों का सर्वेक्षण	Survey of Minerals in Mountains of Kerala	59—60
5856. केरल में काजू नारियल जटा तथा हथकरघा उद्योगों में मजदूर संघ	Unions in Cashew, Coir and Handloom Industries in Kerala ...	60
5857. केरल के उद्योगों में बोनस सम्बन्धी फार्मूला लागू करना	Application of Bonus Formula in Industries in Kerala ...	60
5858. आंध्र प्रदेश अभ्रक मजदूर संघ, गुडूर से ज्ञापन	Memorandum from Andhra Pradesh Mica Labour Union, Gudur ...	61
5859. ई० पी० डी० पी० कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में विवादग्रस्त प्लाटों के बदले में प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots in EPDP Colony Kalkaji New Delhi in lieu of Disputed Plots ...	61
5860. अभ्रक उद्योग में श्रमिकों की छटनी तथा खान मालिकों द्वारा मशीनों का अन्यत्र ले जाया जाना	Retrenchment in Mica Industry and Shifting of Machines by Mine Owners ...	61—62
अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance ...	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम को भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई बन्द किये जाने की चेतावनी के बारे में कथित समाचार	Reported warning by Bhakra Management Board to discontinue power supply to DESU ...	62—65
विशेषाधिकार का प्रश्न/QUESTION OF PRIVILEGE		65
'दि फाइनेंशियल एक्सप्रैस,' बम्बई के सम्पादक से स्पष्टीकरण	Explanation from Editor of the Financial Express, Bombay ...	65—66
ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Call Attention Notice (Query)	66—67
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	67
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	67
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	Ministry of Health and Family Planning...	67
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	67—69
श्री देवेन्द्र सिंह	Shri Davendra Singh	69
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	69
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda	70
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	70—71
श्री देवेन्द्र नाथ महता	Shri Devendra Nath Mahata	71—72
श्री धर्मराव अफजलपुरकार	Shri Dharamrao Afzalpurkar	72—73
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	Shri Ziaur Rahman Ansari	73—74
श्री अरविन्द नेताम	Shri Arvind Netam	74
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	74—73
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	Ministry of Tourism and Civil Aviation ...	78
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	79—81
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	81—82
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur ...	82
श्री चन्द्र शेखर सिंह	Shri Chandra Shekher Singh	82—83
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey ...	83
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	83—97
श्री वेकारिया	Shri Vekaria	97
श्री महा दीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shakya	98
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	98—99
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Rana Bahadur Singh	99
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi ...	100—103
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango ...	103
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dhandavate ...	103—104
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari ...	104—105
श्री ब्रज राज सिंह कोटा	Shri Brij Raj Singh Kotah	105
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli ...	105—106
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	106
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena ...	107
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh ...	107—113
विदेश व्यापार मंत्रालय	Ministry of Foreign Trade	114
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra ...	114—126
श्री एम० सुदर्शनम्	Shri M. Sudarsanam ...	126—127

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 11 मई, 1972/21 वैशाख, 1894 (शक)
Thursday, May 11, 1972/Vaisakha 21, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री संगलियाना (मिज़ोराम)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हनोई/सैगोन से अभ्यावेदन

+
*781 **श्री राजदेव सिंह :**
श्री निहार लास्कर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सहअध्यक्ष के नाते भारी बमबारी और आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में हनोई अथवा सैगोन से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार दोनों भागों में स्थिति पर नजर रखे हुए है और इसका स्वयं मूल्यांकन कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार को हनोई और सैगोन, दोनों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने वियतनाम की वर्तमान स्थिति के बारे में अपने-अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और समय-समय पर अपनी ओर से जायजा ले रही है।

श्री राजदेव सिंह : इस प्रश्न की सूचना भेजते समय की स्थिति और वर्तमान स्थिति में काफी अन्तर है। इस समय पूरे वियतनाम में युद्ध की ज्वाला भड़की हुई है। क्या वर्तमान स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग वहां कोई भूमिका निभा सकता है और क्या दक्षिण वियतनाम ने इस आयोग को वहां कार्य करने के लिए कोई सुविधा अब प्रदान की है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा कि सभा को विदित है, यह आयोग 1954 में बनाया गया था और इसका कार्य वहां शान्ति बनाये रखना और 1954 की संधि का पालन कराना था। अब, जबकि वहां युद्ध चल रहा है, यह आयोग कोई प्रभावी भूमिका वहां नहीं निभा सकता।

श्री राजदेव सिंह : वर्तमान युद्ध में मेरे विचार से दक्षिण विएतनाम का अस्तित्व एक सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब इसे कोई कार्य वहां नहीं करना है तो इस आयोग को बनाए क्यों रखा गया है ?

विदेश मंत्री श्री स्वर्णसिंह : सभी पक्ष इसे बनाये रखना चाहते हैं इसलिए हम भी ऐसा ही चाहते हैं।

श्री निहार लास्कर : राष्ट्रपति निक्सन के नए कदम की निन्दा करने के अलावा, जिससे विश्वव्यापी संघर्ष छिड़ने की आशंका है, भारत सरकार इस मामले में क्या ठोस कार्यवाही करने जा रही है ? एशिया का एक प्रमुख राष्ट्र होने के कारण, मेरे विचार में हम चुप नहीं बैठ सकते और न ही इस समस्या की उपेक्षा कर सकते हैं, तो भारत इस संकट में बातचीत द्वारा समाधान के लिए विश्वमत तैयार करने के लिए पहल क्यों नहीं कर रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : वास्तव में संसद द्वारा चिन्ता प्रकट करना और हमारी ओर से वक्तव्य दिया जाना ही विश्वमत तैयार करने में अवश्य ही सहायक होगा। हमें स्थिति की वास्तविकता को देखना है। इस संकट से संबंधित पक्ष भी बहुत ध्यानपूर्वक कदम उठा रहे हैं। इस समस्या के पहलू बहुत गम्भीर हैं और हमें जल्दी में कोई ठोस रवैया नहीं अपनाना है जब तक कि सही स्थिति के बारे में पता नहीं चल जाता। स्थिति बहुत गंभीर है।

श्री समर मुकर्जी : क्या भारत सरकार ने नवीनतम स्थिति पर सोवियत संघ से विचार-विमर्श किया है, यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इसके परिणाम के बारे में बताएंगे ?

श्री स्वर्णसिंह : उनसे विचार-विमर्श का कोई प्रश्न नहीं है, हां, विचारों का आदान-प्रदान होता रहा है।

Shri A. B. Vajpayee : The function of I.C.C. is to keep peace. Now when war is on there, has its role been extended or curtailed ?

Secondly, Is U.K., as Chairman, having consultations with USSR regarding any

proposed action by the countries which attended the Geneva Conference and has any foreign Government contacted India, also in this connection ?

श्री स्वर्णसिंह : यह कहना कठिन है कि इस आयोग की भूमिका युद्ध के कारण बढ़ी है या घटी है। यह भूमिका जेनेवा संधि में प्रत्याशित भूमिका से भिन्न है। जैसा कि मेरे साथी बता चुके हैं, उस समय मूल प्रश्न शांति बनाये रखने का था, परन्तु जब युद्ध छिड़ गया है तो इस स्थिति में इस आयोग की भूमिका का आधार नहीं रहा है। भविष्य में इसको कोई और भूमिका सौंपी जानी है या वर्तमान स्थिति में सुधार होने पर इसे वही भूमिका निभानी है—यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

दूसरे प्रश्न के बारे में, लगता है कि दोनों अध्यक्ष, ब्रिटेन और रूस, एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं, परन्तु जेनेवा सम्मेलन को पुनः बुलाने की सम्भावना के बारे में मैं अधिक आशावान नहीं हूं।

Shri Bibhuti Mishra : In the Prime Minister's statement, it has been called upon to mobilise Asian opinion on the Vietnam issue and to strengthen the feeling that none could suppress any poor nation in Asia. I would, therefore, like to know as to what action is being taken or proposed to he taken by our Government in this context ?

Shri Swarn Singh : All appropriate actions would be taken.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय के कल के वक्तव्य की सराहना करता हूं। भारत को एक पक्ष तो लेना ही था जो ले लिया गया है और अब जबकि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के लिए वहां कोई काम नहीं रह गया है तो क्या सैगोन की कठपुतली सरकार को मान्यता रद्द करने और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ताकि यह आयोग भी अपना कार्य कर सके और वियतनाम के पक्ष में विश्वमत भी तैयार किया जा सके।

श्री स्वर्णसिंह : मेरे विचार में प्रश्न के दूसरे भाग के लिए चुना गया आधार ठीक नहीं है। हमने कोई पक्ष नहीं लिया है। हमने स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करके अपनी बात स्पष्ट कह दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सैगोन सरकार की मान्यता रद्द करने के बारे में क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से क्या संबंध है ?

श्री राम सहाय पांडे : As Chairman of International Control Commission, comparatively greater responsibility devolves on India for peace. So in the light of latest development, may I know what alternative or solution is proposed for restoring peace in Vietnam ultimately and for that what action is proposed to he taken ?

श्री स्वर्णसिंह : अध्यक्ष के नाते हमें इस आयोग के उत्तरदायित्वों के अनुसार कार्य करना होता है जबकि सरकारी स्तर पर और एशिया का एक देश होने के नाते हम वहां शान्ति पुनः

स्थापित किए जाने के लिए बहुत इच्छुक हैं और इसी कारण हमने और प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात इतनी स्पष्ट करके कही है। अब हमें इस मामले पर अन्य देशों से विचार विमर्श करके आवश्यक जनमत तैयार करना है।

श्री समर गुह : वियतनाम की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए और श्री निक्सन की कार्यवाही से विश्व-युद्ध के खतरे को देखते हुए क्या सरकार ने भारत के अध्यक्ष होने के नाते, इस आयोग के अन्य सदस्य देशों से एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में बातचीत करने में पहल की है, ताकि स्थिति का मुकाबला किया जा सके जो कि किसी भी समय अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध का रूप ले सकती है ?

श्री स्वर्णसिंह : अध्यक्ष, भारत, के अलावा इस आयोग के सदस्य पोलैंड और कनाडा हैं। सभी प्रतिनिधि एक ही स्थान पर हैं और एक-दूसरे से हर अवसर पर विचार-विमर्श करते रहते हैं।

एशियाई देशों या अन्य देशों का कोई सम्मेलन बुलाने के लिए पहल करना इस आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है जबकि हमने सरकारी स्तर पर ऐसा किया है। जेनेवा संधि के अनुसार इस आयोग को यह अधिकार नहीं है··· **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री समर गुह : परन्तु सरकार तो पहल कर सकती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं भी एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय।

Investment in Bokaro Steel Plant

*782. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the capital invested in the Bokaro Steel Plant since its inception to date ;

(b) the amount of interest paid by Government so far on the foreign capital invested therein; and

(c) the estimated additional amount of foreign capital to be invested therein ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) सरकार ने अप्रैल, 1972 के अन्त तक बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में 600 करोड़ रुपए ईक्विटी पूंजी तथा 67.66 करोड़ रुपये ऋण के रूप में लगाए हैं। (ख) और (ग) बोकारो स्पात कारखाने में कोई विदेशी पूंजी निवेश नहीं हुआ है। सोवियत रूस की सरकार ने 17 लाख टन पिण्ड क्षमता के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 20 करोड़ रूबल (166.6 करोड़ रुपये के बराबर) तथा द्वितीय चरण में इसकी क्षमता को 40 लाख टन पिण्ड करने के लिए 8.50 करोड़ रूबल (70.8 करोड़ रुपए के बराबर) के ऋण दिए हैं। मार्च, 1972 के अन्त तक भारत सरकार ने सोवियत ऋणों पर 9.1340 करोड़ रुपये ब्याज दिया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not been properly replied to. I had asked about the addition foreign investment likely to be made therein and the hon. Minister

has not given any reply thereto. Now I also want to know as to what amount was originally expected to he invested therein and what is its revised estimate now. If the revised estimate is more then the original estimate, the reasons therefor ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : प्रश्न में बोकारो इस्पात कारखाने में पूंजी निवेश के बारे में पूछा गया था, जिसके उत्तर में बताया गया कि इस कारखाने में अब तक 600 करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी के रूप में लगाए जा चुके हैं। क्योंकि संयंत्र के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए धन विभिन्न चरणों में थोड़ा-थोड़ा करके दिया गया। सदस्य महोदय यदि चरण-वार और वर्षवार ब्यौरा चाहते हैं, तो वह है : 1964-65 में 4.80 करोड़; 1965-66 में 15 करोड़; 1966-67 में 18.19 करोड़ आदि-आदि। 1971-72 तक कुल मिलाकर यह 600 करोड़ रुपये हो जाता है। मेरे पास इस समय अन्य ब्यौरा नहीं है। जहां तक वृद्धि का संबंध है, यह 80 करोड़ रुपये तक की हुई है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Perhaps, the hon. Minister has not heard my question properly.

अध्यक्ष महोदय : वह जानता चाहते हैं कि इसमें कितनी विदेशी मुद्रा दरकार होगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इसका उत्तर दिया जा चुका है। हमने स्पष्ट बता दिया है कि इसमें किसी विदेशी पूंजी निवेश का कोई प्रश्न नहीं है। (**व्यवधान**) मैं पुनः कहता हूं विदेशी पूंजी निवेश बिल्कुल नहीं हुआ है।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated that we have so far paid Rs. 9.134 crore as interest on Soviet credit. I now want to know the period in which this loan has to be repaid and the total amount of interest to be paid by us to USSR. When its construction shall be completed and when it will go into production and what would be its production capacity ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : वह सोवियत संघ द्वारा दिए गए ऋण और उसके उपयोग के बारे पूछ रहे हैं, तो मार्च, 1972 के अन्त तक 20 करोड़ रूबल के ऋण में से 155.207 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। सोवियत संघ और हमारी सरकार के बीच हुए करार के अनुसार ब्याज और कुछ मूल राशि लौटाई भी जा चुकी है, जो 27.3998 करोड़ रुपये है।

Shri Hukam Chand Kachwai : When will it go into production and has the production reached up to its full rated capacity ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : हमें आशा है कि बोकारो इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्ठी इस वर्ष जून से चालू हो जाएगी, अर्थात् कच्चे लोहे का उत्पादन जुलाई में आरम्भ हो जाएगा। जहां तक 17 लाख टन की परियोजना का सम्बन्ध है, यह अगले वर्ष के मध्य तक चालू हो जायेगी। उत्पादन मार्च, 1974 तक 25 लाख तक का हो जाएगा, जो 1975-76 तक 40 लाख टन तक का हो जाएगा। केवल 5 टन की 'टेंडम' मिल रह जाएगी, जो हमारे कार्यक्रम के अनुसार 1978 में चालू हो जाएगी।

श्री जी० विश्वनाथन् : पुनरीक्षित प्राक्कलनों में 80 करोड़ रुपये की वृद्धि के संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या लागत घटाने के लिए दस्तूर एण्ड कम्पनी से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया और न ही इसे क्रियान्वित किया गया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : दस्तूर एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हमने लागत-वृद्धि के बारे में अपने प्राक्कलन तैयार किए हैं। माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि यह वृद्धि मुख्यतः कम्पनियों या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से सप्लाई किए जाने वाले माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है। भारी इंजीनियरिंग निगम को 45.23 करोड़, इंस्ट्रुमेंटेशन, कोटा को 6.21 करोड़, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स को 4.46 करोड़ अधिक देने पड़े। इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण 10.34 करोड़ की वृद्धि हुई। मजूरी पंचाट और सरकारी कार्यवाही के कारण मजूरी में 9.17 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। ये कुल मिलाकर लगभग 80 करोड़ रुपये बनते हैं।

श्री जी विश्वनाथन् : मेरा प्रश्न था कि क्या दस्तूर एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी और क्रियान्वित की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही बहुत समय लग चुका है। अन्य प्रश्न भी आने हैं।

बंगला देश के राहत और पुनर्वास मंत्री का दौरा

+
*783. **श्री राम कंवर** :
श्री वी० वी० नायक :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के राहत और पुनर्वास मंत्री हाल ही में नई दिल्ली आए थे तथा बंगला देश के शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्याओं पर भारत सरकार से वार्ता की थी;

(ख) बंगला देश के मंत्री के साथ किन विषयों पर वार्ता हुई थी;

(ग) क्या बंगला देश की सरकार ने पुनर्वास कार्यक्रम में सहायता करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : वार्ता के अन्तर्गत, बंगला देश सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने बेघर हुए लोगों के राहत तथा पुनर्वास के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये की राहत सामग्री, जिसकी अनुमति भारत सरकार द्वारा पहले ही दी जा चुकी है, के अतिरिक्त और सहायता देने का अनुरोध किया था। भारत सरकार ने बंगला देश को उपहार के रूप में अतिरिक्त जीपें, गाड़ियों के फालतू पुर्जे, जी० आई०, पाइप, हैंडपम्प, दालें, दियासलाइयां और वस्त्र देने की सहमति दी है।

भारत सरकार ने बंगला देश सरकार द्वारा चाही गई कुछ अन्य वस्तुओं, जैसे—आश्रय स्थान बनाने की सामग्री, दवाइयां आदि के उपलब्ध होने के बारे में छान-बीन करने के लिए भी सहमत हो गई है।

Shri Ram Kanwar : As reported in the Press recently, refugees who had gone back to Bangla Desh have started pouring in again as essential commodities like food-stuffs, kerosene oil etc. are in short supply. So, may I know whether it is a fact and what is Grovement's reaction thereto and whether Government are providing food, shelter, etc. to them as before ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी जहां तक शरणार्थियों के लौट आने का सम्बन्ध है मुश्किल से कुछ सौ ही आए थे जिन्हें वापस भेज दिया गया है। वहां वस्तुओं के मूल्यों के बारे में जो समाचार छपे हैं, उनके सत्यापन का मेरे पास कोई साधन नहीं है।

Shri Ram Kanwar : Despite doing so much for Bangla Desh, much anti-India propaganda is going on there. May I know whether the hon. Minister has taken up this matter with his counterpart in Bangla Desh ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह बात भी समाचारों पर आधारित है अतः मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या वास्तव में वहां ऐसा हो रहा है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है बंगला देश सरकार शरणार्थियों को वहां बसाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

श्री बी वी० नायक : क्या शरणार्थियों को सहायता सीमा पार करने से पूर्व यहां दी जाती है या सीमा पार करने के बाद ? और क्या दूसरी अवस्था में यह राष्ट्रीय सहायता मानी जाएगी या अन्तर्राष्ट्रीय सहायता ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सहायता उन्हें बसाने के बंगला देश सरकार के प्रयत्नों में सहायता करने के लिए की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सहायता भारत सरकार की ओर से दान या ऋण के रूप में दी जाती है।

श्री त्रिदिब चौधरी : क्या सरकार ने बंगला देश के पुनर्वास मंत्री से यह पता किया है कि वहां गए लाखों शरणार्थियों में से अब तक वास्तव में कितने शरणार्थियों को पुनः बसा दिया गया है ? यह ठीक है कि उनकी सरकार को इस मामले में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी विभिन्न कारणों से हम इस मामले में अनभिज्ञ नहीं रह सकते।

श्री आर० के० खाडिलकर : वहां समस्या इन एक करोड़ शरणार्थियों को बसाने की नहीं है, अपितु दो करोड़ और भी वहां पर ऐसे हैं जिन्हें बसाया जाना है। मेरे विचार में अभी तक मुश्किल से कुछ सौ व्यक्ति ही बसाए गए होंगे।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : इन चर्चाओं में क्या बंगला देश सरकार ने बेलूर के रामकृष्ण मिशन को वहां आने देने और शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता करने तथा वहां आदर्श गांव बसाने का भी प्रस्ताव किया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

समुद्र सम्बन्धी कानून के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

+
*784. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मलाका जलडमरूमध्य विवाद के बारे में समुद्र के कानून पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने अपने जहाजों को इस समुद्र में चलाने के लिए भारत के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इस मामले में स्पष्ट स्थिति अपनाने में भारत कुछ सकुचा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो यह सकुचाहट किस प्रकार की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसम्बर 1970 को पारित प्रस्ताव संख्या 2750 (25) में यह निर्णय लिया था कि 1973 में सागर विधि पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। प्रस्तावित सागर विधि सम्मेलन अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य के मत पर सामान्य सिद्धान्त तय करने की दृष्टि से विचार-विमर्श करेगा। वह सम्मेलन संभवतः मलाका जलडमरूमध्य जैसे किसी विशेष जलडमरूमध्य के दर्जे पर विचार नहीं करेगा। भारत सरकार प्रस्तावित सम्मेलन के लिए तैयारी कार्य में संयुक्त राष्ट्र समुद्र-तल समिति के कार्य में भाग ले रही है और अन्तर्राष्ट्रीय सागर विधि सम्मेलन में भाग लेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि अमरीका जैसे बहुत से देश अपने क्षेत्रीय जल पर नियंत्रण चाहते हैं, यदि हां, तो क्या इससे मलाका की खाड़ी पर नियंत्रण की समस्या नहीं उठ खड़ी होगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह प्रश्न क्षेत्रीय जल की सीमा बढ़ाने और उस पर अपना नियंत्रण रखने से सम्बद्ध है जो बहुत से देशों द्वारा किया जा रहा है। यह भी ठीक है कि यदि सभी देश ऐसा करेंगे तो बहुत सी खाड़ियां उनकी समुद्री सीमा में आ जाएंगी। इस प्रश्न पर भी इस सम्मेलन में विचार किया जाएगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या इस मांग को देखते हुए, सोवियत संघ, जापान, इण्डोनेशिया और मलयेशिया के बीच मलाका की खाड़ी पर नियंत्रण के लिए विवाद नहीं है और यदि हां तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है परन्तु इस मामले पर विभिन्न

देशों के विचार भिन्न-भिन्न हैं। इन सभी मामलों को निपटाने के लिए ही यह सम्मेलन बुलाया गया है। इसी में इन समस्याओं पर विचार किया जाएगा।

Shri Bhagirath Bhanwar : What points have been raised by India for discussion in the said Conference ? Have proposals been drawn up for the purpose ?

Shri Surendrapal Singh : All these matters are being thoroughly examined here and if a Conference is held, we shall raise all such problems and discuss them thereat.

श्री जो विश्वनाथन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम इस खाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय जल के रूप में बनाए रखना चाहते हैं और यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि इन्डानेशिया और मलयेशिया दोनों अपनी समुद्री सीमा बढ़ाने वाले हैं, हम क्या दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह बहुत ही तकनीकी और उलझा हुआ वैधानिक मामला है जिसके लिए गहन अध्ययन और परीक्षण की आवश्यकता है। हमारे लिए इस समय अपने विचार बताना उचित नहीं होगा। इस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसका परीक्षण किया जा रहा है। सम्मेलन में यदि यह मामला उठाया गया, तो हम अपने विचार वहां व्यक्त करेंगे।

इस्पात के सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों का प्रबन्ध में शामिल किया जाना

*785. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के सरकारी उपक्रमों में उत्पादन के प्रत्येक चरण पर श्रमिकों को शामिल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : भिलाई इस्पात कारखाने में एक द्विपक्षीय केन्द्रीय उत्पादन समिति तथा इसके बड़े-बड़े विभागों में द्विपक्षीय विभागीय उत्पादन समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां सामग्री, कर्मचारियों तथा मशीनों के इष्टतम उपयोग से सम्बन्धित मामलों सहित उत्पादन तथा उत्पादिता की वृद्धि से संबंधित मामलों के पहलुओं पर विचार करती हैं। केन्द्रीय उत्पादन समिति इस समय यूनियन की आन्तरिक कठिनाइयों के कारण सक्रिय नहीं है।

राउरकेला इस्पात कारखाने में, परिचालन परिणामों तथा वर्तमान और लम्बी अवधि की उत्पादन संबंधी विभागीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अभी हाल ही में एक द्विपक्षीय केन्द्रीय उत्पादन समिति तथा द्विपक्षीय विभागीय उत्पादन समिति का गठन किया गया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अभी तक इस प्रकार की समितियों का गठन सम्भव नहीं हो सका है।

मिश्र इस्पात कारखाने में, उत्पादन सहित विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए कर्मशाला स्तर की द्विपक्षीय समितियों का गठन किया गया है।

श्री एस० एन० मिश्र : भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में सभी स्तरों पर किस रूप में श्रमिकों के प्रबन्ध में शामिल किये जाने की आशा है और राउरकेला, दुर्गापुर संयंत्रों तथा अलोय इस्पात संयंत्र के संबंध में उनको किस रूप में शामिल किये जाने की आशा है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : वर्ष 1962 के औद्योगिक संधि संकल्प के अनुसरण में, भिलाई इस्पात संयंत्र में एक द्विपक्षीय केन्द्रीय उत्पादन समिति गठित की गई थी। यह आशा की गई थी कि यह समिति विभागीय समितियों की एक शिखर-समिति के रूप में कार्य करेगी।

परन्तु दुर्भाग्य से, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में ही पारस्परिक आन्तरिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण यह समिति उतना अच्छा कार्य नहीं कर सकी जितना कि उसे करना चाहिये था। विभागीय समितियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि समितियों के कार्यों में पूरी रुचि से कार्य करते रहे हैं और अनेक बार उत्पादन के बारे में उनके द्वारा उठाये गये मामले बड़े उपयोगी रहे हैं।

जहां तक राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रश्न है, गत 16 अक्तूबर, को एक द्विपक्षीय केन्द्रीय उत्पादन समिति तथा अन्य कुछ विभागीय उत्पादन समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों का उद्घाटन 27 नवम्बर को हुआ और उन्होंने विशेष रूप से कोयला-भट्टी संयंत्रों, ब्लास्ट भट्टी, स्टील मेल्टिंग शॉप, फ़ाऊंड्री तथा उर्वरक संयंत्र में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि अन्य विभागों में भी विभागीय समितियाँ गठित की जायें।

दुर्गापुर के संबंध में यद्यपि प्रबन्धकों ने मान्यता प्राप्त संघों से नवम्बर, 1970 में कहा था कि वे संयुक्त उत्पादन समिति सहित कुछ समितियों के लिये अपने प्रतिनिधि मनोनीत करें, परन्तु संघ ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। तथापि हम उत्पादन के बारे में मान्यता प्राप्त तथा गैर-मान्यता प्राप्त संघों से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या पदोन्नतियों तथा रोजगार के संबंध में भी श्रमिकों को शामिल किये जाने की कोई संभावना है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इन उत्पादन समितियों के कार्य क्षेत्र से कुछ परे नहीं है। वहां भी कई बार पदोन्नतियों संबंधी मामले उठाये जाते हैं। परन्तु मोटे तौर से ऐसे मामलों पर मान्यता प्राप्त संघों और कभी-कभी गैर-मान्यता प्राप्त संघों तथा प्रबन्धकों के बीच विचार-विमर्श होता है। तथापि ऐसे मामलों में निर्णय प्रबन्धकों द्वारा ही किया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण से स्पष्ट है कि भिलाई में द्विपक्षीय केन्द्रीय उत्पादन विभागीय समितियां गठित की गई हैं तथा इसी प्रकार की समितियां राउरकेला में भी बनी हैं। मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी संघों के मध्य प्रतिद्वन्द्विता होने के कारण दुर्गापुर में ऐसा नहीं हो सका। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार तथा विशेष कर उनके मंत्रालय द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में भी इस प्रकार श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य को भी मालूम है कि सरकार ने इस्पात उद्योग की संयुक्त विचार-विमर्श समिति से प्रतिनिधित्व प्राप्त संघों के समक्ष यह प्रस्ताव किया था। परन्तु

दुर्भाग्य से ये प्रतिनिधि प्रबन्ध में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने संबंधी किसी प्रक्रिया की सिफ़ारिश नहीं कर सके हैं। कर्मचारियों ने प्रस्ताव का स्वागत तो किया और फरवरी 1972 में आयोजित हुई समिति की बैठक में यह विचार व्यक्त किया कि जब तक वर्क शॉप के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तब तक प्रबन्ध में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने का अभिप्राय वस्तुतः पूरा नहीं होता। मैंने स्वयं 15 मार्च को समिति के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श किया और उनके मत से सहमत होते हुए यह अनुरोध किया कि वे राउरकेला में किये गये उपायों की रौशनी में इस संबंध में फिर विचार करें और ऐसे प्रस्ताव रखें जिन्हें हम भी क्रियान्वित कर सकें।

श्री वसन्त साठे : संघों के भीतर प्रतिद्वन्द्विता तथा मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को देखते हुए, क्या उनका विभाग सभी स्तरों पर स्वयं कर्मचारियों द्वारा चुनाव के आधार पर प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व देने के बारे में विचार कर रहा है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : हम नहीं समझते कि संघों के सहयोग तथा समर्थन के बिना इस प्रक्रिया को अपनाने से कर्मचारियों या इस संयंत्र के हितों को कोई लाभ होगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच नहीं है कि उत्पादन के संबंध में गंभीर बाधाएं संघों की भीतरी प्रतिद्वन्द्विता के कारण नहीं बल्कि इस्पात संयंत्रों में उच्च अधिकारियों के कार्य करने के गलत ढंग के कारण उत्पन्न होती हैं ?

इस संबंध में क्या मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित निम्न स्तरीय समितियां कोई सांविधिक निकाय होंगी या कि ऐसे साधारण निकाय होंगी जो केवल बैठकें तो करेंगे परन्तु उनकी सिफ़ारिशों को उच्च प्रबंधक स्वीकार नहीं करेंगे ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है। दूसरे भाग के संबंध में, प्रबंधकों तथा विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के बीच किये गये निर्णयों को प्रबन्ध द्वारा उचित महत्व दिया जायेगा और उनको क्रियान्वित किया जायेगा यद्यपि उच्च स्तर पर परस्पर सहमति न होने पर उस पर आगे विचार किया जा सकेगा।

गुजरात में बिजली की कमी के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

+
*786. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बिजली की कमी के कारण बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) कुल कितने कामगर बेरोजगार हुए हैं;

(ग) क्या कार्मिक संघ के एसोशियेशनों ने केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है तथा यह सुझाव दिया है कि कुछ मशीनों को बन्द करने तथा इस प्रकार कुछ श्रमिकों को बेरोजगार बनाने की बजाय मिल मालिकों से कार्य के घंटे घटाने का अनुरोध किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो बिजली की कमी के कारण बड़े पैमाने पर उत्पन्न बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दिए जाने का विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, अहमदाबाद के अलावा अन्य क्षेत्र में 18 मार्च, 1972 से, और अहमदाबाद शहर के क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हुए 13 अप्रैल, 1972 से श्रमिकों को जबरी छुट्टी पर भेजा गया है। हर रोज प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या विभिन्न है। श्रमिकों को दी गई जबरी छुट्टी के कारण क्षति हुए श्रम-दिनों की संख्या 77967 बनती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मंत्री महोदय ने बताया है कि हर रोज प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या भिन्न-भिन्न है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिजली की सप्लाई न होने के कारण अहमदाबाद नगर सहित बेरोजगार हुए श्रमिकों की औसत संख्या कितनी है और इन श्रमिकों को कितनी मजदूरी की हानि उठानी पड़ी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं कर्मचारियों की दिन प्रति दिन की संख्या बता सकता हूं, परन्तु कर्मचारियों की औसत संख्या से सही स्थिति का पता नहीं लगेगा क्योंकि बिजली की खराबी का अनुमान प्रति घण्टे अलग-अलग है। यदि आप उत्सुक हैं तो मैं यह बता सकता हूं कि प्रतिदिन कितने श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया किंतु यह सूची बहुत लम्बी है। 13-4-1972 को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने वाले श्रमिकों की संख्या 1142 थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय यह सूचना माननीय सदस्य के घर भेज दें।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : श्रमिकों को कितनी मजूरी की हानि उठानी पड़ी।

श्री आर० के० खाडिलकर : इसके लिए आप अलग से नोटिस दें क्योंकि यह सूचना मुझे एकत्रित करनी पड़ेगी।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या बिजली और कोयले की सप्लाई न होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों की मजूरी की हानि की शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : टैक्सटाइल लेबर एसोसियेशन ने मिल ओनर्स एसोसियेशन को ऐसा अभ्यावेदन दिया था। उसको अस्वीकार कर दिया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक आधी मजूरी के हकदार हैं जो उन्हें मिलेगी। अब प्रश्न यह है कि क्या इसे औद्योगिक विवाद के रूप में उठाया जा सकता है और इसे न्याय निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। इस मामले की जांच-पड़ताल करनी पड़ेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister, in reply to the question has stated that more than 77000 man-days have been lost. In reply to another question he has stated that half of the wages will be given to the workers. This amount of half of the wages should have been given to them immediately but the same have not been given to them so far. When

will the half of the wages be given to the workers? What machinery is being devised so that workers may not be put to loss in future? Whenever the workers are not needed they are laid off. I want to know from the hon. Minister the action being taken to implement this rule in the went of shortage of power?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें मजूरी मिल गई है अथवा नहीं। किन्तु मेरा अनुमान है कि केवल 10 प्रतिशत श्रमिकों को छोड़कर जैसा कि मुझे बताया गया है शेष सब श्रमिक काम पर लग गये हैं। इसलिए उन्हें मजूरी मिल गई होगी। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, चूंकि इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बिजली कब खराब हो जायेगी और कितने समय तक खराब रहेगी, इसलिए श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर भेजने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होता।

मिस्र के साथ सम्बन्ध

+
*787. **श्री के० मालन्ना** :
श्री पी० वेंकट सुब्बया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र से अपने सम्बन्धों को सुधारने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) मिस्र से हमारे निकट और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हैं। दोनों सरकारों का एक दूसरे के साथ बराबर सम्पर्क बना हुआ है और विभिन्न स्तरों पर समान हित के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर —जिनके सम्बन्ध में हमारे एक विचार हैं, विचार-विमर्श होता रहता है।

हम अपना वाणिज्य और आर्थिक आदान-प्रदान और भी बढ़ाना चाहते हैं। पिछले साल 80 करोड़ रुपयों से अधिक का हमारा व्यवसाय हुआ। भारतीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने और तकनीकी प्रशिक्षण देने का हमने एक समझौता किया हुआ है और इन कार्यों की प्रगति सन्तोषप्रद है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अगले वर्ष के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने का हमारा विचार है।

इस प्रकार मिश्र के साथ हमारे समग्र सम्बन्धों के परिणाम अच्छे ही हैं और दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए भविष्य में और अधिक विकास की सम्भावना है।

श्री के० मालन्ना : हाल के युद्ध के बाद भारत तथा मिस्र के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे हैं। मिस्र को अरब देशों में एक प्रगतिशील देश माना जाता है। क्या दोनों देशों के बीच किसी सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा तकनीकी शिष्टमंडल का आदान प्रदान हुआ या क्या दोनों देशों के मध्य पुनः अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से मंत्रालय स्तर पर परस्पर कोई निमंत्रण पत्रों का आदान-प्रदान हुआ ?

श्री स्वर्ण सिंह : वर्ष 1971 में हम अन्य अधिक महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे और गत वर्ष हम किसी सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में नहीं सोच सके। परन्तु मैंने स्वयं मिस्र के विदेश मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया था। मैं उनसे काहिरा में मिला था और उनके उप-प्रधान मंत्री से भी न्यूयार्क में मिला था। अत: हमने उनके साथ सम्पर्क बनाये रखा है।

Shri Jharkhande Rai : Will the hon. Minister state whether the relations between India and Egypt received a set back as a result of the attitude of Arab world in connection with the liberation movement in Bangla Desh ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि हमें अरब देशों के चुप्पी भरे रवैये से बड़ी निराशा हुई थी। परन्तु हमें फिर भी भूत को भुलाकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the attention of our hon. Foreign Minister has been drawn to the statement made by the Chairman of the Policy Planning Committee, Mr. Dar in Cairo, that we wanted to improve relations with Egypt and it is evident from the fact that in the 1972 elections those parties were defeated which wanted to improve our relations with Israel; if so, does he like that some of our spokermen should make the country's domestic policy a subject of Press propaganda in foreign countries.

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमन् मैंने वह वक्तव्य नहीं देखा है जिसे कि माननीय सदस्य कहते हैं कि वह श्री डी० पी० धर ने दिया था। परन्तु सभी राजनीतिक दलों को यह संहिता अपनानी चाहिए कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमें अपनी आन्तरिक राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। वे नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष हैं। क्या यह संहिता सरकारी वक्ताओं और सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होगी ?

श्री पीलू मोदी : "राजनीतिक दलों" से उनका क्या तात्पर्य है।

Mr. Speaker : I request you, please to keep silence.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, Reply to my question has not been given, as to what is the meaning of 'Political party.'

श्री पीलू मोदी : जब प्रश्न श्री डी० पी० धर के बारे में है, तो मंत्री महोदय राजनीतिक दलों की बात करते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने श्री डी० पी० धर का वक्तव्य नहीं देखा है। इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

श्री पीलू मोदी : तो राजनीतिक दलों के बारे में क्यों कहा जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में कही गई थी जिसे सम्भवत: उन्होंने सुना नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह कथन केवल राजनीतिक दलों पर ही लागू होता है अथवा सरकारी अधिकारियों पर भी ?

श्री स्वर्ण सिंह : वस्तुतः सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे देश के भीतर अथवा विदेशों में आन्तरिक राजनीति के सम्बन्ध में चर्चा करें।

श्री जी० विश्वनाथन : भारत-पाक युद्ध और बंगला देश के अस्तित्व में आने के पश्चात् मिस्र के साथ हमारे सम्बन्ध एकपक्षीय से प्रतीत होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अरब देशों में मिस्र हमारा अभिन्न मित्र है और यदि यह सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण चलते रहे हैं तो ऐसा क्या कारण है कि अभी तक किसी एक भी अरब देश ने बंगला देश को मान्यता नहीं दी है ? क्या भारत ने बंगला देश को मान्यता देने के बारे में मिस्र से अनुरोध किया है; यदि हां, तो इस बारे में मिस्र की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रथम बात तो यह है कि हमारे सम्बन्ध एकपक्षीय नहीं हैं। मैं बता चुका हूं कि सम्बन्ध द्विपक्षीय हैं और मिस्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 80 करोड़ रुपये का है। जहां तक बंगला देश को मान्यता देने का सम्बन्ध है, यह बात सच है कि अरब देश कुछ कारणवश, जो स्पष्ट हैं, पाकिस्तान के प्रभाव में हैं और इसलिए उन्होंने यथार्थता को मान्यता नहीं दी है। ऐसा हमारा मूल्यांकन है। फिर भी कुछ ही समय की बात है। उन्हें यथार्थता को मान्यता देनी ही पड़ेगी।

एशिया के लिए सुरक्षा संधि

+
*790. **श्री नारायण चन्द पाराशर** :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल 1972 के 'स्टेट्समैन' में 'नो सिक्योरिटी पैक्ट विदाउट चाइना' शीर्षक के अन्तर्गत जापान के विदेश मंत्री श्री ताकेओ फुकुदा के वक्तव्य के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की किसी व्यवस्था में चीन के भागीदार होने का भारत सरकार स्वागत करेगी।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार, जिसका मैंने उल्लेख किया है, पहले रूस ने इस संधि का प्रस्ताव किया था और जापान के प्रधान मंत्री श्री साटो के अनुसार जापान इस सन्धि के पक्ष में था। किन्तु अमरीका के राष्ट्रपति श्री निक्सन की यात्रा के फलस्वरूप कुछ ही महीनों में जापान की सरकार का रुख बदल गया है। इसका उल्लेख जापान के विदेश मंत्री ने किया था। क्या विदेश मंत्री को जापान के प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य के बारे में पता है कि रूस के सुझाव से जापान पहले इस एशियाई सन्धि के लिए सहमत हो गया था और बाद में उसके विचारों में परिवर्तन आ गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बारे में कोई उपयुक्त जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि सब देशों के

विदेश कार्यालयों में मूल्यांकन किए जाते हैं और उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखना बहुत कठिन है कि जापान के विदेश कार्यालय में क्या हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जापान के विदेश मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं भारत सरकार के विचार जानना चाहता हूं। मैं विशेषकर यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का भी यही मत है कि चीन के शामिल हुए बिना सुरक्षा सन्धि नहीं हो सकती और क्या सरकार ने चीन के बिना सुरक्षा सन्धि करने के सम्बन्ध में कभी विचार किया है। इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर मैंने मुख्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दे दिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह उत्तर तो गोलमोल है। उसमें तो केवल इतना ही कहा गया है कि वह चीन को शामिल करना चाहेंगे। किन्तु जो प्रश्न मैंने पूछा है, वह यह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में दे दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उन्होंने केवल यही कहा है कि वह चाहते हैं कि इस सुरक्षा संधि में चीन भी शामिल हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार भी जापान के विदेश मंत्री की तरह चाहती है कि चीन के शामिल हुए बिना सुरक्षा सन्धि नहीं हो सकती ? यही विशेष प्रश्न है। यदि हां, तो सरकार ने चीन को शामिल किए बिना सुरक्षा सन्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चीन के शामिल होने का मैं स्वागत करूंगा।

दण्डकारण्य में कृषक शरणार्थियों के लिए भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना

*791. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य में कृषक शरणार्थियों के लिए कुछ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है ;

(ख) क्या अन्य क्षेत्रों में 13 हज़ार शरणार्थी परिवारों के लिए कुछ अन्य भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोई योजना थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) दण्डकारण्य में अब तक 1,35,887 एकड़ भूमि को कृषि के योग्य बनाया जा चुका है। इसमें जन-जाति के 25% के कोटे के रूप में राज्य सरकारों को लौटाई गई 26,693 एकड़ भूमि और सामूहिक सुख-सुविधाओं, ग्राम स्थलों, मार्गों आदि के लिए प्रयुक्त की गई भूमि भी शामिल है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रणबहादुर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी बंगाल की अनुसूचित जातियों के एक समुदाय 'नामशूद्र' के व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष

प्राथमिकता देने की व्यवस्था करने वाले हमारे कानूनों के अनुसार उनका पुनर्वास करने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमें इसकी जानकारी नहीं है । मेरे विचार से वहां रहने वाले प्रत्येक शरणार्थी को समान सुविधाएं दी जाती हैं ।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि···

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह सुझाव है ।

श्री रणबहादुर सिंह : मैंने अभी अपना सुझाव पूरा नहीं किया है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि क्या सरकार 'नामशूद्रों' को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में सम्मिलित करने के बारे में विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है । वहां कोई भेदभाव नहीं है ।

Shri Arvind Netam : The hon. Minister has stated that funds have been allocated for 25 per cent local tribals. I want to know whether it has been ascertained that 25 per cent amount allocated for the tribals in Dandakaranya in Baster District has been utilised.

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमारी यह नीति है कि जब कभी हम भूमि के किसी भाग को कृषि योग्य बनाते हैं तो उसमें से 25 प्रतिशत भूमि, वहां के स्थानीय आदिवासियों को लाभ पहुंचाने हेतु उसका उपयोग करने के लिए राज्य सरकार को दे देते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Report on Khetri Copper Project

*788. **Shri S. N. Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Progress Report on Khetri Copper Project has been received and if so, the progress achieved so far in this project and whether the Report would be placed on the Table of the House ;

(b) whether the holes and service shafts that already existed were widened and their total width was shown in the Progress Report, whereas the quantum of actual work done was not that much shown in the Progress Report ;

(c) whether alterations and modifications have been done only in the existing mines but that work has been shown in the Progress Report ; and

(d) the quantum of material shown in the Progress Report and the quantum of material that actually existed till the 31st March, 1972 ?

The Minister of Steel & Mines (Shri S. Mohan Kumarmangalam) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library. See No. L. T. 2005/72**]

उड़ीसा में खानों से लौह अयस्क के परिवहन में कठिनाई

*789. **श्री बक्शी नायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खानों से लौह अयस्क के परिवहन में गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य द्वारा यह तथ्य सरकार के ध्यान में लाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, उड़ीसा में बाड़ाजम्दा-बसपानी सेक्टर से लौह अयस्क के सचलन में कमी रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रेलवे बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी है कि बाड़ाजम्दा-बंसपानी सेक्टर से लौह अयस्क के संचलन के लिए वैगन आपूर्ति स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

तमिलनाडु में इस्पात ढलाई संयंत्र की स्थापना

*792. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री वी० मयावन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के उत्तर अर्काट जिले में अरकोनम में एक इस्पात ढलाई संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च आएगा; और

(ग) उक्त संयंत्र कब तक उत्पादन कार्य आरम्भ कर देगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम ने आर्कोनम में एक इस्पात ढलाई कारखाना स्थापित किया है जिसे 14-4-1972 को चालू किया गया है। प्रायोजना की कुल पूंजीगत लागत 755.6 लाख रुपये बताई गई है।

Setting up of Steel Plant in Rajasthan

*793. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether some more steel plants would be set up in the country during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, whether Government propose to set up a steel plant in Rajasthan ?

The Minister of Steel and Mines (Shri S. Mohan Kumaramangalam) : (a) and (b). Preparatory work on the Fifth Plan programme for Steel development has been taken in hand. A Working Group has been constituted to examine the question of expansion of the capacity of existing integrated steel plants as also suitable sites, on techno-economic considerations, for location of new steel plants. These studies are expected to be completed by the end of this year.

दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के बारे में प्रतिवेदन

*794. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के प्रबन्धकों ने संयंत्रों को हुई भारी हानियों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं। तथापि वर्तमान संकेतों के अनुसार दुर्गापुर इस्पात कारखाने को लगभग 28 करोड़ रुपये की हानि होगी (इसमें विद्युत कर की 3 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान भी शामिल है जो वर्ष 1970-71 के हिसाब-किताब के खर्च में डाला जाना चाहिए था) और राउरकेला इस्पात कारखाने को लगभग 6.7 करोड़ रुपये की हानि होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Closure of Labour Education Centre, Goa

*795. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a Labour Education Centre was functioning in Goa during 1966-67 which had been closed down in 1968 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The Regional Centre of Workers' Education at Goa was closed down with effect from 31-12-1967, because the level of activity there did not justify its continuation beyond that date.

कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य में वृद्धि

*796. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) अक्तूबर, 1971 में सरकार द्वारा कोककर कोयला खानों के प्रबन्ध को ग्रहण करने के उपरान्त इस्पात संयंत्रों को दिए गए कोककर कोयले की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि 24-7-67 को कोयले की कीमतों से नियंत्रण हटाने के परिणामस्वरूप अब यह पूर्णतया क्रेताओं और विक्रेताओं पर निर्भर करता है कि वह आपस में कीमतों का निर्धारण करें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक संबंधों को कार्मिक संघों पर छोड़ना

*797. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द मजदूर सभा के प्रधान ने औद्योगिक संबंधों को कार्मिक संघों पर छोड़ने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) हाल ही में हिन्द मजदूर सभा के प्रधान सचिव ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि तीसरे पक्ष की न्याय-निर्णय की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर सामूहिक सौदाकारी की प्रणाली होनी चाहिए।

(ख) इस और अन्य सम्बन्धित मामलों पर सरकार विचार कर रही है।

Refugee Influx to Kutch

*798. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Ramsahai Pandey :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the 'Hindustan Times' dated the Ist April, 1972, under the heading 'More refugees cross over to Kutch' ;

(b) if so, whether they have crossed to Kutch from Pakistan due to atrocities committed on them in Pakistan ; and

(c) whether Government propose to make arrangement for providing food, shelter and other amenities to them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) They are reported to have crossed over due to conditions of insecurity in Pakistan.

(c) Yes, Sir. The Government of Gujarat has already been authorised to incur expenditure for giving relief in camps to the needy, which covers free rations, clothing and

a little cash for purchasing day-to-day necessities. Re-imbursement of such expenditure will be made by the Central Government.

बोनस संदाय अधिनियम की धारा 26 पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*799. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में बोनस संदाय अधिनियम की धारा 26 को पक्षपात-पूर्ण कहकर रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों को भी अब इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं। तथापि, सूचना मिली है कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 32 (भ) को रद्द कर दिया है।

(ख) मामले की जांच हेतु निर्णय की एक प्रतिलिपि मंगवाई गई है।

दिल्ली में इमारतें बनाने वाले श्रमिकों की हड़ताल

*800. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इमारतें बनाने वाले 3,50,000 श्रमिकों ने 4.50 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दिए जाने तथा अन्य मांगों के पूरा किए जाने के लिए सरकारी अधिसूचना लागू करने की मांग करते हुए 21 अप्रैल, 1972 को अनिश्चित काल के लिए हड़ताल आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उन मांगों पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इमारतें बनाने वाले कई श्रमिक 21-4-1972 को हड़ताल पर चले गए।

(ख) उनकी मुख्य मांग न्यूनतम मजदूरी-दर को 3.50 रुपये से संशोधित करके 4.50 रुपये प्रतिदिन करने की है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी-दरों को संशोधित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

खान और खनिज पदार्थ (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन

5767. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार द्वारा खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में संशोधन के लिये किया गया अनुरोध काफी समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अन्य राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधन परीक्षणाधीन हैं।

(ख) मैसूर सरकार के प्रस्ताव मुख्यत: स्वामित्व और नियत भाटक से सम्बन्धित हैं।

मैसर्स दस्तूर क० द्वारा सेलम इस्पात कारखाने का परियोजना-प्रतिवेदन

5768. **श्री वयालार रवि : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र के लिए मैसर्स दस्तूर क० द्वारा तैयार किए गए परियोजना-प्रतिवेदन को दोषपूर्ण पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह प्रतिवेदन तैयार करने के लिए इस कम्पनी को कुल कितनी राशि दी गई है तथा दोषपूर्ण प्रतिवेदन के कारण हुई हानि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। फिर भी सेलम इस्पात प्रायोजना पर उनके शक्यता प्रतिवेदन की जांच करते समय उनसे कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने पड़े थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेलम इस्पात प्रायोजना का शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को फीस के रूप में 3 लाख रुपये दिये गए थे। मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी से इस राशि की वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला सम्पदा विभाग की सशस्त्र पुलिस द्वारा राउरकेला में दुकानों और आवास शैडों का गिराया जाना

5769. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात कारखाने के राउरकेला सम्पदा विभाग की सशस्त्र पुलिस ने विसराचौक में राउरकेला-1 (उड़ीसा) में 17 अप्रैल, 1972 को अस्थायी दुकानों और आवास शैडों को गिराकर उनमें आग लगा दी जिससे लाखों रुपयों की हानि हुई तथा सैंकड़ों लोग बेघर हो गये; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। राउरकेला इस्पात कारखाने के सम्पदा विभाग के पास कोई सशस्त्र पुलिस नहीं है।

एक बैठक में, जिसमें जिला प्राधिकारी भी उपस्थित थे, लिये गये निर्णय के अनुसार राउरकेला इस्पात कारखाने के नगर प्रशासक विभाग ने 17-4-72 को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों और दण्डाधिकारी वर्ग की सहायता से अनधिकृत कब्जों को समाप्त करने के लिए एक सफाई अभियान शुरू किया था। अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोग अपना सामान लेकर स्वयं ही चले गये और हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। जिस भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया था उसे बाद में समतल कर दिया गया। केवल एक मामले में एक खोमचे वाले ने, जिसने अस्थायी तौर

पर एक भोजनालय खोल रखा था, पुलिस और दण्डनायक को अपनी तरफ आते देख कर फूस की छत को स्वयं ही आग लगा दी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों की इस्पात के वितरण में चोरबाजारी

5770. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में इस्पात के वितरण में बड़े पैमाने पर चोरबाजारी चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) वास्तविक उपयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं को आवंटित इस्पात का माल खुले बाजार में बेचे जाने के बारे में सरकार को कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) देश के विभिन्न भागों में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं, जिनका एक काम, इस्पात के दुरुपयोग को रोकना भी है। लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में भी संशोधन किया गया है। जिसमें जिस काम के लिए इस्पात का आवेदन अथवा आवंटन किया गया हो उससे भिन्न किसी काम के लिए इसका उपयोग नियंत्रण आदेश का अतिक्रमण माना जाएगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा। ऐसी शिकायतों की जांच करने में उपयुक्त मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भी सहायता ली जा रही है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

5771. **श्री अवधेशचन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 के पश्चात् कोयले के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है;

(ख) प्रत्येक ग्रेड के कोयले के मूल्यों में हुई वृद्धि के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या ग्रेड ए०, बी०, सी० और डी० के कोकिंग कोयले तथा कोकिंग कोयले से इतर विशिष्ट ग्रेड की क़िस्मों के कोयले के मूल्यों में एफ०, जी०, एच०, एस० और एन०-1 ग्रेड के कोयले के मूल्यों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है ; और

(घ) मूल्यों में उपरोक्त वृद्धि होने देने के क्या आधार हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) 24-7-67 से कोयले की कीमतों से नियंत्रण हटाने के परिणामस्वरूप अब यह पूर्णतया क्रेताओं और विक्रेताओं पर निर्भर करता है कि वह आपस में कीमतों का निर्धारण करें। तथापि, रेलवे को कोयले की आपूर्तियों के लिए, 1969-70 से कीमतों की निम्नलिखित वृद्धि को सहमति दी गई है :—

(I) **1-10-69** से अकोककर कोयले की समस्त श्रेणियों के लिए 70 पैसे प्रति टन

(II) **1-1-71** से

	रु० प्रति टन
तालचेर से चयित श्रेणी	4.33

तालचेर से श्रेणी I	3.96	
मध्य प्रदेश और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से चयित श्रेणी	0.16	
(III) **1-1-72 से**		
बंगाल-बिहार क्षेत्र		
चयित श्रेणी 'क'	2.01 रु०	0.25 रु० प्रति टन की अतिरिक्त कीमत संदेय है यदि 1972 के अंतिम चरण में कोयला लदान को संतोषजनक नहीं पाया जाता है।
चयित श्रेणी 'ख'	1.92 रु०	
श्रेणी I	1.73 रु०	
श्रेणी II	1.46 रु०	
2. **सिगरैनी कोयला क्षेत्र**		
अश्रेणीकृत	1.71 रु० प्रति टन	
3. **तालचेर**		
श्रेणी I	0.37 रु०	

हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के अधीन इस्पात संयंत्रों ने कोककर कोयला के प्रमुख आपूर्ति कर्ताओं के साथ 1-1-1970 से 3 वर्ष का करार किया है जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित वृद्धियां होंगी :—

श्रेणी	3 वर्षीय करार से पूर्व कीमत	3 वर्षीय करार के पश्चात् कीमत	वृद्धि
क	39.562	45.00	5.44
ख	38.578	42.09	3.51
ग	37.602	42.09	5.49
घ	36.118	39.87	3.75
ङ	35.624	39.87	4.25
च	34.888	38.48	3.59
छ	34.394	38.48	4.09
ज	34.160	38.48	4.32
जज (20% से 22% राख)	32.228	37.35	5.12
जज (22% से 24% राख)	32.228	36.23	4.00

(ग) और (घ) यह पाया जाएगा कि कोककर कोयले की श्रेणी क, ख, ग, घ के बारे में हिन्दुस्तान इस्पात को दी जाने वाली आपूर्तियों के बाबत सहमत की गई कीमत वृद्धि श्रेणी च, छ, ज की तुलना में अनुपाततः अधिक नहीं है। इस वृद्धि को आपूर्ति की किस्म से सहसम्बन्धित कीमत और आपूर्ति-कर्ताओं के साथ दीर्घावधिक करारों द्वारा आपूर्तियों में सततता और संगतता बनी रहेगी।

अलीगढ़ के नावल्टी टाकीज, रूबी थियेटर के कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में दावे

5772. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ के नावल्टी टाकीज और रूबी थियेटर के उन कर्मचारियों/प्रबंधकों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने सेवा निवृत्त होने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर, उत्तर प्रदेश से अपनी भविष्य निधि की मांग की;

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि दे दी गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संख्या यू० पी० /998/37 और यू० पी० /999/ रूबी थियेटर और नावल्टी टाकीज वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि के भुगतान में असाधारण देरी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य निधि जमा करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि दिए जाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उन्हें कब तक भुगतान किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) नावल्टी टाकीज और रूबी थियेटर, अलीगढ़ के जो कर्मचारी और प्रबन्धक सेवा से निवृत्त हो गए और जिन्होंने प्रतिष्ठानों के अधिनियम की परिधि में आ जाने के समय से क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर से अपनी भविष्य निधि की राशि का दावा किया, उनके नाम और उनकी संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई दावे लम्बित नहीं हैं।

(ग) श्री डी० आर० शर्मा के अंशदानों की राशि उसके पिछले लेखा संख्या यू०पी०/999/1 में से उसके बाद के लेखा संख्या यू०पी०/998/37 में स्थानान्तरित करने के बाद उसके भविष्य निधि दावे को भुगतान हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और बंगलादेश के बीच कलाकारों का आदान-प्रदान

5773. **श्री समर गुह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत और बंगला देश के बीच विशेषकर पश्चिम बंगाल और बंगला देश के बीच रेडियो कलाकारों के आदान-प्रदान के बारे में कोई करार हुआ है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : एक व्यापक सांस्कृतिक संधि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व विचार-विमर्श हो रहा है जिसके अंतर्गत कलाकारों का एक-दूसरे के यहां आना-जाना भी होगा।

Scrappings sold out Bhilai Steel Plant

5774. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that out of scrappings sold out from the Bhilai Steel Plant, the Durg Police has seized Ferro Sillicon and Ferro Manganese worth about two lakhs of rupees from the yard of M/s Steel Trading Company of Kursipar near Bhilai Town ; and

(b) if so, the names of the persons involved in this case and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b). Government are aware that on 31-3-72 the Police seized about 200 tonnes of Ferro Manganese and Ferro Sillicon costing about Rs. 2 lakhs, from the godown of M/s Steel Trading Company.

The matter is under investigation by the Police.

श्रीलंका से सूक्ष्म तरंग प्रणाली का जोड़ना

5775. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार श्रीलंका को सूक्ष्म तरंग प्रणाली से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार श्रीलंका के साथ सूक्ष्म तरंग सम्पर्क स्थापित करना चाहेगी।

(ख) श्रीलंका सरकार, अपनी योजना तथा निवेश प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर, इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है।

Daily Wages of Casual Labourers

5776. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state whether Government propose to increase the daily wages of casual labour keeping in view the rising prices ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The question of revising the daily wage of casual labour employed in Central Government Offices in Delhi, is under consideration.

इन्डोचीन में अमरीका द्वारा नौसैनिक शक्ति का जमाव

5777. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अपने सातवें बेड़े की शक्ति को बढ़ा दिया है और दुगुना कर दिया है जो कि इन्डोचीन के युद्ध में अब तक किये गये नौसैनिक शक्ति के जमाव में सबसे अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में इन्डोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के चेयरमैन के रूप में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देख ली है।

(ख) वियतनाम में अब ऐसी स्थिति हो गई है कि वियतनाम स्थित अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं अधीक्षण आयोग, इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। सरकार स्थिति को और बिगड़ने तथा विशेष रूप से लोगों से आबाद बस्तियों में भोली-भाली जनता पर बमबारी करने की निन्दा करती है।

बंगला देश से आये विस्थापितों पर राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय

5778. **श्री सुमर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बंगला देश से आये विस्थापितों पर मार्च, 1971 से पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा सरकारों द्वारा किये गये व्यय के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं और यदि हां, तो उन्होंने कुल कितना व्यय किया;

(ख) क्या बंगला देश से आये विस्थापितों पर किये गये व्यय के बारे में गम्भीर अनियमितता, कदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में अनेक समाचार सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार विस्थापितों पर किये गये व्यय में हुए कदाचारों की जांच करने के लिए इन चारों राज्यों के लिए एक जांच समिति का गठन करेगी; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अन्तिम व्यय के राज्य-वार आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुमान है कि 31 मार्च, 1972 के अन्त तक बंगला देश से आये शरणार्थियों पर किया गया कुल खर्च लगभग 326 करोड़ रु० था।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में 13 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2723 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जांच समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Assistance to Bhutan

5779. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the total amount of assistance provided to Bhutan by the Government of India during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The Assistance provided to the Government of Bhutan during the last three years amounts to a little over Rupees twenty two crores.

बिहार में नियोक्ताओं के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत आपराधिक मामले

5780. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार में कारखानों, खानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बड़ी संख्या में आपराधिक मामले विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार में प्रतिष्ठान-वार जिला-वार, और उद्योग-वार मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनेक नियोक्ताओं ने भविष्य निधि अंशदान और प्रशासनिक शुल्कों का भुगतान कर दिया है और सम्बन्धित विवरणियों को प्रस्तुत कर दिया है और वे कानूनी व्यय देने को भी तैयार हैं; और

(घ) यदि हां, तो नियोक्ताओं से कानूनी व्यय वसूल करने के पश्चात् उन के विरुद्ध किए गए आपराधिक मामलों को वापस न लेने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) 22-4-1972 को बिहार क्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2) के अधीन 1967 मामले लम्बित पड़े थे।

(ख) लम्बित मामलों की प्रतिष्ठानवार, जिलावार और उद्योगवार संख्या संलग्न I से III विवरणों में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 2006/72]

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन केवल राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही चलाए जाते हैं। यदि दोष सुधार लिए जाएँ, तो यथारीति अभियोजन मामले वापस ले लिए जाते हैं बशर्ते कि ऐसी वापसियों के लिए राज्य सरकार भी सहमत हो।

भैरवा से लुम्बिनी तक सड़क बनाये जाने के लिए नेपाल की सहायता

5781. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भैरवा से महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी तक 20 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने के लिए सरकार का विचार नेपाल को सहायता देने का है; और

(ख) क्या न्यूयार्क स्थित लुम्बिनी डैवेलपमेंट कमेटी ने भारत सरकार से इस सड़क के निर्माण का अनुरोध किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) लुम्बिनी विकास समिति, न्यूयार्क लुम्बिनी को विकसित करने की एक प्रायोजना पर अमल करना चाहती है। इस प्रायोजना के अंश के रूप में सरकार द्वारा नेपाल में भैरवा से लुम्बिनी तक 20 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भारत की क्षेत्रीय जल सीमा का बढ़ाया जाना

5782. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की वर्तमान क्षेत्रीय जल सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल सीमा पर भुटवाल नेपालगंज सड़क के निर्माण कार्य का स्थगित किया जाना

5783. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल सीमा पर भुटवाल नेपालगंज सड़क के निर्माण कार्य को छोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत-नेपाल सीमा पर पूर्व पश्चिम राजमार्ग के भुटवाल-नेपालगंज खंड (मध्य खंड) के निर्माण का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

भारत और भूटान के बीच व्यापार करार

5784. **श्री प्रसन्नभाई महता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और भूटान ने परस्पर व्यापार को नियमित करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस समझौते में भारत और भूटान के बीच कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की व्यवस्था है।

Import of Raw Zinc

5785. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to stop import of raw Zinc ;

(b) whether the requirements of raw Zinc in the country are met with the Zinc available in Rajasthan ; and

(c) if so, the present production capacity of Debari plant in Rajasthan and the annual requirement of Zinc in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). The current requirements of Zinc in the country are estimated at about 1,29,000 tonnes against which indigenous production is likely to be about 30,000 tonnes only—(i) 15,000 tonnes from the Zinc Smelter in the private sector, at Alwaye (Kerala) and (ii) 15,000 tonnes from the Zinc Smelter in the public sector at Debari (Rajasthan). Therefore, there is at present, a wide gap between the demand and the indigenous availability of zinc. Hence it is not at present proposed to stop import of zinc.

श्रीलंका में तमिल भाषी लोग

5786. **श्री एम० राजंगम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में रहने वाले तमिल भाषी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) व्यापार और नियोजन के कुछ क्षेत्रों में श्रीलंकाकरण से सम्बद्ध श्रीलंका सरकार की नीति का श्रीलंका में रहने वाले कुछ भारतीयों पर प्रभाव पड़ा है, जिनमें तमिल मूल के लोग भी शामिल हैं। वहां काफी संख्या में राज्यहीन तमिल भाषी लोग भी हैं, जिन्हें 1964 के भारत श्रीलंका करार के अंतर्गत स्वदेश लौटाना है। सरकार, जहां तक सम्भव हो सकता है, उनके हितों की रक्षा के लिए, श्रीलंका सरकार से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है।

Capacity of Zinc Smelter Plant in Rajasthan

5787. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to double the capacity of Zinc Smelter plant in Rajasthan ;

(b) if so, the present capacity thereof ; and

(c) the estimated expenditure to be incurred on increasing its capacity ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). Yes, Sir. Administrative approval has been accorded for doubling the capacity of the Debari Zinc Smelter from the existing level of 18,000 tonnes to 36,000 tonnes per annum, at an estimated cost of Rs. 10.49 crores.

थेरूवाली, जिला कोरापुट, उड़ीसा में फेरोसिलिकान संयंत्र का विस्तार

5788. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के जिला कोरापुट में थेरूवाली के स्थान पर स्थित फेरोसिलिकान संयंत्र के अग्रेतर विस्तार की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो मूल क्षमता कितनी है और अब कितनी अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी दी गई है;

(ग) इस कम्पनी ने उत्पादन कब से शुरू किया है और अब तक कितने फेरोसिलिकान का उत्पादन किया गया और अब तक इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) इसका निर्यात किन देशों को किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मैसर्स इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो अलायस लि०, थेरूवाली, जिला कोरापुट, उड़ीसा को अपनी फेरो सिलिकन की क्षमता का 7200 टन प्रतिवर्ष से 12600 टन प्रतिवर्ष तक विस्तार करने के लिए 20-7-1970 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। पार्टी द्वारा अपनी क्षमता का 29600 टन प्रतिवर्ष तक और विस्तार करने की प्रार्थना विचाराधीन है।

(ग) कम्पनी से पता चला है कि उसने अप्रैल 1967 में उत्पादन आरम्भ कर दिया था। 1971 के अन्त तक उन्होंने कुल 34656 टन फेरो सिलिकन का उत्पादन किया था जिसमें से लगभग 3095 टन का न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया और जापान को निर्यात किया गया था।

Inspection of Pusa and Subzi Mandi Industrial Training Centre by M.Ps. and Executive Councillor of Delhi

5789. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether an Executive Councillor of Delhi and 40 Members of Parliament visited Pusa and Subzi mandi Industrial Training Centres and Employment Exchange in April, 1972

(b) if so, the salient features of the suggestions made by them, and

(c) whether Government propose to implement these suggestions ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, about 30 Members of the Delhi Metropolitan Council and 3 Members of Parliament, along with the Delhi Administration Executive Councillor, Incharge of Employment and Training, visited

the Industrial Training Institute, Subzi mandi (presently located in Pusa Campus, Employment Exchange, Pusa and Vocational Guidance Unit of the Employment service at Pusa Campus on 15.4.1972

(b) Constructive suggestions made, in brief, were :—

(i) Number of training seats in popular trades, like Radio & T. V , Auto-electrician Refrigeration, Motor Mechanic and Electrician should be augmented and training in Watch repairing should be introduced in the Industrial Training Institutes.

(ii) Training in unpopular trades, which do not attract sufficient number of trainees should be discontinued.

(iii) The Vocational Guidance Unit of the Employment Service should be expanded and made more effective; and

(iv) Employment Market Survey on current topics like extent of unemployment among engineers and other categories of educated unemployed, should be undertaken.

(c) The suggestions are under consideration of the Delhi Administration.

मलेशिया तथा इन्डोनेशिया द्वारा नये सुरक्षा प्रबन्धों पर हस्ताक्षर

5790. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मलयेशिया और इन्डोनेशिया ने विद्यमान सैनिक सहयोग को बढ़ाकर एक नये सुरक्षा प्रबन्ध पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में हमारी नीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यह बोरनियो में दोनों देशों के बीच की सीमा पर सुरक्षा के उपायों के समन्वय की द्विपक्षीय व्यवस्था मात्र है।

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

5791. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में बेरोजगारी सम्बन्धी समिति की सारी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो क्रमबद्ध कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) समिति की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर इस समय योजना आयोग द्वारा गठित अंतर्मन्त्रालय दल द्वारा आगे कार्यवाही के लिए विचार किया जा रहा है। दल का कार्य प्रगति पर है।

Registered Unemployed in States

5792. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether half-yearly information in regard to the number of persons registered with the State employment exchanges are submitted to the Central Government by the States;

(b) if not, whether Government propose to obtain this information from the employment exchanges of States on half-yearly basis; and

(c) if so, the number of persons who have got their names registered with employment exchanges, year-wise, State-wise, category-wise, training-wise and profession-wise during the last three years and the number of persons out of them who are yet to be provided with employment ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes. The information in regard to the number of persons registered is being submitted by the State Employment Exchanges each month.

(b) Does not arise.

(c) Detailed particulars about the number of persons registered by occupations skills and professions are not collected. The only information available in this regard relates to the number of registrations and placements effected by the employment exchanges in each State and the number of job-seekers on the live register which is given in the attached statement. **[Placed in the Library, See No. L.T. 2007/72]**

Foreign Tours of the Chairman of Policy Planning Committee

5793. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries visited by the Chairman of the Policy Planning Committee of his Ministry since the 1st November, 1971 to-date and the total number of visits made by him; and

(b) the amount in Indian and foreign currency spent on these official visits ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs : (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Since 1st November, 1971, the Chairman of the Policy Planning Committee has visited the U.S.S.R., Bangla Desh, Britain, France, Arab Republic of Egypt and Pakistan. Bangla Desh was visited thrice and the U.S.S.R. twice. The total number of trips was six.

(b) The total expenditure on those visits was approximately Rupees 39,000 out of which a sum of Rupees 14,000 was in foreign exchange.

भारत-बंगला देश सीमा पर तस्करी

5794. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने समूची भारत-बंगला देश सीमा पर अपने गार्डों को सतर्क कर दिया है;

(ख) क्या भारत और बंगला देश के बीच तश्करी को रोकने के लिए सेनाओं को सतर्क किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा तस्करी को रोकने के लिए किस समर्थन और सहायता का वचन दिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत और बंगला देश के बीच तस्करी रोकने के लिए बंगला देश सरकार ने सीमा पर अपनी ओर कुछ चौकियाँ बना रखी हैं।

(ग) तस्करी को रोकने के उपायों के सम्बन्ध में भारत सरकार बंगला देश सरकार के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है। सीमा पर अपनी तरफ 390 सीमा सुरक्षा चौकियां, सीमा के पार तस्करी रोकने के काम में सहायता करती हैं। इस मित्र सीमा पर, किसी भी तरफ, तस्करी रोकने के लिए भारत सरकार बंगला देश सरकार को हर सम्भव सहयोग देगी।

छोटी धमन भट्टियाँ तथा स्मैलटरों की स्थापना के लिये छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता

5795. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने छोटे उद्यमियों ने छोटी धमन भट्टियां स्थापित की हैं जिन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) 1971-72 में कुल कितनी धनराशि दी गई तथा 1972-73 में कुल कितनी धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रकार के छोटे स्मैलटर तथा धमन भट्टियों के लिए क्या सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सम्भवतः अभिप्राय स्क्रैप से इस्पात पिण्डों अथवा बिलेटों का उत्पादन करने के लिए गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा स्थापित की गई विद्युत आर्क भट्टियों से है।

सरकार ने ऐसे यूनिटों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। ऐसे यूनिटों को उस राज-सहायता के अलावा, जो देश के कुल खास-खास जिलों में स्थापित किए गए सभी औद्योगिक संस्थानों को दी जाती है और जिसकी घोषणा औद्योगिक विकास मंत्रालय की तारीख 26 8-71 की अधि-

सूचना सं० एफ० 7(15)/71-आई० सी० में की गई थी और जो दिनांक 26-8-71 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित की गई थी, प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

ये यूनिट सरकारी वित्तीय संस्थानों से सामान्य वाणिज्यिक ऋण आदि ले सकते हैं।

बंगला देश का दौरा कर रहे भारतीय नागरिक

5796. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नागरिक किन शर्तों पर बंगला देश में अल्प अवधि के लिए जा सकते हैं; और

(ख) मार्च के महीने में तथा 15 अप्रैल, 1972 तक ऐसे कितने परमिट जारी किये गये ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अच्छे उद्देश्य से थोड़े समय के लिए बंगला देश जाने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रिक एक प्रलेख के आधार पर वहां जा सकते हैं जिसे "भारत और बंगला देश के बीच यात्रा का प्रमाण-पत्र" कहते हैं। सभी राज्य सरकारें, केन्द्र प्रशासित प्रशासन और भारत सरकार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली, के जरिए इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्टधारी भारतीय राष्ट्रिक भी बगला देश की यात्रा पर जा सकते हैं बशर्ते कि उनके पासपोर्टों पर बंगला देश का पृष्ठांकन किया हो।

(ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है।

Survey of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Unemployed

5797. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of unemployed persons in the country; and

(b) whether Government have conducted survey to find out the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribe persons out of them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) Precise estimates about the number of unemployed persons in the country are not available. The only information that could be furnished in this regard relates to the number of job-seekers who are registered with the Employment Exchanges for employment assistance. Their number on the live register as on 31-12-1971 was 50,99,919.

(b) No special Survey has been conducted. The number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe job-seekers who were on the live register as on 31-12-1971 was, however, 5,44,682 and 1,11,786 respectively out of the total of 50,99,919.

नेपाल को सहायता

5798. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेपाल सरकार को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के रूप में कितना धन दिया गया;

(ख) क्या वर्ष 1971 के दौरान व्यय के उक्त शीर्ष के अंतर्गत कुछ अधिक धनराशि व्यय की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नेपाल सरकार को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता के लिए पिछले तीन वर्षों में जो रकम सहायता स्वरूप दी गई, वह इस प्रकार है :

1.	1969-70	12.01 करोड़ रुपये
2.	1970-71	9.02 करोड़ रुपये
3.	1971-72	वास्तविक खर्च

अभी 31/3/72 को समाप्त वर्तमान वर्ष का वास्तविक हिसाब तैयार किया जा रहा है। फिर भी अनुमानित खर्च 9 करोड़ के लगभग होगा।

(ख) और (ग) 1971 में कोई ज्यादा खर्च नहीं किया गया। 1972-73 के चालू वर्ष के दौरान 9.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ईरान में भूकम्प

5799. **श्री पी० वेंकट सुब्बया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ईरान में हाल में आये भूकम्प की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो जान माल की अनुमानत: कितनी हानि हुई; और

(ग) भारत द्वारा यदि कोई सहायता दी गई तो उसका स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अखबार की खबरों के अनुसार लगभग 4000 व्यक्तियों पर भूकम्प का या तो प्रभाव पड़ा है या वे इससे मर गए हैं। न तो कोई और जानकारी प्राप्त हुई है, न भारत सरकार ने कोई सहायता देने का निर्णय किया है।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की भोपाल मिस्त्री संघर्ष समिति की मांगें

5800. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची-4 की भोपाल मिस्त्री संघर्ष समिति ने दिनांक 28 मार्च, 1971 के प्रबन्ध निदेशक को लिखे गये एक पत्र में भोपाल के मिस्त्रियों की मांगों और शिकायतों का उल्लेख किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और इन पर प्रबन्धों की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांगें चार थीं। ये मांगें पदोन्नति, कुछ प्रकार की छुट्टी में बढ़ोतरी की सुविधाओं, अग्रिम वेतन वृद्धि देने तथा दो व्यक्तिगत मामलों में अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के बारे में थीं। मान्यता प्राप्त मजदूर संघ द्वारा की गई बातचीत के फलस्वरूप इन मांगों के बारे में समझौता हो गया है।

Mining Stopes for Khetri Copper Project

5801. **Shri S.N. Singh :** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the number of mining stopes required per day for the supply of 2000 tonnes of raw copper daily to the Khetri Copper Project and the number of mining stopes manufactured so far for producing raw copper;

(b) whether results of availability of raw copper and the total amount thereof in respect of the three stopes manufactured so far on lense No. 2,1170 level, are contrary to the opinion of the American Consultant W.K.E.; and

(c) whether difficulty has arisen on account of non-availability of geological data for mining development and stope designing because detailed prospecting and drilling was not undertaken in advance ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Presumably the reference to "raw copper" is actually to the production of copper ore. The number of mining stopes required for the supply of 2000 tonnes of copper ore per day, for the type of mining envisaged at Khetri and Kolihan Mines, will be about 7. At the Khetri Mine, 1 stope is already in production and 80% of the work for the 6 more stopes has been completed. In addition the work of preparing another 6 stopes is in hand. At the Kolihan Mine 2 stopes are ready for production and work is in hand for preparing 2 more stopes.

(b) The American Consultants, M/s. Western Knapp Engineering Company (WKE) had not prepared any lense wise estimate of ore reserves for the Khetri Mine. Hence the question of ore reserve availability at lense No. 2 (now called lense No. 4) at 1170, level being contrary to the opinion of the American Consultants does not arise.

(c) No difficulty has arisen on account of non-availability of geological data for mine development and stope designing. The detailed prospecting and drilling are going on according to schedule and these activities are well ahead of the work of mine development and stope designing.

गंगानगर में निष्क्रान्त कृषि भूमि का आवंटन

5802. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1959 में पुनर्वास विभाग के मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त ने क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त, राजस्थान को अपने पत्र संख्या एफ० 7/11/59 – पालिसी II दिनांक 8 जुलाई, 1959 में अनुदेश दिये थे कि, अलवर और भरतपुर को छोड़ कर अन्य जिलों में, देश के विभाजन से पहले और बाद के निष्क्रान्त कृषि भूमि के काश्तकारों को उनके कब्जे की भूमि को 450 रुपये प्रति स्टैंडर्ड एकड़ के हिसाब से देने की पेशकश की जानी चाहिए; और

(ख) उक्त अनुदेशों के अनुसार गंगानगर जिले में मात्र काश्तकारों को अब तक कितनी भूमि देने की पेशकश की गई है और अभी और कितनी भूमि की पेशकश की जानी शेष है और क्यों ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इन हिदायतों में यह व्यवस्था की गई थी कि विभाजन के पहले के उन काश्तकारों की भूमि जिन पर उन्हें दखलकारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे और विभाजन के बाद के काश्तकारों की भूमि को उक्त हिदायतों में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उन्हें 450 रुपये प्रति मानक एकड़ की दर से बेचने के प्रस्ताव किए जाएं ।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और जैसे ही प्राप्त हो जायेगी सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Employment to Trained Book Binders

5803. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether many youngmen are imparted occupational training in Book Bindery Trade under the Apprentice Act, 1961 in the Government of India Press, Minto Road, New Delhi every year ; and

(b) if so, the reasons for which Government do not appoint these trained candidates in regular post lying vacant in the same institution and the same trade in which the candidates have been imparted training ?

The Minister of labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar). : (a) Yes, Sir.

(b) The Act does not stipulate any obligation on the part of the employer to give employment to the apprentices. Recruitment against regular posts in the Government of India Press is done under the appropriate Recruitment Rules which are independent of the recruitment of the apprentices under the Act.

'लो शैफ्ट' भट्टी कच्चा लोहा संयंत्र को नट कोयले की सप्लाई

5804. **श्री बक्शी नायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारबिल स्थित 'लो शैफ्ट' भट्टी कच्चा लोहा संयंत्र (औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लि० का एक एकक) में नट कोयले की सप्लाई की मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कोयले की उपलब्धता की क्या स्थिति है और क्या इस संयंत्र का अनुरोध मान लिया गया है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि नट कोयले की सप्लाई न होने के कारण इस संयंत्र के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस यूनिट के लिए नट कोक की मांग में वृद्धि के बारे में हाल में मंत्रालय से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) जी, हां ।

कतार के साथ राजनयिक सम्बन्ध

5806. **श्री पी० गंगादेव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कतार ने राजदूत स्तर पर पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कुवाइत में हमारे राजदूत ही कतार में भी राजदूत के रूप में प्रत्यायित हैं। उम्मीद है कि वे शीघ्र ही अपना प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत कर देंगे। वहां जल्दी ही एक रिहायशी मिशन भी खुलने वाला है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में चांद के बारे में हुई सन्धि का प्रारूप

5807. **श्री वी० पी० गंगादेव** :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने चांद के बारे में सन्धि करने वाले एक प्रारूप का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(ग) इस बारे में भारत की क्या राय है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 26 वें सत्र में चन्द्र सन्धि का मसविदा पेश किया था। महासभा ने उस सत्र में प्रस्ताव 2779 पास किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विधि उप-समिति से अनुरोध किया गया था कि वह अपने अगले सत्र में प्राथमिकता के आधार पर चन्द्रमा से सम्बन्धित सन्धि तैयार करने पर विचार करे। तदनुसार, अन्तरिक्ष विधि उप-समिति ने 10 अप्रैल से 5 मई, 1972 तक जेनेवा में आयोजित 11 वें सत्र में इस विषय पर विचार विमर्श किया है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत ने सोवियत संघ की पहलकदमी का स्वागत किया है। हमारा ख्याल है कि चन्द्रमा के साधनों को मानव जाति की समान दाय के रूप में मानना चाहिए और किसी पक्ष द्वारा हथियाने न देना चाहिए, चाहे वह अधिकार के द्वारा हो अथवा किसी और प्रकार से। चन्द्रमा को अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े का कारण न बनने देना चाहिए। प्रतिकूल परिवर्तन के द्वारा, अति-प्रदेशीय सामग्री से दूषित करके अथवा किसी अन्य तरीके से उसके परिसार के वर्तमान संतुलन को, बिगड़ने से रोकने के उपाय बरते जाने चाहिएं।

Education in Fine Arts in labour Education Centres.

5808. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether education in literature, art and music is imparted in Labour Education Centres in countries other than India ;

(b) if so, whether Government propose to make arrangements for imparting education in these subjects ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The curricula of Worker's Education in some of the Western countries include this type of activity but it is largely due to the effort of the trade unions themselves.

(b) and (c) No, Sir. It would be for the Unions to consider such arrangements.

Opening of Labour Education Centres During Forth Plan Period

5809. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it was decided to open six Labour Education Centres during the Fourth Five Year Plan commencing from 1969-70. ;

(b) if so, the names of places where such Centres have been opened ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The Central Board for Workers' Education has a programme of opening six Regional Centres for Workers' Education during the period of the Fourth Plan.

(b) The question of opening two additional Centres, one in Bihar and the other in Uttar Pradesh is under consideration.

(c) Does not arise at this stage.

सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए वित्तीय सहायता की राज्यों को प्रतिपूर्ति

5810. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों से निकाले गए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हाल के भारत-पाक युद्ध से प्रभावित हुए व्यक्तियों को निर्धारित पैमानों पर राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को खर्च करने के अधिकार दे दिए गए हैं। इस प्रकार किए गए खर्च की

प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। प्रारम्भ में खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को 'लेखे पर' (आन एकाउंट) निम्नलिखित अग्रिम मंजूर किए गए हैं :—

	(लाखों में रुपये)
जम्मू तथा काश्मीर	300
पंजाब	775
राजस्थान	100
गुजरात	0.06
	1175.06

प्रतिपूर्ति के दावे जब और जैसे प्राप्त होंगे, उपर्युक्त अग्रिमों के मद्दे उनका समायोजन कर दिया जाएगा।

मैसर्स तिवारी बीहर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, जमशेदपुर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का विलम्ब से जमा करना

5811. **मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स तिवारी बीहर एण्डं कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, जमशेदपुर, कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा कराने के मामले में हमेशा भूल करती रही है और उक्त कम्पनी ने बहुत विलम्ब से भुगतान किया था;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 बी के अन्तर्गत दण्ड रूप में हर्जाना लगाया गया था; यदि हां, तो भुगतानों और दण्ड रूप लगाए गए हर्जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूतपूर्व प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त दण्डरूप जुर्माने को क्षमा कर दिया था; और

(घ) उसको वसूल करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचना दी है :—

(क) और (ख) कुछ अवधियों को छोड़कर, मैसर्स तिवारी बीहर एण्ड कं० (प्रा०) लिमिटेड भविष्य निधि की देय राशियों के भुगतान में नियमित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 (ख) के अन्तर्गत दंडनीय क्षति की उगाही करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब और दिल्ली के लघु उद्योगों को वायर राड्स की सप्लाई

5812. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पंजाब राज्य और दिल्ली में लघु उद्योग (वायर ड्राइंग फैरस) को कुल कितनी मात्रा में वायर राड सप्लाई किये गये;

(ख) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में पंजाब के चार लघु उद्योगों को लगभग 500 टन वायर राड का तदर्थ आवंटन किया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि में पंजाब और दिल्ली में अन्य लघु उद्योगों को वायर राड का आवंटन न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और भारत में स्थित विदेशी मिशनों द्वारा भारतीय कारों का प्रयोग

5813. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब भारतीय दूतावास, मिशन और सरकारी व्यापार एजेंट विदेशों में विदेशी कारों का प्रयोग करते हैं;

(ख) उन भारतीय दूतावासों, मिशनों और सरकारी व्यापार एजेंटों के नाम क्या हैं जो देश में बनी कारों का प्रयोग कर रहे हैं; और

(ग) भारत में स्थित उन विदेशी दूतावासों, मिशनों के नाम क्या हैं जो भारत में बनी कारों का प्रयोग कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) बैंकाक, कोलम्बो, ढाका, गैंगटाक, कैंडी, काठमांडू, माण्डले, रंगून, थिम्पू, वियनतियन, और जहीदान स्थित हमारे मिशन/केन्द्र भारत में बनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ।

(ग) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का राजदूतावास और शाही भूटान मिशन ।

गुजरात और महाराष्ट्र को स्टेनलेस स्टील का आवंटन

5814. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में निर्माण एककों तथा अन्य एककों को गत तीन वर्षों में, राज्यवार तथा वर्षवार, कुल कितना स्टेनलैस स्टील आवंटित किया गया;

(ख) गुजरात और महाराष्ट्र से स्टेनलैस स्टील के तैयार उत्पादों का कुल कितना निर्यात हुआ है तथा सरकार ने उनको क्या प्रोत्साहन दिया है; और

(ग) गुजरात ने स्टेनलेस स्टील की कुल कितनी मांग की है और सरकार द्वारा उसे पूर्ण रूप से पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मिश्रित तथा विशेष इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है) के वितरण पर कोई नियंत्रण अथवा विनियमन नहीं है । विभिन्न निर्माण इकाइयां बेदाग इस्पात की अपनी आवश्यकता देशीय उत्पादकों से (इनमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्गापुर का मिश्र इस्पात कारखाना है) तथा/अथवा आयात द्वारा प्राप्त करती हैं । आयात वास्तविक उपभोक्ता आयात लाइसेंसों पर तथा पंजीकृत निर्यातक नीति के अधीन किया

जाता है। कुछ मात्रा धातु तथा खनिज व्यापार निगम ने भी थोक में आयात करके वितरण की थी। बेदाग इस्पात की आपूर्ति के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बेदाग इस्पात के उत्पादों को निर्यात के क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

बेदाग इस्पात उत्पादों को निर्यात करने के लिए कोई नकद सहायता नहीं दी जाती है। ऐसे उत्पादों के निर्यातकों को संपूर्ति कोटा दिया जाता है जो निर्यात किये गये बेदाग इस्पात के एक कि० ग्राम उत्पाद के लिए 1.2 कि० ग्रा० से 1.6 कि० ग्राम तक है। इसकी अधिकतम सीमा निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य का 75 प्रतिशत है।

(ग) गुजरात की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य की बेदाग इस्पात की कुल मांग लगभग 10,786 टन प्रतिवर्ष है।

देश के अपर्याप्त उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धि में बाधाओं के कारण बेदाग इस्पात की समस्त मांग को पूरा करना संभव नहीं हो सका है।

Construction of Potteru dam by Department of Rehabilitation.

5815. **Shri Arvind Netam** : Will the Minister of **Labour And Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Department of Rehabilitation is constructing Potteru dam near Malkangiri in Orissa; and

(b) the time by which the construction work would be completed and the acreage of land likely to be irrigated thereby ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) and (b) The Government of Orissa have offered to release 40,000 acres of land in the command of the Potteru Irrigation Scheme for the resettlement of displaced persons, provided the Central Government agrees to finance the said Scheme having a culturable command area of 1.51 lakh acres. The estimated cost of the scheme, at present, is Rs. 14-35 crores. The scheme is under examination. According to the Project Report prepared by the State Government, the execution of the scheme is expected to be completed in 5 years from the date of the commencement of the work.

Deputationists in Rehabilitation Department.

5816. **Shri Arvind Netam** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of employees working on deputation in the Rehabilitation Department; and

(a) whether Government propose to stop deputation allowance ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it becomes available.

(b) No, Sir.

एशियाई शांति योजना

5817. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई राजधानियों में स्थित भारतीय मिशनों से यह अनुरोध किया गया है कि वे कुछ समय पूर्व प्रधान मन्त्री के जापान और इन्डोनेशिया के दौरे के दौरान वर्णित एशियाई शांति योजना के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्न करें; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) 1968 में सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड और मलयेशिया की यात्रा के दौरान हमारी प्रधान मंत्री ने बड़ी शक्तियों और इस क्षेत्र के सम्बद्ध अन्य देशों द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर करने की योजना की चर्चा की थी जिसमें हिन्द-चीन के देशों की प्रभुसत्ता, तटस्थता और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी गई हो; इसी से उनका भय दूर हो सकता है । इस दिशा में कोई नई प्रगति नहीं हुई है, यद्यपि हमारे मिशन सम्बद्ध देशों की सभी प्रतिक्रियाओं की सूचना देते रहे हैं ।

Royalty for Iron Ore Paid to Madhya Pradesh

5818. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the foreign exchange earned by the country from Bailadila (Madhya Pradesh) iron ores during the year 1971; and

(b) the amount paid to Madhya Pradesh in the form of royalty and the amount of royalty yet to be paid to the State ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Rs. 23.88 crores.

(b) The amount paid to Madhya Pradesh in the form of royalty during 1971-72 was Rs. 5,16,889. The amount of royalty yet to be paid to the State is nil.

Rehabilitation of Refugees from Burma

5821. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the arrangements made by Government to rehabilitate the refugees who crossed into India from Burma; and

(b) the total number of Burmese refugees in the Purnea refugee camp in Bihar State and the arrangements made so far to provide employment to them ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) A statement indicating the steps taken for the rehabilitation of repatriates from Burma is attached.

(b) There are 360 Burma repatriate families in the Maranga Transit Camp in district Purnea, Bihar, consisting of 275 agriculturist families, 28 non-agriculturist families and 57 Permanent Liability Category families.

Efforts are being made to locate suitable agricultural land for rehabilitating the agriculturist families. The non-agriculturist families are proposed to be settled by granting business loans. Assistance is also given in securing employment in Government and semi-Government offices.

STATEMENT

The following arrangements have been made to rehabilitate the repatriates from Burma :—

(i) **Business loans** : Loans for trade and business upto a ceiling of Rs. 5,000/- per family are available for the repatriates.

(ii) **Housing loans** : Financial assistance for housing upto Rs. 4,100/- in urban areas and Rs. 2,050/- in rural areas per family is available.

(iii) **Resettlement in Agriculture** : (a) Families resettled in agriculture under the Land Colonisation Scheme of the Ministry of Food and Agriculture can get assistance upto Rs. 5,000/- per family from the Government of India.

(b) Families allotted land under other schemes can get loans as under :—

Pair of bullocks	Rs. 550/-
Seeds and fertilisers	Rs. 125/-
Agriculteral imulements	Rs. 175/-
	Rs. 850/-

Note : Where land allotted is deficient in Nitrogen, Phosphates etc., an additional loan of Rs. 165/- is allowed for fertilisers.

(c) Agriculturist families are being resettled in the Sindhanur Project (Mysore), Betul Project (Madhya Pradesh) and under other Schemes sanctioned by the Department of Rehabilitation.

(iv) **Educational Concessions** : (a) A book grant ranging from Rs. 5/- to Rs. 100/- per annum is avilable to day scholars.

(b) Subject to certain conditions regarding marks, students can get stipends ranging from Rs. 40/- to Rs. 60/- per month, if they stay in hostel away from their families and the income of their parents is not more than Rs. 250/- per month.

(v) **Employment :** (a) Priority has been accorded for appointment under the Central Government through Employment Exchanges.

(b) The upper age limit has been relaxed to 45 years (50 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) for appointment under Central Government through Employment Exchanges.

(c) For appointments on the results of competitive examinations held by U.P.S.C., the upper age limit has been relaxed by three years. The Commission has also been authorised to remit examination fee in deserving cases.

(d) Special Employment Liaison Officers have been appointed at Madras and Vishakhapatnam to render employment assistance to repatriates.

(e) Repatriates are also being provided with training and employment facilities in industries specially set up under the rehabilitation programme such as Madan Industries, Hastinapur ; Textile Township Ramagundam ; Spinning Mills, Nellore and Rajahmundry ; Nazareth Spinning Mills and Srivilliputtur Co-operative Spinning Mills.

माना और दण्डकारण्य शिविरों में फालतू कर्मचारी

5822. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना और दण्डकारण्य शिविरों के ु को फालतू घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है और उस मंत्रालय ने अभी उक्त शिविरों में कितने कर्मचारी कार्य पर रखे हुए हैं; और

(ग) उक्त फालतू कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने के बारे में सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के फालतू कर्मचारी, जिन्होंने कुछ न्यूनतम अवधि तक लगातार सेवा की है, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के लिए अग्रता III के पात्र होंगे ।

पुनर्वास विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

5823. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता आयोग ने 29 दिसम्बर, 1966 को पुनर्वास विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध भारी हर्जाने वसूल करने जैसी कार्यवाही आरम्भ करने की सलाह दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) इन दो अधिकारियों में से एक दण्डकारण्य परियोजना का है और दूसरा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का। दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारी के विरुद्ध अब अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है जबकि दूसरे अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास विभाग के कुछ राजपत्रित अधिकारियों से स्पष्टीकरण

5824. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 28 मई, 1969 को पुनर्वास विभाग से यह निवेदन किया था कि वह सात राजपत्रित अधिकारियों से, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के कार्यालय द्वारा उल्लिखित, उनके द्वारा की गई कथित अनियमितताओं/गलतियों/चूकों के संबंध में प्राथमिक स्पष्टीकरण मांगें; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये स्पष्टीकरण आयोग को भेज दिए गए थे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। स्पष्टीकरणों की जांच की जा रही है।

भवन निर्माण, कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड

5825. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण कर्मचारियों और उनके संगठनों ने अपने कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की मांग की है ;

(ख) क्या उन्होंने मंत्री को इस बारे में अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) भवन निर्माण उद्योग में लगे कर्मकारों की वर्तमान मज़दूरी-दरों में संशोधन करने के लिए हाल ही में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित वर्तमान मज़दूरी दरों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

युनाइटेड सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आरगेनाइजेशन को अतिरिक्त अधिकार

5826. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या युनाइटेड सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आरगेनाइजेशन ने उचित औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने के

बारे में अतिरिक्त अधिकार देने की मांग की है, यदि हां तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : सरकार को इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई ।

समाजवादी देशों के साथ शान्ति संधि

5827. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व के किसी अन्य समाजवादी देश से भारत-रूस संधि के अनुरूप संधि करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी संधियां अन्य समाजवादी देशों के साथ भी करने का है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवतः यह है कि क्या भारत और सोवियत संघ के बीच सम्पन्न शांति, मित्रता और सहयोग संधि की तरह की संधि करने की पेशकश किसी अन्य समाजवादी देश ने भी की है। इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Shifting of Head Office of Hindustan Copper Limited

5828. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel & Mines** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have requested for shifting the Office of Hindustan Copper Limited at Ghatsila in Bihar ; and

(b) if so, the argument advanced by the Government of Bihar in support of their demand and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) This was one of the subjects raised in an informal meeting between Minister Steel and Mines and Chief Minister, Bihar, on 14th April, 1972.

(b) Main argument advanced by Government of Bihar in this regard is that a large integrated copper complex already exists in Bihar and with headquarters at Ghatsila, Hindustan Copper Limited will be able to have proper supervision and control locally in running the undertaking efficiently. Local population, predominantly advasi, will get more employment opportunities and the State Government will get its due share in revenues accruing out of income tax, sales tax etc.

This proposal from the State Government could not be agreed to. A decision has been already taken to shift the Head Office of Hindustan Copper Limited to Calcutta which has been considered to be more suitable for having an effective control on the various Projects of the Company, which are located in several States like Rajasthan, Bihar, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने की प्रणाली

5829. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में किए जाने वाले कार्य का एक बड़ा भाग बैंकों अथवा लेखा प्रधान संगठनों के कार्यों के समान है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ ने अपने वेतनमानों को 'ए' श्रेणी के बैंकों के वेतनमानों के समान करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्य, बैंकों में किये गए कार्य के समान नहीं है। तथापि, यह एक लेखा निर्धारित करने वाला संगठन है ;

(ख) जी हां।

(ग) न्यासियों के बोर्ड और सरकार ने, इस मांग को स्वीकार करना उचित नहीं समझा है।

Setting up of Steel Plant in Madhya Pradesh in Collaboration with Foreign Government

5830. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any foreign Government have offered to set up one more steel plant in Madhya Pradesh with their collaboration : and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, sir.

(b) Does not arise.

Shortage of Iron and Steel in Madhya Pradesh

5831. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that heavy losses are being sustained on account of shortage of minerals like iron and steel in Madhya Pradesh ;

(b) whether the minerals supplied to Madhya Pradesh fall short of their average allocation throughout the country ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) It is presumed that the Hon'ble Member is referring to different categories of iron and steel. There is no shortage of pig iron at present. However, it is true that the availability in respect of several categories of steel is short of the demand and some industries in Madhya Pradesh, as in other parts of the country, may be affected by the same.

(b) There are no statewise allocations under the present distribution system. The allocations are based on the end-use for which steel is required.

(c) Does not arise.

Production of Minerals in Madhya Pradesh

5832. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the production of minerals in Madhya Pradesh during the year 1970-71 has declined as compared to the year 1969-70 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action Government propose to take to remove the shortcomings ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) A statement showing the quantity and value of mineral production in Madhya Pradesh in the years 1969 and 1970 along with reasons where production has recorded a fall during 1970 relative to 1969 is laid on the Table of the House (Annexure—I). [**Placed in the Library. See** No.L.T. **2008/72**]

(c) Does not arise in view of the reason of shortfall being mainly due to temporary closure of Mines/closure due to exhaustion of reserves.

Setting up of Lead Smelter Plant in Madhya Pradesh

5833. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Lead Smelter Plant in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) There is no such proposal under the consideration of the Government at present.

(b) Does not arise.

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए वस्तुओं की खरीद

5834. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से आए शरणार्थियों के अस्थायी पुनर्वास के लिए तम्बुओं, तिरपालों, कपड़ों

और औषधियों जैसी जिन विभिन्न वस्तुओं का प्रबन्ध किया गया था, उनका मूल्य तथा मात्रा कितनी थी ;

(ख) क्या इन वस्तुओं की पूर्ति देश में ही की गई थी या विदेशों में और इस संबंध में मुख्य व्योरा क्या है ;

(ग) लघु उद्योगों से कितने मूल्य की वस्तुएं खरीदी गई थीं ; और

(घ) शरणार्थियों के लौट जाने के बाद विभिन्न वस्तुओं का निपटान कैसे किया गया ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) और (ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा पुनर्वास विभाग के मांगपत्रों पर निम्नलिखित वस्तुओं की खरीद स्वदेशी साधनों से की गई :

मद	मात्रा	मूल्य
तम्बू तथा तम्बू छोलदारियां	82086	5.67 करोड़ रुपये
जूटपालिन	24785	1.26 करोड़ रुपये

पुनर्वास विभाग के अनुसार, तम्बू और तिरपालों के अतिरिक्त वस्त्रों, कम्बलों, बर्तनों, खाद्य-पदार्थों तथा औषधियों का प्रबन्ध उस विभाग द्वारा सरकारी खाते से तथा भारत के स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से प्राप्त राशि से किया गया था ।

(ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 5.67 करोड़ रुपये मूल्य के तम्बुओं और 1.02 करोड़ रुपये मूल्य के जूटपालिन की खरीद लघु उद्योग क्षेत्र से की गई थी ।

(घ) पुनर्वास विभाग के अनुसार, शरणार्थियों को, उन्हें दिये गए वस्त्र, कम्बल तथा बर्तन तथा कुछ आश्रय-सामग्री जैसे तिरपालें, पालीथीन की चद्दरें आदि को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी गई थी । जिन्हें ये वस्तुएं नहीं दी जा सकी थीं, उन्हें ये बंगला देश में अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने पर दी जानी थीं । इस प्रयोजन के लिए, वह सामान उस देश को भेजने का प्रबन्ध किया गया था । इसके अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त सहायता सामग्री, जिसमें ट्रक, जीपें, एम्बूलेंस, कम्बल, कपड़े, दूध का पाउडर, तम्बू, तिरपालें, औषधियां, बर्तन, बिस्कुट आदि शामिल हैं, जो कि हमारी आवश्यकताओं से अधिशेष थीं और जिसके लिए बंगला देश की सरकार ने विशेष अनुरोध किया था, वे वस्तुएं वहां भेजी जा रही हैं ।

26043. तम्बुओं के निपटान के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से कहा गया है ।

क्रय संगठन

5835 **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तथा विदेशों में इस समय कितने क्रय संगठन काम कर रहे हैं ;

(ख) इन संगठनों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए देश में ही पूर्ति संसाधनों का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :(क) पूर्ति विभाग के अधीन निम्नलिखित क्रय संगठन कार्य कर रहे हैं :—

(1) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली तथा उसके बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में स्थित प्रादेशिक कार्यालय ।

(2) भारत पूर्ति मिशन, लंदन ।

(3) भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन ।

सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के अधीन कार्य कर रहे क्रय संगठनों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) पूर्ति विभाग के अधीन नई दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में काम कर रहे विभिन्न क्रय संगठनों के कार्य में समन्वय, मांगपत्रों की संवीक्षा की पद्धति के माध्यम से रखा जाता है, जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्ति की कार्यवाही के लिए विदेशों में स्थित भारत पूर्ति मिशनों को मांगपत्र भेजने से पहले पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा उनकी संवीक्षा की जाती है, सिवाय ऐसे विशेष प्रकार के मांगपत्रों तथा विशेष वर्ग के सामान के, जो इस प्रकार की संवीक्षा से मुक्त हैं ।

(ग) पूर्ति के स्वदेशी साधनों के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व औद्योगिक विकास मंत्रालय का है । सकल औद्योगिक नीति के दायरे में रहते हुए पूर्ति विभाग के अधीन केन्द्रीय क्रय संगठन का यह निरन्तर प्रयत्न रहा है कि पूर्ति का ज्यादा से ज्यादा स्वदेशीकरण किया जाये तथा जो सामान अभी तक बाहर से आयात किया जाता है, उसकी स्वदेशी क्षमता की स्थापना और विकास में सहायता देकर आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया जाए ।

Maltreatment of Indian Press Correspondents Accompanying the President of India to Thailand

5836. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Press Correspondents, who accompanied the President on his recent visit to Thailand, were subjected to neglect and indifference by the officers of the Indian Embassy in Thailand;

(b) whether the Press Correspondents were asked to leave four days before the departure of the President from Delhi but no intimation to this effect was sent to the Indian Embassy on account of which the Press correspondents were put to great difficulties ; and

(c) whether Government have received any memorandum from the said Press correspondents expressing their great resentment in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) While it is true that flight schedules between Delhi and Bangkok made it necessary for journalists to go a few days before the President, the Indian Embassy in Bangkok

was in touch with us and there was no case of a correspondent being "in great difficulty"

(c) Certain communications have been received and these have been examined.

Lock-Out in Mica Factories in Bihar

5837. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether out of fear of nationalisation of mica industry in Bihar, the mica traders there have declared lock-out in their factories ;

(b) if so, the number of laboures affected thereby who have been rendered jobless ; and

(c) the steps proposed to by taken by Government to provide employment to the labourers rendered jobless ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) Industrial relations in mica factories in Bihar come within the jurisdiction of the State Government. According to available information, there has been no lock-out as such in the mica factories. It has been reported, however, that after the announcement about the canalisation of mica exports, the factory owners are now reluctant to employ the labour they used to on a short-term basis as in the past, with the result that some 3,500 workers have become jobless.

मध्य प्रदेश में विमान द्वारा सर्वेक्षण करना

5838. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री केरल में प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए विमान द्वारा सर्वेक्षण करने के बारे में 13 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2703 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जायगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : फ्रांसीसी सरकार के संगठन बी० आर० जी० एम० के साथ भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संविदा के अन्तर्गत हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश के झबुआ, हारदा, स्लीमानाबाद—सिधी और मालंजखण्ड क्षेत्रों के भागों का 12,182 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इस सर्वेक्षण का प्रयोजन राज्य में तीन प्रकार के सेंसरों अर्थात् मेग्नेटोमीट्रिक, इलेक्ट्रोमेग्नेटिक और स्पेक्ट्रोमीट्रिक के प्रयोग द्वारा विपुल अयस्क वाले विशेषतया आधार धातु खनिजीकरण, क्षेत्रों को अवस्थापित करना है। हवाई जहाज से अभिलेखित किए जाने वाले प्रेक्षणों का, उड़ान भरे गए क्षेत्रों के भूवैज्ञानिक विन्यास के संयोजन के साथ अध्ययन द्वारा सल्फाइड या रेडियो सक्रिय खनिजीकरण के सम्भावित क्षेत्रों पर प्रकाश पड़ेगा, जिनकी भू-सर्वेक्षणों द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी।

बोकारो स्टील लिमिटेड को गैर-सरकारी पट्टाधारियों द्वारा चूना-पत्थर की सप्लाई

5839. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्ज बोकारो स्टील या किसी अन्य इस्पात कारखाने को चूना-पत्थर सप्लाई करने वाले पालामऊ

(बिहार) के भवनाथपुर में चूना पत्थर (फ्लैक्स ग्रेड) के गैर-सरकारी पट्टाधारियों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इस समय न तो बोकारो इस्पात कारखाना और न सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के दूसरे सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने ही बिहार के पालामऊ जिले में भवनाथपुर के चूना पत्थर (फ्लैक्स ग्रेड) के प्राइवेट पट्टेदारों से चूना पत्थर ले रहे हैं।

बोकारो स्टील लिमिटेड को पालामऊ जिले में चूना पत्थर के लिए खनन पट्टा

5840. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज बोकारो स्टील लिमिटेड ने पालामऊ जिले में चूना पत्थर निकालने के लिए पट्टा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कितना धन लगाया जा चुका है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) पट्टे पर ली गई खानों के विकास पर अब तक कुल 5.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

उद्योग समूहों के निदेशकों और अधिकारियों को बोनस का भुगतान

5841. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत 20,000 रुपये वार्षिक से अधिक पाने वाले टाटा, बिड़ला, साहूजैन और गोयंका उद्योग समूहों के निदेशकों और अधिकारियों को सांविधिक बोनस देने की मनाही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अनुसार केवल वही 'कर्मचारी' बोनस पाने के हकदार हैं, जो किसी उद्योग में हाथ से किए जाने वाले किसी कुशल या अर्धकुशल पर्यवेक्षी प्रबन्धकीय प्रशासकीय, तकनीकी अथवा क्लर्की का कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये हैं और जिन्हें एक हजार छः सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन या मजदूरी नहीं मिलती। परन्तु इस अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो अन्य श्रमिकों को इस अधिनियम से बाहर किसी अन्य व्यवस्था से बोनस प्राप्त करने से रोके।

लद्दाख में तिब्बत के शरणार्थियों के पुनर्वास की असन्तोषजनक व्यवस्था

5842. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में तिब्बत के शरणार्थियों को राहत देने और इनके पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्था पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या उप-आयुक्त (विकास) प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उक्त शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य की ओर पूरा ध्यान देने में असमर्थ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोई अन्य उच्च अधिकारी नियुक्त करने का है जिससे कि उनका पुनर्वास कार्य शीघ्र पूरा हो सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) लेह में स्थित शिविर में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के लिए आवास, राशन, चिकित्सा, सेवा आदि जैसी राहत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इन तिब्बती शरणार्थियों को लेह के निकट भूमि पर पुनर्वास देने के लिए एक योजना जून, 1971 में मंजूर की गई थी और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) योजना जम्मू और काश्मीर सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उप-आयुक्त (विकास), लेह की पूर्ण देखरेख के अधीन एक सहायक आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप में कर्मचारी भविष्य निधि

5843. **श्री मुहम्मद जलीलुर्रहमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर रेलवे वर्कशाप पर भी, समस्त देश में रेलवे की अन्य वर्कशापों की तरह, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू है; यदि हां तो 6 महीनों में कर्मचारियों और भविष्य निधि में अंशदान देने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और क्या उपर्युक्त वर्कशाप ने निरीक्षण-शुल्क का भुगतान किया है;

(ख) समस्त भारत में रेलवे की ऐसी अन्य वर्कशापों के नाम क्या हैं और उन पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 किस तारीख से लागू किया गया है और इस अधिनियम को लागू किए जाने की तिथि से भुगतान किए गए निरीक्षण शुल्क का, महीनेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की क्रियान्विति में रेलवे सहयोग नहीं कर रहा है, यदि हां, तो क्या इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

(ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। रेलवे मंत्रालय के प्रतिष्ठानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के परिपालन किये जाने के प्रश्न को उस मंत्रालय में उच्च स्तर पर उठाया गया है और उन्होंने भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को उचित निदेश दे दिए हैं।

मुंगेर में जेल कम्पाउण्ड में स्थित गन फैक्टरियों में लागू कर्मचारी भविष्य निधि योजना

5844. **श्री मोहम्मद जलीलुर्रहमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री मुंगेर में जेल कम्पाउण्ड में स्थित गन फैक्टरियों में लागू कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बारे में 2 दिसम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2625 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त अधिनियम का पालन करने की स्थिति बहुत खराब है, लगभग न होने के बराबर है, क्योंकि उच्च अधिकारियों द्वारा कोई उचित निरीक्षण नहीं किया गया है और क्षेत्रीय आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त ने उनको राजी करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) उक्त अधिनियम का कहां तक पालन किया गया है, उदाहरणार्थ कुल कितने व्यक्ति अंशदान करते हैं, अंशदान कितना होता है और संस्थान-वार प्रशासनिक प्रभार क्या है;

(ग) सभी गन फैक्टरियों में उक्त अधिनियम के पालन की इतनी असन्तोषजनक स्थिति के बावजूद अब तक क्षेत्रीय आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त के वहां न जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। यथासमय वह सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

Closure of Sugar Mills in Bihar

5845. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to State :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the daily 'Aryavrat' dated the 17th April, 1972 to the effect that labourers have been rendered jobless due to the closure of Warsaliganj Sugar Mill and Guraru Sugar Mill in Bihar;

(b) if so, the main reasons for closure of these mills; and

(c) the time by which Government would get these mills restarted by extending co-operation to the Government of Bihar ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) :(a) No; the Ministry of Labour have not seen the news item in question.

(b) and (c) : Information is being collected.

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए भारी इंजीनियरी निगम के उपकरण

5846. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची द्वारा यांत्रिक उपकरण सप्लाई करने में विलम्ब किये जाने के कारण बोकारो इस्पात लिमिटेड के प्रथम चरण की प्रगति में बाधा पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो भारी इंजीनियरी निगम में इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्रावस्थाभाजित प्रेषण कार्यक्रम के अनुसार यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति में कमी उन कारणों में से एक कारण है जिसके कारण बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के निर्माण की प्रगति में बाधा आई है।

(ख) भारी इंजीनियरी निगम द्वारा आपूर्ति में विलम्ब के मुख्य कारण औद्योगिक अशान्ति, छोटे ठेकेदारों से संघटकों की धीमी गति से आपूर्ति, किल्ड किस्म की इस्पात की प्लेटों जैसे महत्वपूर्ण मालों की कमी, उत्पादिता में अपर्याप्त वृद्धि, संगठनात्मक कमियां तथा कुछ जटिल उपकरणों के मदों में, जिनका निर्माण देश में पहली बार किया गया था, आरम्भिक प्रौद्योगिक तथा उत्पादन सम्बन्धी कठिनाइयां थीं।

(ग) भारी इंजीनियरी निगम के कुछ आर्डरों को अन्य निर्माताओं को दे दिया गया है। कुछ अनुपूरक संघटकों के आयात के प्रबन्ध कर लिये गये हैं, भारी इंजीनियरी निगम के कार्यकरण की नियमित अवधि के पश्चात् समीक्षा करने के लिये मंत्रालय में एक टास्कफोर्स का गठन किया गया है, कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए मंत्रालय द्वारा बोकारो स्टील लिमिटेड तथा भारी इंजीनियरी निगम के साथ प्रायः समीक्षा बैठकें की जाती हैं। फलस्वरूप बोकारो को साज-सामान की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है।

भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण संगठन

5847. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई इस्पात कारखाने में निर्माण संगठन कब स्थापित किया गया था;

(ख) इस संगठन में कितने इंजीनियर, तकनीकी सहायक, पर्यवेक्षी तथा कार्य प्रभारित व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संगठन को अब बन्द कर देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस संगठन के सभी कर्मचारी हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में नये कर्मचारियों के रूप में काम करेंगे और उन्हें वहां स्थायी होने का अवसर प्राप्त होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : क) भिलाई इस्पात कारखाने के निर्माण संगठन की स्थापना 1956 में की गई थी।

(ख) 8-5-1972 को इस संगठन में 293 इंजीनियर, 60 तकनीकी सहायक, 692 पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा 5452 चिट्ठा कर्मचारी कार्य कर रहे थे।

(ग) चूंकि भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सौंप दिया गया है, अतः भिलाई इस्पात कारखाने के निर्माण कर्मचारी फालतू हो गये हैं।

(घ) कारखाने के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों के नाम एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्हें हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की शर्तें बताई गई हैं। जो कर्मचारी हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में नौकरी करना चाहते हैं उन्हें स्वेच्छा से त्याग-पत्रदेना पड़ेगा। तभी वे उस योजना से लाभ उठा सकते हैं तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में उनकी शर्तों पर नये सिरे से नौकरी आरम्भ कर सकते हैं।

विदेशों को दी गई सहायता

5849. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने आई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में भारत से सहायता प्राप्त की है; और

(ख) प्रत्येक देश को कितनी सहायता मिली है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1971-72 में भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्नलिखित देशों को सहायता दी गई :—

अफगानिस्तान, अंगोला, अरब, मिस्र-गणराज्य, कम्बोडिया, साइप्रस, इथोपिया, फिजी, घना, गुयाना, इंडोनेशिया, ईरान, ईराक, लाओस, मलयेशिया, मालदीपसमूह, मोरक्को, यमन लोक जन गण-राज्य, सेंनेगल, सोमालिया, सूडान, अपर वोल्टा।

(ख) प्रत्येक देश को दी गई सहायता का विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2009/72]

दिल्ली में कोयले का मूल्य

5850. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 अप्रैल, 1972 के समाचार पत्र "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" (कलकत्ता) में "दिल्ली में कोयले के ऊंचे मूल्य के लिए दोषी गिरोह" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की ओर दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) यह सत्य नहीं है कि दिल्ली में कोयला 200 रुपये प्रति टन से अधिक की दर पर बेचा जा रहा है। दिल्ली में स्टीम और स्लैक कोयले का विक्रय मूल्य भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन नियत किया गया है। दिल्ली में स्लैक कोयला का अधिकतम थोक मूल्य 100 रुपये प्रति टन है और स्टीम कोयले का मूल्य 11 रुपये प्रति क्विंटल है। स्टीम कोयले का अधिकतम फुटकर मूल्य 14·50 रुपये प्रति क्विंटल है जिसमें विक्रय कर सम्मिलित है। वैगनों की कमी के कारण, उत्तरी राज्यों में कोयले की कमी और उसके अधिक दामों पर विक्रय करने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। वैगनों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए रेलवे द्वारा सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

कागज की खरीद और उसका वितरण करने के लिए केन्द्रीयकृत एजेंसी

5851. **श्री एम० राजंगम** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में कागज खरीदने और उसको विभिन्न उद्योगों को वितरित करने हेतु एक केन्द्रीयकृत एजेंसी स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) और (ख) वर्तमान व्यवस्था के अधीन, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय कागज उद्योग के साथ दर ठेके करता है और राज्य सरकारों, रेलवे तथा भारत सरकार के लेखन सामग्री सम्बन्धी कार्यालयों को कागज की मात्रा आवंटित करता है। जबकि राज्य सरकारें तथा रेलवे अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति सीधी ही मिलों से करती हैं, वहां भारत सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भारत सरकार के लेखन-सामग्री के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। इस प्रश्न पर, कि क्या वर्तमान प्रणाली को और ज्यादा केन्द्रीयकृत किया जा सकता

है, लोक लेखा समिति की 38 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों के आधार पर समुचित विचार किया जाएगा।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनों में से कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती

5853. **श्रीमतीभार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड में कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतनों में से भविष्य निधि अंशदान की कटौती की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना धन एकत्रित किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) रबड़ बोर्ड को, अभी कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं लाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के कपड़ा मिलों में परिवार पेंशन योजना

5854. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कपड़ा मिलों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 31 अक्टूबर, 1971 तक परिवार पेंशन योजना स्वीकार कर ली है और इन कपड़ा मिलों में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या मजदूरों ने उक्त योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसको लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि 31-10-1971 को केरल में कपड़ा मिलों में 0.24 लाख भविष्य निधि सदस्यों में से 0.02 लाख सदस्य कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल हो गए थे।

(ख) और (ग) योजना के लिए प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक नहीं है जैसी कि अपेक्षित थी। उचित मूल्यांकन करने से पहले योजना को कुछ समय के लिए चालू रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

केरल के पहाड़ों में खनिजों का सर्वेक्षण

5855. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के खनिजों के पाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सर्वेक्षण करेगी ; और

(ग) यदि हां तो यह सर्वेक्षण कब किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहले ही किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में लौह अयस्क, बाक्साइट, चूना पत्थर, और ग्रेफाइट के निक्षेप और अभ्रक, क्राइसोबेरिल और स्वर्ण के प्राप्तिस्थल पाए गए हैं। केरल का भूवैज्ञानिक मानचित्र भी प्रकाशित किया गया है। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान क्षेत्र कार्यक्रम (1971-72) में, कन्नानौर, कोजिकोडे, कोट्टायम, एर्नाकुलम, अल्लोपी, क्वीलोन और तिरुवनन्तपुरम जिलों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और कन्नानौर, कालीकट, त्रिचुर और तिरुवनन्तपुरम जिलों में बाक्साइट का निर्धारण, पालघाट जिले में चूना पत्थर, कोजिकोडे जिले में लौह अयस्क और क्वीलोन और तिरुवनन्तपुरम जिलों में अभ्रक और क्राइसोबेरियल का निर्धारण भी सम्मिलित है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दसवर्षीय (1969-79) योजना की प्रथम प्रावस्था में, जो इस समय प्रगति में है, लौह अयस्क, बाक्साइट, ग्रेफाइट, अभ्रक, क्राइसोबेरिल और चूना पत्थर का व्यवस्थित मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज निर्धारण भी सम्मिलित है। पश्चात्वर्ती कार्य अभिप्राप्त परिणामों पर निर्भर करेगा।

केरल में काजू, नारियल जटा तथा हथकरघा उद्योगों में मजदूर संघ

5856. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काजू, नारियल जटा तथा हथकरघा उद्योगों में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) ऐसे मजदूर संघों के नाम क्या हैं जिनकी सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है ; और

(ग) क्या सभी मजदूर संघ मान्यता प्राप्त हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) इस प्रश्न की विषय-वस्तु राज्य क्षेत्राधिकार में आती है।

केरल के उद्योगों में बोनस संबंधी फार्मूला लागू करना

5857. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस संबंधी घोषित फार्मूला केरल में लागू कर दिया गया है ; और

(ख) क्या यह फार्मूला सभी उद्योगों पर भी लागू किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) स्पष्टतः यह प्रश्न उस तदर्थ फार्मूले से सम्बन्धित है, जो बोनस अदायगी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत कुछ मामलों में न्यूनतम बोनस के अलावा वर्गीकृत अग्रिमों की अदायगी के बारे में बम्बई में सितम्बर, 1971 को तय किया गया था। इस फार्मूले में कोई कानूनी शक्ति नहीं है। यह मालूम नहीं है कि यह केरल के सभी उद्योगों ने अपना लिया है या नहीं।

आंध्र प्रदेश अभ्रक मजदूर संघ, गुडूर से ज्ञापन

5858. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री आंध्र प्रदेश अभ्रक मजदूर संघ, गुडूर से ज्ञापन के बारे में 27 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4166 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ से प्राप्त ज्ञापन में उल्लिखित मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनावज खां) : संघ के ज्ञापन में अंतर्विष्ट मांगें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

ई० पी० डी० पी० कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में विवादग्रस्त प्लाटों के बदले में प्लाटों का आवंटन

5859. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० पी० डी० पी० कालोनी, कालाकाजी, नई दिल्ली में 1971 में 24 आवेदकों को 233 वर्ग गज के प्लाट उन प्लाटों के स्थान पर आवंटित किए गए जिन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था अथवा जिन पर मुकद्मा चल रहा था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या आवेदकों को आवेदन-पत्र देने के लिए 4 जनवरी, 1966 तथा 13 अगस्त, 1967 को जारी किए गए प्रेस नोटों के अतिरिक्त अलग प्रेस नोट जारी किए गए थे ; और

(ग) यदि अगस्त, 1967 के पश्चात् कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था तो इन 24 प्लाटों का आवंटन किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 233 वर्ग गज की श्रेणी के प्लाटों के आवंटन (एलाटमेन्ट) में, उन प्लाटों के स्थान पर जिन पर, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था अथवा जिन पर मुकद्दमा चल रहा था, और कोई प्लाट शामिल नहीं किया गया था। अनुमानतः यहां 233 वर्ग गज की श्रेणी के उन 24 प्लाटों का हवाला दिया गया है जो कि 25-9-1971 को निकाली गई लाटरी के परिणामस्वरूप आवंटित किए गए थे। इस एलाटमेन्ट के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं, जिन्होंने दो प्रेस नोटों के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र दिए थे किन्तु जिनके मामले में संदेह का स्पष्टीकरण, सहायक दस्तावेजों की प्रस्तुति और जांचपड़ताल का काम उस समय तक पूरा नहीं हुआ था जबकि 21-9-1969 को लाटरी निकाली गई थी। इसमें रक्षा सेवा के कुछ सदस्य भी शामिल थे जिनके मामले में आवेदन-पत्र देने की अन्तिम तारीख में छूट दे दी गई थी और दिल्ली में रहने की शर्त भी हटा दी गई थी। इस सम्बन्ध में 30 3-1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1554 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Retrenchment in MICA Industry and Shifting of Machines by Mine-Owners

5860. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether after the declaration made by him in the Lok Sabha in regard to nationalisation of mica trade, more than ten thousand labourers employed in the industry have been retrenched and if so, the reasons therefore;

(b) whether the mica mine-owners have started shifting costly machines and other material from the mines; if so, the reaction of the Government thereto; and

(c) the action taken by the Government to stop retrenchment of the labourers and to prevent the shifting of machines, material etc. and the result thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) The Minister of Labour and Rehabilitation has not made any declaration about the nationalisation of the mica trade.

(b) and (c) Information about retrenchment and shifting of machines and materials is being collected.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a matter of urgent Public Importance

दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम को भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई बन्द किये जाने की चेतावनी के बारे में कथित समाचार ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, I call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported warning by Bhakra management Board to discontinue power supply to Delhi Electric Supply Undertaking for its failure to clear the arrear dues."

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड से करार के प्रारूप के आधार पर अप्रैल 1955 से विद्युत् लेता रहा है । तब से दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान और भाखड़ा प्रबंध बोर्ड के बीच इस संबंध में एक विवाद चला आ रहा है कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान भाखड़ा से कितनी मात्रा में विद्युत् लेने का हकदार है और संशोधित कर किस तारीख से लागू किया जाना है । ऐसे कई अवसर आये हैं जब दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने अपनी खरीद में कटौती कर और अपनी ताप प्रणाली से विद्युत् देकर दोनों ही तरह से भाखड़ा प्रणाली की सहायता की थी । भाखडा प्रबन्ध बोर्ड ने दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान से लगभग 6.5 करोड़ रुपये की बकाया राशि की अदायगी का दावा किया है । दोनों ही पक्षों ने पन्द्रह दिन पहले सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से विवाद का अन्त करने में सहायता करने का प्रस्ताव किया है । विद्युत् सप्लाई को बन्द करने का कोई भी नोटिस दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को नहीं भेजा गया है । जब तक इस मामले का निपटान नहीं हो जाता, भाखड़ा से दिल्ली को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई बन्द नहीं की जाएगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has not referred to several points in his statement. The Bhakra Management Board has written to the Central Government regarding the amount due against the Delhi Electricity Supply Undertaking. But the Government has done nothing in this regard, The matter has been pending for the last several years :

There are three different rates of electricity in Delhi. I want to know what steps Government intend to take to make them uniform ?

I want to know whether at is correct that Bhakra Supplies 7 lakh units of electricity to Delhi but Delhi also Supplies 10, 12 lakh units of electricity to it. In case Bhakra discontinues Supplying electricity, to Delhi, Delhi will also discontinue supplying electricity to Bhakra. I want to know what steps are being taken to solve this problem easly ?

डा० के० एल० राव : मानवीय सदस्य द्वारा अपेक्षित जानकारी उत्तर में दे दी गई है। 6.5 करोड़ रुपये का दावा किया गया है। भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने यह दावा किया है कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय की ओर उसकी 6.5 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। यह मामला काफी समय से नहीं लटक रहा है। यह मामला हमारी जानकारी में कोई पन्द्रह दिन पूर्व लाया गया था और हमसे इन दोनों के बीच मध्यस्थता करने का अनुरोध किया गया था और ऐसा किया जायेगा। भाखड़ा द्वारा दिल्ली को दी जा रही बिजली में कटौती नहीं की जायेगी। यह उत्तर में भी बता दिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Three crore rupees of Delhi Electrycity Undertakings are notstanding against New Delhi Municipal Committee. The hon. Minister has stated nothing in that regard. I also want to know as to what efforts are being made to remove the difference in the rates of electricity prevailing in Delhi ?

डा० के० एल० राव : यह अलग प्रश्न है। यह प्रश्न दिल्ली विद्युत् प्रदाय की ओर भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड की बकाया राशि से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विद्युत् प्रदाय के बारे में पूछ रहे हैं। नई दिल्ली नगरपालिका ने हमें इस बात की कोई सूचना नहीं दी है कि उसकी ओर दिल्ली विद्युत् प्रदाय की कोई धनराशि बकाया है। यदि उक्त नगरपालिका हमें लिखे तो हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं।

Shri Mool Chand Daga (Pali) : The Bhakra Management Board has served a notice that in case six crores five lakhs of rupees are not paid within two months, the electric supply to Delhi will be stopped. I want to know what action Government intend to take in this regard ?

डा० के० एल० राव : सरकार को भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। भाखड़ा बोर्ड प्रबन्ध ने एक संकल्प पारित कर सिंचाई और विद्युत मंत्री से इस मामले को हल करने का अनुरोध किया है। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह बिजली की सप्लाई में कटौती न होने दे।

भारत सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि दिल्ली को सप्लाई की जाने वाली बिजली में किसी प्रकार की कमी न की जाय।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : यदि भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दी गई चेतावनी को व्यवहार में लाया जाता तो उद्योग बन्द हो जाते और बेरोजगारी बढ़ जाती। उन्होंने इस चेतावनी के लिए वर्ष के सबसे गर्म महीने मई और जून को चुना है। ऐसा अनेक बार किया जा चुका है। पोंग बांध के एक लाख लोगों को बसाने का आश्वासन दिया गया था। भाखड़ा बांध से 20 वर्ष पूर्व निकाले गये व्यक्तियों को बसाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमारे दल की नीति यह है कि प्रत्येक घर को बिजली और पानी सप्लाई किया जाये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दी गई चेतावनी लगभग सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी। ऐसा संकल्प पारित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या इस मामले की जांच के लिए संसदीय समिति की नियुक्ति की जायेगी ?

डा० के० एल० राव : भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया है। संकल्प पारित करने का अभिप्राय नोटिस देना नहीं है। इस सम्बन्ध में दिया गया उत्तर स्पष्ट है। पोंग बांध से निकाले गये कर्मचारियों का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इकाई परियोजना से सम्बन्धित एक लाख व्यक्तियों को बसाया गया है और उन्हें 5 करोड़ रुपये से कुछ कम मुआवजा दिया गया है। इस मामले में भी हम 48 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब दो संस्थाएं होती हैं तो उन दोनों के विचारों में अन्तर होता है। अतः इस सबन्ध में कोई त्रुटि नहीं है।

Shri S.P. Verma (Nawada) : The hon. Minister has not started the reasons for the outstanding amount of Rs. 6.5 crores of the Bhakra Management Board. I want to know the reasons for delay in settling the dispute between Bhakra Management Board and DESU.

There are three different rates of electricity in Delhi. It is due to this reason that such a big amount is due.

I want to know whether the Government intend to set up an Electric Corporation to supply electricity to the consumers at some uniform rate ? I also want to know as to when the dispute regarding the dues between Bhakra Management Board and DESU will be settled ?

डा० के० एल० राव : उक्त राशि के बढ़ने का पहला कारण यह है कि भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड की बिजली की सप्लाई 60 मेगावाट है जबकि दिल्ली विद्युत् प्रदाय के अनुसार यह 80 मेगावाट होनी चाहिये। दूसरे, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के अनुसार, बिजली की दर 7.93 पैसे प्रति यूनिट होनी चाहिये जबकि दिल्ली विद्युत प्रदाय के अनुसार यह दर 4.3 पैसे प्रति यूनिट होनी चाहिये। तीसरे, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के अनुसार इसकी तारीख 10 दिसम्बर, 1968 होनी चाहिये जबकि दिल्ली विद्युत प्रदाय के अनुसार यह तारीख 1 अप्रैल, 1970 होनी चाहिये।

इन्हीं मतभेदों के कारण यह राशि 6.5 करोड़ है। इन सब मतभेदों की सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा जांच की जायेगी। यह मामला हमें केवल 15 दिन पूर्व भेजा गया था और इस मामले की जांच करने में कुछ समय लगेगा और तभी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Shri S.P. Verma : I want to know whether Government propose to convert it into a Corporation and supply electricity to Delhi at uniform rates ?

डा० के० एल० राव : दिल्ली विद्युत् सप्लाई उपक्रम के पुनर्गठन के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है परन्तु इसको क्या रूप दिया जायेगा, इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री हरिकिशोर सिंह (पुरी) : हमें माननीय मंत्री से यह आश्वासन प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि दिल्ली को विद्युत की सप्लाई नहीं काटी जायेगी । परन्तु यह बुरी बात है कि दो सरकारी विभाग आपस में लेन-देन पर झगड़ा कर रहे हैं । ऐसा अनेक विभागों के मध्य हो रहा है । क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं को हल किया जा सके ?

दिल्ली के विभिन्न भागों में विद्युत् सप्लाई की दरों में अन्तर को दूर करने का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे मामले हैं जहां एक उपक्रम की ओर दूसरे की राशि बकाया है ?

डा० के० एल० राव : ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, इस उद्देश्य हेतु अधिनियम में पर्याप्त व्यवस्था है ।

प्रत्येक राज्य विद्युत् बोर्ड की राशि किसी न किसी एजेन्सी पर बकाया है, सरकार ने दरों की गणना के बारे में निर्देश दे रखे हैं, परन्तु फिर भी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं । मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हीराकुड विद्युत की दरों के बारे में मतभेद हैं । मैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से हल कर रहा हूं ।

जहां तक दिल्ली में समान दरों का प्रश्न है हमने इस विषय पर अभी विचार नहीं किया । मैं देखूंगा कि क्या इसमें कुछ समायोजन हो सकता है ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

'दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस' बम्बई के सम्पादक से स्पष्टीकरण

अध्यक्ष महोदय : श्री नरेन्द्र कुमार सांघी ने अपने 2 अप्रैल 1972 के पत्र में यह शिकायत की थी कि 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस बम्बई ने अपने 1 अप्रैल 1972 के अंक में दो समाचार प्रकाशित

किये थे और यह कहा था कि उसने यह समाचार 'फाइनेंशियल एक्सप्रैस ब्यूरो' से लिया है, हालांकि वे समाचार सभा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में दी गई जानकारी पर आधारित थे ।

'फाइनेंशियल एक्सप्रैस' बम्बई के सम्पादक को इस बारे में पूछा गया था और उन्होंने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि वे समाचार संसद में उठाये गये प्रश्नों के लिखित उत्तरों पर आधारित थे । उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस संसद के कोरम के अन्तर्गत प्रकाशित करना उचित नहीं समझा क्योंकि वह इसके अनुपूरक प्रश्न नहीं दे रहे थे । उन्होंने यह भी कहा है कि उनका इरादा संसद के महत्व को कम करना नहीं था । उन्होंने यह भी कहा कि 'फाइनेंशियल एक्सप्रैस' संसद के विशेषाधिकार को भंग करना नहीं चाहता ।

यदि समाचार पत्र इन समाचारों के सम्बन्ध में संसद की कार्यवाही का उल्लेख कर देता तो अच्छा होता । मुझे आशा है कि भविष्य में वह सावधानी से काम लेंगे । इस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए ।

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में
RE : CALL ATTENTION NOTICE

(प्रश्न)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपको पता है कि हमने कर्मचारियों की भविष्य निधि के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में भी इसका उल्लेख किया गया था । इस बारे में श्री वाजपेयी ने भी एक नोट दिया था ।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार ने कर्मचारियों के अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया है । वे श्री खाडिलकर के घर के और श्रमशक्ति भवन के सामने धरना दे रहे हैं । मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : No decision has been taken as to what is the status of the employees of the Employees Provident Organisation. No decision has also been taken about their payscales. The hon. Minister should throw some light on this.

Shri G. Venkatswamy (Siddipet) : Being the President of the Federation of Employees, I know that the Board of Trustees decided that the H.R.A. of the employees may be raised but the Government has rejected this proposal.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय मंत्री को ही इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए, न कि उप-मंत्री को ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : इसलिए मैंने यह कहा था कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2004/72**]

अनुदानों की मांगें, 1972-73
DEMANDS FOR GRANTS

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए तीन घण्टे का समय रखा गया था, जिसमें से एक घण्टा और पांच मिनट का समय व्यतीत हो चुका है । मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए आधे घण्टे का समय चाहिए होगा ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

प्रत्येक अस्पताल में डाक्टरों और औषधियों की कमी है । इसके साथ-साथ जिलों में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों आदि की भी कमी है । कल राज्य मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि इरविन अस्पताल में जो एकरोमाइसीन दी जा रही है, उसका स्टैण्डर्ड अपेक्षित नहीं है ।

हम जानते हैं कि 1954 में जो खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम पास किया गया था वह अपने उद्देश्य में असफल रहा है। माननीय मंत्री ने कल बताया था कि इस औषधि के निर्माताओं तथा सप्लायरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि दिल्ली प्रशासन के पास अपेक्षित शक्तियां नहीं हैं। वास्तव में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति का कार्य उचित हाथों में नहीं सौंपा गया।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार, खाद्य का प्रत्येक चौथा पैकेट अपमिश्रित है। यदि राष्ट्र में खाद्य की यही स्थिति रही तो भविष्य में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम की उचित क्रियान्विति के लिए एक योजना, योजना आयोग के समक्ष रखी गई थी परन्तु उक्त योजना को योजना आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था। मेरी राय यह है कि इस अधिनियम की क्रियान्विति के कार्य को स्थानीय निकायों से लेकर राज्य सरकारों को सौंपा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को भी इसके पर्यवेक्षण का कार्य अपने हाथ में रखना चाहिए।

मुझे पता लगा है कि थोक विक्रेता को परचून विक्रेता को एक प्रमाणपत्र देना होता है कि यह खाद्य बिलकुल शुद्ध है। परन्तु कोई भी थोक विक्रेता इस आशय का प्रमाणपत्र परचून विक्रेता को नहीं देता। मेरे विचार में निर्माता को यह प्रमाणपत्र थोक विक्रेता को देना चाहिए।

कनाडा में तथा अन्य देशों में एक लेबल लगाया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि यह खाद्यान्न अपमिश्रित नहीं है और इस कानून को तोड़ने वाले को कठोर दण्ड दिया जायेगा। हमारे यहां भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

लगभग 90,000 गांवों में पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, लगभग चार लाख गांवों में नदियों और तालाबों से पानी की व्यवस्था की जाती है। मेरे विचार में ये अच्छे साधन नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि पीने के पानी की सप्लाई को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दिल्ली में ऐसे महीनों में जबकि पानी की अधिक आवश्यकता होती है, पानी की सप्लाई में कटौती कर दी जाती है। इसके साथ जलदूषण की समस्या भी विद्यमान है। इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।

प्रत्येक राज्य की सहायता की जानी चाहिए जिससे वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अध्ययन के लिए कालेज खोल सकें। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए पटियाला में केवल एक कालेज है। पहाड़ों में अनेक जड़ी-बूटियां हैं। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए।

कल डा० मेलकोटे योग प्रणाली के बारे में बोल रहे थे। परन्तु मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्राय हम इस प्रणाली से दूर हो जाते हैं। इसके विकास के लिए भी और अधिक अवसर उत्पन्न किये जाने चाहिएं।

'हिन्दू' में इस आशय का समाचार छपा है कि मैसूर सरकार ने मेडिकल कालेजों में दाखिले में ५० प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है। यह उचित नहीं, क्योंकि दूसरी ओर चौथी पंचवर्षीय योजना में हम कालेजों की संख्या को 97 से बढ़ाकर 105 करने जा रहे हैं। हमें कालेजों में विद्यमान बुराइयों को दूर करना चाहिए, न कि दाखिले में कटौती।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Davendra Singh (Satna) : The Malaria Eradication programme is going on in every State for the last so many years but it has failed to achieve its objects. I would suggest that the doctors who have obtained necessary experience in this field should be posted to the key-centres. Necessary facilities should be provided to them so that they may be able to go to the villages and take necessary steps for eradicating this disease.

The Government have also failed to implement the schemes mentioned at pages 129 and 130 of the mid-term appraisal of the Fourth Plan.

More beds should be provided in District hospitals, keeping in view the increase in population. Encouragement should also to given for the construction of private wards.

The Family Planning budget should be reduced and the funds saved thereby should be spent on rural education. Once the education is spread in the villages, the people will themselves take necessary measures to check the birth rate. Corruption is rampant in this Department.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : परिवार नियोजन के क्षेत्र में मंत्रालय ने जो अच्छा कार्य किया है, उसके लिए मैं इसे बधाई देता हूं। भारत विश्व में प्रथम देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है। इस विभाग ने 1961 से ले.र अब तक अच्छा कार्य किया है।

यह निर्णय किया गया है, 1973-74 में जन्म दर को प्रति हजार 32 कर दिया जाये। चौथी योजना में इसके लिए 315 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में हजारों केन्द्र/उपकेन्द्र खोले गये हैं। यह बड़े असन्तोष की बात है कि इतना कार्य किये जाने के बावजूद जनसंख्या की वृद्धि की दर बढ़ रही है।

मेरा सुझाव है कि गांवों में स्थानीय नेताओं को इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए।

जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उनमें परिवार नियोजन का प्रचार जोरों से किया जाना चाहिए। गरीब लोगों को इससे बहुत कम लाभ हुआ है। इस प्रकार के उपाय किये जाने चाहिएं कि यदि कोई परिवार इसको स्वीकार नहीं करता तो उनको शिक्षा तथा आवास के क्षेत्र में सुविधाएं न दी जाएं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पहलू पर विचार करेंगे। जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए परिवार नियोजन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पहलू पर भी विचार करेंगे।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : प्रतिवेदन में बताया गया है कि देश में चौथी योजना के अंत में स्वास्थ्य सेवाओं में डाक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की कमी होगी। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहियें।

तीन साल पहले सिल्चर में एक मेडिकल कालेज खेला गया। परन्तु उस कालेज के लिए अपेक्षित अस्पताल अभी तक नहीं खोला गया है। यह अस्पताल खोलने की ओर आसाम सरकार द्वारा उचित उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है, हालांकि आसाम सरकार इसके लिए वचनबद्ध है।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि डाक्टरों को प्रति मास 150 रुपये के अतिरिक्त भत्ते के बावजूद नेफा और त्रिपुरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए डाक्टर नहीं मिलते। कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रोत्साहन अधिक नहीं। अतः इस राशि में वृद्धि की जानी चाहिये।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 371 शहरी परिवार नियोजन केन्द्र स्वैच्छिक संगठनों के अन्तर्गत चल रहे हैं। इसी प्रकार स्वैच्छिक संगठनों के अधीन नर्सों और धायों के प्रशिक्षण के 69 केन्द्र चल रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं कि स्वैच्छिक संगठनों को इस बारे में प्रोत्साहन दिया जाये और कार्य को व्यापक रूप देने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाये। अनेक वर्षों से सिल्चर में स्वैच्छिक संगठन के अधीन एक शहरी परिवार नियोजन केन्द्र चल रहा था। प्रारम्भ में इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से समय पर सहायता मिल जाया करती थी, परन्तु जब से सहायता का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है,इस स्वैच्छिक संगठन को समय पर सहायता मिलनी बन्द हो गई। इस प्रकार की स्थिति में स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रभावशाली कार्य की अपेक्षा कैसे की जा सकती है ?

प्राक्कलन समिति के अनुसार शिशु पौषाहर पर्याप्त नहीं है। सभी राज्य सरकारों को स्कूलों के माध्यम से बच्चों को समुचित पौषाहर देना चाहिए।

बजट में जल सम्भरण और सफाई के लिए 404.48 करोड़ रुपये का उपबंध है। केन्द्र द्वारा राज्यों को इस कार्य के लिए एकमुश्त ऋण और एकमुश्त अनुदान दिए जाते हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले वर्षों में इस धनराशि का समुचित तथा सन्तोषजनक उपयोग नहीं हुआ। गांवों में पेय जल के लिए खोदे गए कुओं का उपयोग नहीं होता। उनमें से कुछ सूख गए हैं। उनकी देख-भाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन पर किए गए व्यय को व्यर्थ जाने से रोकने के लिए उनकी देखभाल के प्रबन्ध किए जाने चाहिएं।

भारतीय रेडक्रास संस्था का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। बंगला देश के शरणार्थियों को सहायता देने पर इस संस्था ने एक करोड़ रुपये व्यय किए। यह संस्था पश्चिम बंगाल के 60 प्रतिशत शिविरों में और आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के सभी शिविरों में क्रियाशील थी। प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया है कि खाद्य अपमिश्रण के कितने मामले पकड़े गए और कितने मामलों में दण्ड दिया गया।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : Family Planning Programme is very useful for our country, but the way it is being implemented certain misgivings have been raised in the

minds of people. Under this Programme, operations are conducted in Hospitals, but there is no after-care service. If certain complications arise thereof, it creates bad taste amongst other people. Is order to avoid it, after-care service should be introduced.

In certain cases it has happened that pregnancy has taken place even after operations. Such happening cause bitterness in families in rural areas specially, as people in such areas are mostly uneducated and they do not understand that such things could happen. Therefore, people should be properly educated about this.

Incentives vary in different States for operations. There should be uniformity in the country in this regard.

Certain irregularities also crept in the programme. People are coerced into undergoing such operations. Young boys, old persons and beggars have been forced to undergo such operations. This is not proper. If such things are not checked, people will lose faith in this useful programme. Services of local bodies, Gram Panchayats, social workers, etc. should be utilized for this programme, instead of utilizing the services of Patwari, Tehsildar or S. P.

It is a matter of great pleasure that Malaria has been controlled in our country, but fears are again being raised about this fever. Government should make efforts to check the spread of this disease.

Small-Pox is also a serious disease. Proper steps are not being taken in rural areas to check the spread of this disease. Primary Health Centres in villages and Development Blocks are not equipped with Doctors. Such arrangements should be made so that people could get proper medicines in Dispensaries.

Root cause of spread of diseases in villages is that people do not get pure drinking water. Central Government should make proper arrangements in this regard.

श्री देवेन्द्रनाथ महता (पुरूलिया) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। देश में से मलेरिया, हैजा और चेचक जैसे रोगों का उन्मूलन कर दिया गया है। 30-40 वर्ष पूर्व सैंकड़ों लोग इन बीमारियों से मरा करते थे। परिवार नियोजन विभाग भी नगरीय क्षेत्रों में काफी कार्य कर रहा है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-स्वास्थ्य केन्द्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित तो किए जाते हैं परन्तु उनमें कार्य करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की कमी है। यहां तक कि वर्षों के पश्चात् भी कई केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं। ग्रामीण जनता को बीमारी के दौरान मुख्यालय के अस्पतालों में जाना पड़ता है और फिर वहां पर भी काफी पैसे खर्च किए बिना उनकी देखभाल नहीं होती है। गांवों में डाक्टरों के न जाने का कारण यह है कि उन्हें उन क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलतीं। सरकार एक डाक्टर के तैयार करने पर 85000 रुपये व्यय करती है परन्तु फिर भी वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार नहीं। कलकत्ता में 40,000 ऐसे डाक्टर हैं जो कि बिना काम के हैं, परन्तु यदि उन्हें काम देकर गांवों में भेजा जाता है तो वे वहां जाना स्वीकार नहीं करते। मेडीकल कालेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है परन्तु यदि ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने को तत्पर नहीं तो ग्रामीण लोगों को किस प्रकार चिकित्सीय सहायता प्राप्त होगी ?

मेडिकल कालेजों में दाखिला देते समय यह शर्त लगाई जानी चाहिए कि पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् उनको 3-5 वर्ष तक ग्रामीण औषधालयों में कार्य करना पड़ेगा अन्यथा उन्हें डिग्री नहीं मिलेगी। दूसरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही मेडिकल कालेज खोले जाएं। इससे निर्धन छात्रों को भी इन कालेजों में दाखिले के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ग्रामीण लोगों के लिए न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं। पहले की ही तरह एल. एम. एफ. डिग्री को फिर से लागू किया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए काफी लोग मिल सकेंगे।

मिदनापुर के लोग मेडिकल कालेज की मांग कर रहे हैं, परन्तु वह पूरी नहीं की जा रही है। पुरूलिया, बांकुरा तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कलकत्ता के मेडिकल कालेज में प्रवेश प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। चिकित्सा की आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियां, योग तथा प्राकृतिक पद्धतियां, जो कि सस्ती हैं, लागू की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सस्ती दवाइयों पे अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

दूषित जल ही बीमारियों का मुख्य स्रोत है। आजादी के 25 वर्ष पश्चात् भी हम अधिकतर गांवों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं करवा सके। भारत में 5.65 लाख गांव हैं। वर्ष 1971 तक केवल 20,000 गांवों में ही जल के नलों की व्यवस्था की गई थी। 4.55 लाख गांव ऐसे हैं जिनमें हैन्ड पम्प, कुएं आदि हैं। 90,000 गांव अभी भी ऐसे हैं जिनमें एक मील तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

पुरूलिया, बांकुरा और मिदनापुर जैसे क्षेत्र कठोर चट्टानों वाले हैं। उनमें नलकूप नहीं खोदे जा सकते। बंगला देश से शरणार्थी आने पर 'यूनीसेफ' द्वारा दिए गए उपकरणों से पुरूलिया जिले के कुछ क्षेत्रों में लगभग 200 नलकूप खोदे गए। अतः कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में नलकूप खोदने के लिए उक्त प्रकार के उपकरण प्राप्त किए जाने चाहिये। अन्यथा इन क्षेत्रों को कभी भी पानी नहीं मिल सकेगा। "गरीबी हटाओ" की बात कहते हुए भी यदि हम ग्रामीण लोगों को पेय जल न उपलब्ध करवा सके तो और क्या करेंगे ?

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रसार के लिए अनुसूचित जातियों की लड़कियों को प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार (गुलबर्ग) : यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि तन्दरुस्ती हजार नयामत है। अतः अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना हर नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्नत तथा प्रगतिशील राज्यों के साथ हम अपने देश की तुलना करें तो पाते हैं कि हमारे देश में सभी वस्तुएं अपमिश्रित मिलती हैं।

श्री माधुर्य हालदार (मथुरापुर) : महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। घंटी बजाई जा रही है।... अब गणपूर्ति है।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार : पंचवर्षीय योजनाओं में इस कार्य के लिए धनराशि के नियतन को देखते हुए प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा 'स्वास्थ्य' को महत्व दिया जा रहा है। पहली योजना में इस पर 140 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, जो चौथी योजना में 435 करोड़ है। परन्तु इस व्यय को देखते हुए हमें प्राप्त क्या हो रहा है ? देश में अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या 2,69, 825 है। इसके अनुसार 2220 व्यक्तियों के लिए एक बिस्तर की प्रतिशतता बैठती है। इस दर पर सारे देश में निःशुल्क डाक्टरी सहायता का प्रबन्ध करने में 50 वर्ष का समय लगेगा।

देश के 5,142 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 300 केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं। 300 केन्द्र ऐसे हैं, जिनमें 2 डाक्टरों के स्थान पर एक डाक्टर है। मेरा सुझाव है कि डाक्टरी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाया जाये।

डाक्टरों की सेवा परिस्थितियां अत्यन्त दयनीय हैं। मेरे अन्य सुझाव ये हैं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होनी चाहिये। सारे देश में निःशुल्क डाक्टरी उपचार उपलब्ध होना चाहिये। विदेशी औषधियां बन्द होनी चाहियें। 'केपीटेशन' फीस बन्द होनी चाहिये प्रवेश के इच्छुक लोगों से पैसे लेना एक प्रकार से डिग्री बेचना है, वास्तविक पढ़ाई कराना नहीं।

विदेशों में पढ़े हुए डाक्टरों के स्थान पर स्वदेशी डाक्टरों को प्रोत्साहन देना चाहिये। मेडिकल कालेज ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने चाहियें। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, अतः बड़े-बड़े अस्पताल व मेडीकल कालेज गांवों में ही खोले जाने चाहिएं।

हम स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मनाने जा रहे हैं, परन्तु देश में अभी भी 1,26,000 गांव ऐसे हैं जिनके एक मील के भीतर पेय जल उपलब्ध नहीं। इस कार्य को युद्ध स्तर पर हाथ में लिया जाए और छः मास या एक वर्ष की अवधि में लोगों को पेय जल उपलब्ध करवाया जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 100 व्यक्ति चेचक से मर गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को तत्काल अनुदेश जारी करे कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

परिवार नियोजन के संबंध में हमें सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि समाज के कुछ वर्गों द्वारा परिवार नियोजन को अपनाया नहीं गया है। जब यह सभी वर्गों पर लागू हो, तभी हम सन्तोषजनक परिणामों की आशा कर सकते हैं।

Shri Ziaur Rahman Ansari (Unnao) : I rise to support the demands of this Ministry. There is no doubt that after Independence, we have been able to control a number of diseases. It can also not be denied that Medical Science has progressed much in this period. It would be a retrograde step if we do not make use of the strides in Medical Science. But still it is not advisable to completely neglect the indigenous systems of medicine.

We have not been able to open adequate dispensaries in the country. Even Doctors, Nurses, Compounders and mediciners are not available where dispensaries are available.

Government has clubbed the three indigenous systems of medicine, Ayurvedic, Unani and Sidha into one system by lebelling them as Indian system of Medicine, though these three systems are totally different from each other. Since the recognition of Indian Systems of Medicines, on Adviser for any system, except for Ayurvedic System has been appointed so far. A separate Adviser should, therefore, be appointed for Unani as well Sidha Systems of Medicine.

The Ministry had assured the Parliament that Unani dispensaries would also be opened under C. G. H. S. Scheme. But no such dispensary has so far been opened.

Shri Arvind Netam (Kanker): It is the policy of the Government to establish one big Hospital in each District. Certain areas in Madhya Pradesh comprise 1500 sq. miles whereas there are some others which comprise 16,000 sq. miles. One Hospital cannot serve properly such big districts. I, therefore, request that Medical facilities available particularly in Bastar and Sarguja Districts should be expanded.

It is a fact that Adivasis are not taking proper advantage of the medical facilities available. Ignorance and superstitiousness are the reasons for this state of affairs. The Government should make efforts to awaken them.

Primary Health centres were set up at Koylehera Block of Narayanpur Tehsil and usur Block of Bijapur. But in the absence of Doctors, Nurses, Compounders etc. these centres are not working. The buildings constructed for these centres are lying vacant. A building is at present being constructed for Family Planning Centre in this Tehsil. Why the building constructed for Primary Health Centre, which is lying vacant, is not being put to use for family planning centre is not clear.

Working of Family Planning Schemes is not satisfactory in my District. Force is being used for implementing this programme. My District topped the list in respect of Family Planning Programme whereas for other diseases etc. not more 30 persons visit Hospitals. The Government has instructed each social worker to bring a certain number of Family Planning Cases. It has resulted in Forced Family Planning. It should not be allowed to happen.

A married Adivasi boy was operated. That boy was the only child of his parents. Such happenings create misunderstanding in the minds of people.

There is discrimination with regard to the payment of reward for undergoing vesectomy operation. A person in my district is paid Rs. 10/- whereas in other Districts, such persons are allowed Rs. 20/- This discrimination should be stopped.

District Bastar is a Malaria infested area. Spraying of D. D. T. in that District has been a total failure. Government should make serious efforts to eradicate malaria from that area.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : कई माननीय सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की असन्तोषजनक स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की कमी तथा खाद्यान्नों और औषधियों में अपमिश्रण का उल्लेख किया है।

यह सत्य है कि सरकार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकी परन्तु फिर भी पिछले दो शतकों में हमने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। यह आरोप लगाया गया है कि बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं। कुल 5131 केन्द्रों में से केवल 179 केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1960 में लगभग 20 प्रतिशत केन्द्रों में डाक्टर नहीं थे परन्तु 1971 में केवल 3.4 प्रतिशत केन्द्र डाक्टरों के बिना हैं। यह आंकड़े बदलते रहते हैं। इसी प्रकार केवल 250 सामुदायिक विकास खण्ड ऐसे हैं जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। चौथी योजना में हम 5400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 40,000 उप केन्द्र खोलना चाहते हैं। योजना में इसके लिए 32.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

इसके लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मंत्रालय इस समस्या की गम्भीरता से अवगत है। हमने इस संबंध में आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य का खाका बनाया है, हमारा विचार वर्ष 1992 तक 10,600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है, जिनकी संख्या इस समय 5400 है, वास्तविक उपलब्धि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, हमारा उद्देश्य 1992 तक 4000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर 25 शय्याओं वाले अस्पतालों का रूप देने का है और इन्हें अपेक्षित उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा। इस समय मंत्रालय एक प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है जिसके अन्तर्गत देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में तीन या चार वर्षों की अवधि में पंजीकृत मेडीकल चिकित्सकों को लगभग चार महीनों का प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाओं का उपभोग वहां किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत इन चिकित्सकों को सामान्य रोगों की पहचान तथा उनका इलाज करने की विधि, स्वास्थ्य शिक्षा, गंभीर रोगियों को अस्पतालों में भेजने के बारे में बताया जायेगा। उद्देश्य यह है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी डाक्टरों को प्रशिक्षण देने के उपरान्त उन्हें सामान्य बीमारियों के लिए उपचार हेतु दवाइयों का एक थैला दिया जायेगा। अभी इसको 21 राज्यों के 29 जिलों में मार्गदर्शी परियोजना के रूप में चलाया जायेगा। यदि छः महीनों में इस मार्गदर्शी परियोजना का परिणाम संतोषजनक रहता है तो इसको समूचे भारत में चलाया जायेगा। इस मार्गदर्शी परियोजना पर अनुमानतः 2.6 करोड़ रुपये व्यय होंगे और समूचे देश के लिए 180 करोड़ रुपये की लागत आयेगी जो इससे कुछ अधिक या कम हो सकती है। हम इस समस्या की गंभीरता से अवगत हैं तथा चाहते हैं कि यथासंभव इसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही की जाये। जहां तक ग्रामीणों के लिये अपर्याप्त पेय जल का प्रश्न है, सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना तक 130 करोड़ रुपये व्यय किये जो निश्चय ही बहुत कम हैं। चौथी योजना के लिए इस उद्देश्य हेतु 125 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं और लगभग 29000 गांवों को पाइप द्वारा पेय जल की सप्लाई की जायेगी। चौथी योजना तक अनुमानतः 41 प्रतिशत जनसंख्या को पेय जल की सप्लाई करने की व्यवस्था की जायेगी। मैं स्वीकार करता हूँ कि इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में गांवों के लिए पेय जल की व्यवस्था न की जा सकेगी। इस योजना की अवधि में 1,50,000 गांवों में से 28,000 गांवों में पानी की सप्लाई की जायेगी। लेकिन फिर भी 1,24,000 गांव बच रहेंगे। हम उपलब्ध संसाधनों का भरसक उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन 1,24,000 गांवों में पेय जल की व्यवस्था के लिए 565 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

इस तथ्य को देखते हुए कि वर्ष 1972-73 के लिए 38 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है, जो कि बहुत कम है, हमने इसके अतिरिक्त 20 करोड़ रुपयों की और व्यवस्था की है। यदि हमें

आगामी 5 या 6 वर्षों में 565 करोड़ रुपये मिलते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था की जा सकती है। फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि यह पेय जल डाक्टरी दृष्टिकोण से पीने योग्य तथा साफ हो। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह मंत्रालय इस समस्या की गंभीरता से अवगत है।

कई माननीय सदस्यों ने अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के बारे में अपने विचार प्रगट किये हैं। परन्तु इसमें राज्यों की सहमति आवश्यक है। केवल उनके सहयोग से इसे सफल बनाया जा सकता है। हमने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों से कहा है, परन्तु केवल तीन या चार राज्य इसके लिए सहमत नहीं हैं। हमने इन राज्यों को इस विषय पर पुनः विचार करने को कहा है, अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा आरम्भ करने से युवा डाक्टर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे तथा इससे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी, इन बातों को देखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा लागू करना आवश्यक हो गया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने राज्यों की सरकारों से इस पद्धति को अपनाने के लिए कहें।

यह एक विरोधाभास है कि एक ओर तो डाक्टरों में बेरोजगारी है और दूसरी ओर गांवों में डाक्टरों की कमी है। वस्तुतः इसका कारण यह है कि समूचे देश में चिकित्सा सेवाओं तथा डाक्टरों के वितरण में असमानता है। गांवों में, जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग है, डाक्टरों की कमी है, जबकि दूसरी ओर शहरों में डाक्टरों की अधिकता है। इस विरोधाभास स्थिति का निराकरण केवल नियंत्रण लगाकर ही किया जा सकता है।

इस राष्ट्रीय आवश्यकता को देखते हुए महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने अब यह निर्णय किया है कि मेडिकल कालेजों में दाखिला लेने वालों से यह बंधक भरवाया जायेगा कि पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त उन्हें दो या तीन वर्ष गांवों में कार्य करना पड़ेगा, मुझे प्रसन्नता है कि अन्य राज्य भी इसका अनुकरण कर रहे हैं। इससे डाक्टरों के वितरण में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सकता है।

कई माननीय सदस्यों ने खाद्य तथा औषधि नियंत्रण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा है कि इनका संबंध समूचे राष्ट्र से है न कि किसी विशेष राज्य से, इसलिए इन समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय आधार पर किया जा सकता है। माननीय सदस्यों ने यह ठीक ही कहा है कि खाद्यान्न तथा विशेषकर औषधियों के शुद्ध न होने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण वायु तथा जलप्रदूषण की समस्या उठ खड़ी हुई है। इसका सामना करने के लिए हमें राष्ट्रीय मोर्चे से लड़ना पड़ेगा।

मेरे मित्र श्री रामकृष्ण रेड्डी ने कहा है कि तमिलनाडु में परिवार नियोजन की सफलता से उन्हें लोक सभा की सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। इस संबंध में लक्ष्य इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं। इस समय तमिलनाडु प्रति वर्ष 2.2 लाख जन्मदरों में कमी ला रहा है, जब तक यह संख्या 13.7 लाख नहीं होती है, तब तक लोक सभा की एक भी सीट खोने का भय नहीं होना चाहिए।

डा० मेलकोटे ने आशंका व्यक्त की है कि भारतीय औषधियों की उपेक्षा की जा रही है। संभवतः उन्हें पता नहीं है कि हम इसकी अभिवृद्धि में कितना योगदान दे रहे हैं। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक स्वायत्तशासी केन्द्रीय परिषद का गठन किया है। इस वर्ष हमने इसे 84 लाख रुपये दिये हैं।

कई माननीय सदस्यों ने प्रति-व्यक्ति शुल्क के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। हम मानते हैं कि यह प्रथा बंद कर दी जानी चाहिए, परन्तु यह राज्य का विषय है, हमने राज्य सरकारों का ध्यान इन संस्थाओं द्वारा गलत ढंग से शिक्षा देने की ओर दिलाया है। यह कहा गया है कि इनकी डिग्रियों को अमान्य कर दिया जाये परन्तु ऐसा करने से हजारों युवा डाक्टरों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। हमने राज्य सरकारों को इस स्तर के अनुरूप डिग्री न होने से उत्पन्न संकट से आगाह कर दिया है।

यहां केरल में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में प्रश्न उठाया गया है, वस्तुतः इस बारे में सरकार प्रत्यक्षतः कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, यदि केरल सरकार विश्वविद्यालय स्थापित करके उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए सहायता मांगती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। हमने आयुर्वेदिक अनुसंधान के लिए कई संस्थाओं को अनुदान दिया है।

जहां तक पश्चिम बंगाल में शय्याओं वाले अस्पतालों की कमी का प्रश्न है, यह एक सामान्य समस्या है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि श्रम मंत्रालय ने बंगला देश के शरणार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 2,800 शय्याओं वाला अस्पताल खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अपेक्षित धनराशि दी है। चूंकि उसका ठीक उपयोग नहीं किया गया है इसलिए उसे वापिस किया जा रहा है। माननीय सदस्य राज्य सरकार को इसका ठीक से उपयोग करने के लिए कह सकते हैं। श्री पाराशर ने खाद्य तथा औषधियों में अपमिश्रण के बारे में कहा है। हमने इस संबंध में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला को मजबूत बनाया है तथा राज्य सरकारों से भी कहा है कि वे अपनी औषध नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनायें। खाद्य तथा औषधियों में अपमिश्रण के मामलों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है।

परिवार नियोजन के बारे में सदस्यों की भिन्न-भिन्न रायें हैं। कुछ इसे समाप्त करने के पक्ष में हैं, जबकि कई सदस्यों के विचार में इनका पालन न करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। हम केवल बीच का रास्ता अपना रहे हैं। हमने राज्य सरकारो को अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित रखने को कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following demands in respect of the Ministry of Health and Family Planning were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
35	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	1,31,43,000
36	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य	26,02,73,000
171	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	21,40,95,000

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78, से 81, 130 और 131 पर चर्चा करेगी तथा उस पर मतदान करेगी ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की गई हैं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
78	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	24,30,000
79	ऋतु विज्ञान	5,37,18,000
80	विमानन	12,97,68,000
81	पर्यटन	2,61,00,000
130	विमानन पर पूंजी परिव्यय	4,72,33,000
131	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	9,95,72,000

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : गत वर्ष अनुदानों की मांगों पर चर्चा के उत्तर में मंत्री महोदय ने इंडियन एयरलाइन्स को देश के लिए अनिवार्य बताया था। उन्होंने आगे कहा था कि गोहाटी में इंडियन एयरलाइन्स का अड्डा बनाने का सुझाव बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे पूर्वी क्षेत्र में इसका कार्य अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवा में कोई सुधार नहीं हुआ है और न इसके किरायों में कोई कमी की गई है।

मंत्रालय ने इस क्षेत्र की समस्याओं पर विचार नहीं किया है। अगरतला से सिल्चर के बीच एक विमान सेवा आरम्भ की गई थी परन्तु इसे बन्द कर दिया गया है। क्या सरकार इस सेवा को पुनः आरम्भ करेगी तथा इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों तक किया जायेगा ?

विमान के किरायों को बढ़ाने से जनसाधारण द्वारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, आपने सभी मार्गों पर इसके किरायों में वृद्धि की है। इससे बहुत कम लोग विमान सेवा का लाभ उठा पाते हैं। मुझे आशा नहीं है कि विमान यात्रा जन साधारण के लिए सुलभ हो सकेगी।

मैं श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों की स्थिति की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा, अभी तक सेवा नियम नहीं बनाये गये हैं। निगम ने तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पांच महीने के उपरान्त अन्तरिम राहत दी है। जब आयोग ने दूसरी अन्तरिम राहत की सिफारिश की थी तो निगम ने कर्मचारियों को इसका भुगतान नहीं किया। यहां के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, खाद्य निगम, इंडियन आयल कारपोरेशन आदि के कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम मिलता है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।

कर्मचारियों को काफी वर्ष सेवा करने के उपरांत भी स्थायी नहीं किया गया है। यदि मंत्रालय किराए आदि को कम नहीं करता है तो कम से कम उसे इस विभाग के कर्मचारियों के हितों का तो ध्यान रखना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : आज पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है, एक विशाल देश होने के नाते भारत के पास पर्यटन के विकास के लिए सब साधन हैं, पर्यटक के लिए स्थान आदि सब यहां विद्यमान हैं, परन्तु दुःख की बात है कि हमारे यहां पर्यटन का विकास नहीं हुआ है। शायद धन न होने के कारण इस ओर कुछ नहीं किया गया है।

भारत आने पर पर्यटक यातायात सुविधाओं की अपेक्षा करता है, वह अच्छा होटल चाहता है, उसे अच्छा भोजन भी चाहिए और उसके लिए अपने आपको व्यस्त रखने के लिए मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होने चाहिएं, निःसंदेह पर्यटन का विकास करने के लिए हमने काफी कार्य किया परन्तु लक्ष्य तक न पहुंचने के कारणों का पता लगाया जाना अपेक्षित है।

यदि हम इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के कार्य को देखें, तो पायेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स को दिसम्बर तक 4 करोड़ रुपये का घाटा हआ है तथा यह बढ़कर 6 करोड़ हो सकता है, श्रमिक अशांति के कारण इसकी सेवाओं में विघ्न पड़ा है, इंडियन एयरलाइन्स से यात्रा

करने वाले यात्रियों को हवाई अड्डों पर काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मुझे आशा है कि प्रबन्धक तथा श्रमिक वर्ग ने इस मामले पर विचार किया है ।

जब इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों के साथ समझौता हुआ, तब उन्हें अधिक वेतन दिया गया । इससे अधिक वित्तीय बोझ पड़ा । आज अन्य कर्मचारी भी वेतनवृद्धि की मांग कर रहे हैं । इंडियन एयरलाइन्स को भारी घाटा होने की संभावना है ।

पर आश्चर्य की बात है कि इंडियन एयरलाइन्स को वित्तीय घाटा होते हुए भी एयर इंडिया कुछ आंतरिक मार्गों पर अपनी सेवाएं चला रही है, क्या एयर इंडिया के पास फालतू क्षमता है अथवा इंडियन एयर लाइंस की क्षमता कम है ? एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के कार्य-क्षेत्र भिन्न-भिन्न होने चाहिएं तथा उनके लिए अलग-अलग बोर्ड बनाए जाने चाहिएं । इसी से उनकी सेवा में यथेष्ट सुधार हो सकता है ।

इंडियन एयर लाइन्स की सेवा तथा कार्यक्षमता असन्तोषजनक है । इसमें स्थान आरक्षित कराना बहुत कठिन है । अतएव टेलेक्स व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिससे आरक्षण में सुविधा हो सके ।

एयर लाइन्स को पहले ही घाटा हो रहा है, अतएव किराये में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए । मेरा सुझाव है कि दो घन्टे की उड़ान के दौरान भोजन की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए ।

यह आवश्यक नहीं है कि हमें भोजन मिलना ही चाहिए । हम भोजन पैसा देकर ले सकते हैं । इण्डियन एयर लाइन्स में खानपान पर बहुत अधिक खर्च होता है । किन्तु पेट की सन्तुष्टि बहुत कम होती है । (व्यवधान) ।

आश्चर्यजनक कठिनाइयां सामने आई हैं । विदेशी पर्यटक कलकत्ता से दिल्ली तक के अपने अन्तर्राष्ट्रीय टिकट बनारस और खजुराहो से होकर बदलवाना चाहते थे, जिसके लिए वे अधिक किराया भी देने को तैयार थे, परन्तु इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा कलकत्ता पर उन्हें ऐसा करने से इन्कार कर दिया गया था । यह तो बहुत ही गम्भीर मामला है, जिसकी जांच की जानी चाहिए ।

एक अन्य समस्या यह है कि हमने सम्भवतः एक परिपत्र जारी किया है कि किसी विदेशी को इण्डियन एयर लाइन्स का टिकट खरीदते समय विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का कुछ प्रमाण दिखाना पड़ेगा, अथवा उसे विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ेगा । जिसका अर्थ है कि विदेशियों को वाऊचर साथ रखने पड़ेंगे और अपना पारपत्र दिखाना पड़ेगा और इससे वास्तव में विदेशियों को कुछ कठि-नाई होती है । अतः हमें इन छोटी-छोटी बातों को समाप्त कर देना चाहिए । किसी भी व्यक्ति को टिकट खरीदने में एक घण्टे से कम समय नहीं लगता । इसमें डेढ़ घण्टा तो लग सकता है और वह भी तब, यदि स्थान उपलब्ध हो । किन्तु समय कम नहीं लगेगा । टिकट बांटने में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हमें कर्मचारियों को बोनस आदि का प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि ग्राहक को 10 मिनट में टिकट मिल जाए ।

एवरो विमान के बारे में एयर वाइस मार्शल मेहरा समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उक्त समिति की रिपोर्ट को

सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया है । मुझे बताया गया है कि ये विमान बम्बई में इस समय 40,000 पाउंड तक अधिकतम भार उठाते हैं, जबकि इन्हें 44,000 पाउंड भार उठाना चाहिए। मद्रास में 44,000 पाउंड भार उठाते हैं । इस मामले पर वास्तव में विचार किया जाना चाहिए। और यदि वायु की अनुकूलता और इस विमान की उड़ान में कोई गड़बड़ी हो तो आवश्यक उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

नये विमानों के बारे में हमें बताया गया है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बोइंग 737 विमान नहीं खरीदे जायेंगे । क्या यह बात सही है ?

16 अक्तूबर को पूना स्थित मौसम विज्ञान प्रयोगशाला ने संदेश दिया था कि तूफान आयेगा, जिसका संदेश प्रसारित किया गया था, किन्तु तूफान आया नहीं । किन्तु 28-29 अक्तूबर को जब वास्तव में तूफान आया था तो इसकी सूचना नहीं दी गई थी और न ही आकाशवाणी के कटक केन्द्र से ऐसा कोई संदेश प्रसारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लोग आश्चर्य में पड़ गये और अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । तूफान से जन-धन की बहुत हानि होती है और इसका समाचार तत्काल ही आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाना चाहिए जिससे आने वाले संकट की जनता को चेतावनी दी जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल के वक्ताओं की बहुत लम्बी सूची है और सबको सात मिनट का समय देने का अनुरोध किया गया है । मैं तो सहयोग करूंगा, वक्तागण भी मुझे सहयोग दें और अपना भाषण निश्चित अवधि में ही समाप्त करें ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) **:** इण्डियन एयरलाइन्स का कार्यचालन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है । गत वर्ष 6 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि के अतिरिक्त, इससे यात्रियों को अनेक असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । उड़ानों में विलम्ब और काउंटर पर लम्बी पंक्ति, इण्डियन एयरलाइन्स की सामान्य बात बन गई है । बम्बई में काउंटर एक घंटा विलम्ब से खुलते हैं ।

इसी प्रकार उड़ानों में होने वाले विलम्ब का मामला है । इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह कठिनाई रख-रखाव, इन्जीनियरों के 'धीरे काम करो' आन्दोलन के कारण है । अतः मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह विलम्ब के कारणों पर विचार करने के लिए प्रबन्धकों से कहे और इस बारे में अपनी जिम्मेदारी कम नहीं समझे और इसे इन्जीनियरों पर ही निर्भर न रखें कि वे धीरे काम कर रहे हैं और उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं । इस विवाद को पंच-फैसले के लिए भेज देना चाहिए । जबकि कर्मचारियों के संघ ने विवाद को पंच-फैसले के लिए भेजने पर सहमति प्रकट की तो प्रबन्धक इस पर सहमत क्यों नहीं होते ? इस बारे में मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए और कर्मचारियों के संघ के उचित प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तथा इस मामले को पंच-फैसले हेतु भेजने के लिए प्रबन्धकों से कहना चाहिए ।

गुजरात में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अनेक ऐसे स्थल हैं जहां प्राकृतिक सुषमा है,

समुद्रतट, पहाड़ियां और वन्य क्षेत्र हैं, मंत्री महोदय को इन स्थानों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने हेतु इनका सर्वेक्षण कराना चाहिए। इससे पर्यटन के विकास कार्य में सहायता मिलेगी।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : I feel we are not taking the problems of tourism seriously. It is said that by the end of the Fourth Five Year Plan, at least 4 lakh foreign tourists would be attracted to visit the country, but it is not enough as compared to other countries. The funds allocated for the purpose are inadequate. The funds allocated to the department of tourism should be increased five times, so that this tourism Industry may be put on a sound footing. This is like a crash programme.

[**Shri K. N. Tiwari in the Chair**
श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

Government should look into the difficulties that are being faced by tourists here and those difficulties should be removed. The concept of the Ministry or the Tourist Development Council that only rich tourists should be attracted is altogether wrong. Arrangements should be made in such a way that all tourists irrespective of their financial status are attracted to visit this country.

It is true that there is mismanagement in Indian Airlines, it is not properly managed. It requires to be controlled and put on sound and efficient footing.

Shri Chandra Shekhar Singh (Jehanabad) : Indian International Airport Authority was created on Ist April. But despite increasing the number of employees, it has resulted in inefficiency.

The Chairman of Air India is a non-technical hand, whereas he should be a technical person. This is one of the reasons for the mismanagement in the Airlines. The delay in the flights of Indian Airlines and increasing difficulties being faced by the passengers are due to the fact that technical hands are being replaced by the non-technical persons. This is a wrong step. The hon. Minister should look into it.

The terminal building at Calcutta is a newly built one, but it is lying vacant and unused. This can be used as Head Office of the Indian Airlines. But Government propose to transfer the head office to Delhi or Bombay and hire another building at a rent of Rs. 15,000 per month. Government should not waste public money like this when a newly built buiding is lying vacant.

The chowkidars and watch men at Palam Airport and at various other airports are being replaced by the personnel of Industrial Security Force. The police arrangements and such other arrangements already exist there. Deployment of Industrial Security force there at the Airports is unnecessary and rather expensive. Government shall incur expenditure of Rs. 2.40 lakhs annually on the Industrial Security Force. This expenditure should be saved.

There have been changes in the flights of planes from Delhi to Calcutta and from Calcutta to Delhi, Patna, Allahabad. This has caused inconvenience to the passengers. The old arrangements should continue.

There are no adequate arrangements for the stay of foreign tourists at Gaya and Patna. A large number of foreign tourists visit Gaya and Patna. Therefore, more amenities

should be provided at the airports itself so that tourists do not face any difficulty there. The plane flying from Patna to Ranchi and Howrah should stop at Gaya. The Air parcel service should be extended to Bokaro which will enhance the income and people will be benefited thereby. The Jet plane service should be extended from Delhi to Bombay, Calcutta and Madras.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I rise to support the Demands of this Ministry. There are two types of tourists. Tourists with modern outlook and civilization prefer to visit countries of ancient civilization and culture. So far as ancient culture, old civilization, monuments, old shrines and holy places are concerned, India is ideal. She has many things to attract foreign tourists.

Air India is facing difficulty in international competition, as a result of which it is running in loss. The main reason for its running in loss is that Air India is in its transitional stage at present. It has a capital investment of Rs. 100 crores. There is stiff competition particularly in Atlantic flights. In this competition, rates have to be kept lower. Catering, punctuality, security etc. are important factors in competition. So far as these factors are concerned, Air India has earned a reputation for its service. Therefore we should not worry for the present loss. Air India shall earn profit in due course of time.

The loss in the Indian Air-lines is due to the fact that we have some social and political commitments. Therefore, Air India and Indian Airlines should remain as separate organisations. The Indian Airlines should introduce Caravale and Boeing 747 and 737 flights. There should be more publicity and advertisement by Air India & Indian Airlines so that more tourists and passengers may be attracted. These organisations would earn profit. Moreover we should boldly face international competition.

All the labour disputes between the management and Engineers or the pilots should be settled permanantly. The employees of both the Airlines should put forward their demands keeping in view the economic condition of the country.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : पायलटों के वेतन हाल ही में बढ़ाये गये हैं। परन्तु क्या भारतीय वायुसेना के पायलटों के वेतन भी बढ़ाये गये हैं। यदि भारतीय वायुसेना के पायलटों के वेतन नहीं बढ़ाये गये हैं तो यह सरकार की इनके साथ भेदभाव की नीति है।

हाल ही में भारत की यात्रा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के दल ने कहा है कि भारत में विमानों का किराया विश्वभर में सबसे अधिक है। हमारे देश में विमानों का किराया कम किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिकाधिक लोग विमानों से यात्रा करें और यात्री यातायात के इस साधन का लाभ उठा सकें। देशवासियों को विमान द्वारा नगरों के दृश्य दिखाने के लिए देश के प्रत्येक हवाई अड्डे पर प्रबन्ध किए जाने चाहिएं।

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

हमारी एयरलाइनों में हो रहे लगातार घाटे और यानों के किराये में वृद्धि होने का मुख्य कारण विमान-चालकों को अधिक वेतन दिया जाना है। विमान-चालक फिर भी हड़ताल करते रहते हैं। अतः इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाए।

मद्रास के हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। सलेम में एक हवाई अड्डा होना चाहिए क्योंकि वहां इस्पात संयंत्र की स्थापना हो गई है।

मद्रास से दिल्ली तक एयरलाइनों की निर्धारित समय-सारिणी में संशोधन किया जाना चाहिए। संसद सदस्य आधी रात गये दिल्ली पहुंचते हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस प्रश्न पर ध्यान दें और अपेक्षित कार्यवाही करें।

मद्रास हवाई अड्डे को 'टर्मिनल' हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। एयर इण्डिया के कुछ विमानों को मद्रास के हवाई अड्डे से चलाया जाना चाहिए।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी हवाई अड्डों के उपकरणों का आयात किया जा रहा है। हवाई अड्डों के लिए उपकरण देश में बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

सांस्कृतिक पर्यटन के विकास के लिए उत्तर भारत के कुछ महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं और इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, तथा सांस्कृतिक संगठन ने अपनी ओर से तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है। मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल में ऐसे अनेक स्थल हैं जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। किन्तु सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से यू० एन० डी० पी० तथा यूनेस्को की तकनीकी सहायता लेकर भी उनमें से किसी भी स्थल को नहीं चुना गया है। कन्याकुमारी में एक हवाई पट्टी बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे हमारे देश के दक्षिणी भाग की यात्रा करने के इच्छुक विदेशी पर्यटकों को बहुत सहायता मिलेगी।

भारत संसारभर के पर्यटकों के लिए अत्यन्त आकर्षक है और यहां पर्यटक आकर्षण के बहुत से स्थल हैं। तमिलनाडु में ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण स्थल हैं जिनके विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे और अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे। तमिलनाडु में 100 से अधिक मन्दिर विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं। परन्तु पुरातत्व विभाग इनका उचित रख-रखाव नहीं करता। देश में पर्यटन के विकास के हित में इन मंदिरों को राज्य सरकार को सौंप देना चाहिए।

वेदान्तंगल देश में सबसे पुराना पक्षी बिहार स्थल है जो मद्रास नगर से केवल 88 मील दूर है। किन्तु बड़े खेद की बात है कि इस स्थल के विकास की ओर अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस पक्षी विहार स्थल का विकास किया जाए जिससे कि विश्व के पर्यटक इसे देखने के लिए यहां आएं। हमारे देश में वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिएं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
78.	1.	श्री डी० के० पंडा :	भुवनेश्वर के लिए बोइंग विमान उड़ान आरम्भ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	2.	श्री डी० के० पंडा :	मयूरभंज में सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	3.	श्री डी० के० पंडा :	कोनार्क से पुरी तक एक मैरीन ड्राइव का निर्माण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	4.	श्री डी० के० पंडा :	मध्यप्रदेश के खाजुराहो के नमूने पर कोनार्क का विकास करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	5.	श्री डी० के० पंडा :	भुवनेश्वर और कोनार्क में पर्यटकों के लिए तीन स्टार होटलों का निर्माण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	6.	श्री डी० के० पंडा :	राजस्थान में भारत पक्षी शरण्यस्थल के समान चिलोके का पक्षी शरण्यस्थान के रूप में विकास करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	7.	श्री डी० के० पंडा :	उड़ीसा में ललितागिरी, उदयगिरी और रतनगिरी क्षेत्रों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	8.	श्री प्रसन्नभाई मेहता	विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गुजरात राज्य में क्षेत्रों का विकास करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	9.	श्री प्रसन्नभाई मेहता	विदेशी पर्यटकों के लिए गुजरात राज्य में एक अन्तर्राष्ट्रीय होटल स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
78.	10.	श्री प्रसन्नभाई मेहता	इण्डियन एयरलाइन्स की हाल के वर्षों में गिरती हुई परिचालन कुशलता को संभालने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	11.	श्री प्रसन्नभाई मेहता	इंजीनियरों की जो अपने वेतन के लिए आन्दोलन करते आ रहे हैं, मांगों को पूरा करने में असफलता।	100 रुपये
78.	12.	श्री प्रसन्नभाई मेहता	नये मार्गों पर विमान सेवाएं आरम्भ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	13.	श्री प्रसन्नभाई मेहता	अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता।	100 रुपये
78.	14.	श्री प्रसन्नभाई मेहता	पर्यटकों के लिए होटलों और शिविर स्थलों की स्थापना करने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	15.	श्री मूलचन्द डागा	रानकपुर पर्यटक केन्द्र का विकास करने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	16.	श्री मूलचन्द डागा	पाली नगर का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने में असफलता।	100 रुपये
81.	17.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में बाहर से लेखाकारों को प्रतिनियुक्ति पर लाने की नीति पर पुर्नविचार करने और इसके स्थान पर विभागीय कर्मचारियों को सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल में रोकड़ और लेखा शास्त्र का प्रशिक्षण देने की नीति अपनाना और इस प्रकार विभागीय कर्मचारियों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता।	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
81.	18.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग के चौकीदारों को अच्छे किस्म के कम्बल देने में असफलता।	100 रुपये
81.	19.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में अधिक समन्वय लाने और कुशल कार्य-संचालन के लिए पर्यटक वितरण अनुभाग को फरीदाबाद से हटाकर दिल्ली लाने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	20.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक विभाग के अनुदेशों के अनुसार पर्यटन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के शिक्षित कर्मचारियों को लिपिक पदों पर पदोन्नत करने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	21.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक विभाग के आदेशों के अनुसार पर्यटन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के शिक्षित कर्मचारियों को पदोन्नत करने के लिए व्यवस्था करने हेतु लिपिक, पदों सम्बन्धी भरती के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	22.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/43/71- सी० एस० (2), दिनांक 23-11-1971 के अनुदेशों के अनुसार पर्यटन विभाग में अनुसंधानकर्त्ता के पदों के लिए भरती के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	23.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों द्वारा पर्यटन विभाग को उन्हें मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में भेजे गये अनेक अभ्यावेदनों का उत्तर देने में असफलता।	100 रुपये
81.	24.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये किए गए	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			आरक्षों के मामले में पर्यटन विभाग में काम करने वाले इन जातियों के लोगों के हितों का संरक्षण करने में असफलता—जिससे उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रकट होता है।	100 रुपये
81.	25.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	अधिकांश निम्नश्रेणी लिपिकों को सौंपे गये कार्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के कम से कम आधे पदों को उच्च श्रेणी लिपिक के पद में बदलने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	26.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में सहायक के पद के लिए भरती के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता तथा विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के लिए सहायक ग्रेड में 50 प्रतिशत पदों की व्यवस्था करना।	100 रुपये
81.	27.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	संघ लोक सेवा आयोग/कार्मिक विभाग द्वारा पर्यटन विभाग में सहायक के पद के लिए जिन व्यक्तियों के नाम भेजे जाते हैं, उनको नियुक्त न करने की आवश्यकता तथा इस प्रकार अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की पदावनति को रोकना।	100 रुपये
81.	28.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले सभी लेखाकारों को उनके मूल कार्यालयों को वापस भेजने तथा इसके परिणामस्वरूप रिक्त हुए पदों पर विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति करने और इस प्रकार उच्च श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में आए भारी प्रगतिरोध को दूर करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
81.	29.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थायी करने में असफलता, यद्यपि उनमें से अधिकांश लिपिकों ने 10 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा कर लिया है।	100 रुपये
81.	30.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	वित्त मन्त्रालय के अनुदेशों के अनुसार पर्यटन विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक के अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने में असफलता।	100 रुपये
81.	31.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार पर्यटन विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों के अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने में असफलता।	100 रुपये
81.	32.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	अस्थायी उच्च श्रेणी लिपिकों को स्थायी बनाने में असफलता, यद्यपि उच्च श्रेणी लिपिकों के चार स्थायी पद पर्यटन विभाग में उपलब्ध हैं और पिछले कई वर्षों से नहीं भरे गये हैं।	100 रुपये
81.	33.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग के सांख्यिकी प्रभाग में काम करने वाले दूसरी और तीसरी श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	34.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग के सांख्यिकी प्रभाग में दो वर्ष से अधिक समय से पूर्व बनाये गये स्थायी पदों पर स्थायी रूप में नियुक्ति करने में असफलता।	100 रुपये
81.	35.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता, यद्यपि उनमें से अधिकांश कर्मचारी अनेक वर्षों से सेवा में हैं।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
81.	36.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	भारत सरकार के अन्य विभागों की भांति पर्यटन विभाग में सिलेक्शन ग्रेड दफ्तरियों के पद बनाने में असफलता।	100 रुपये
81.	37.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारी संघ के बार-बार के विरोध के बावजूद भी पर्यटन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के खातों को यथोचित ढंग से रखने में असफलता।	100 रुपये
81.	38.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 1965 से अब तक उनके सामान्य भविष्य निधि के वार्षिक खातों के विवरण न देना, यद्यपि उनकी इस सम्बन्ध में शिकायतें कई बार सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाई गई हैं।	100 रुपये
81.	39.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	डुप्लीकेटिंग आपरेटर का काम करने के लिये चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी को 5 रुपये विशेष वेतन के रूप में देने की वर्तमान प्रथा की बजाय पर्यटन विभाग में डुप्लीकेटिंग आपरेटर का पद बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	40.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्लर्क संघ और केन्द्रीय सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ जैसे कर्मचारी संघों के पत्रों के उत्तर न दिया जाना।	100 रुपये
81.	41.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में "अधिकारी-प्रधान" कर्मचारी ढांचे की सर्वथा विफलता तथा परिणामस्वरूप अदक्षता के कारण, इस ढांचे को बदलने की आवश्यकता।	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
81.	42.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/43/71- सी० एस० (दो) दिनांक 23-11-1971 के अनुदेशों के अनुसार विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नत करके पर्यटन विभाग में अन्वेषकों के चार रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	43.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का शीघ्र भुगतान करने में असफलता।	100 रुपये
81.	44.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में कर्मचारियों को कई महीनों तक समयोपरि भत्ते का भुगतान न करने की वर्तमान नीति के स्थान पर कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का शीघ्र भुगतान करने की नीति अपनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	45.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के खातों का समुचित तथा व्यवस्थित ढंग से रखने में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की ढील तथा उपेक्षा।	100 रुपये
81.	46.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पर्याप्त तथा अच्छी सेवा की शर्तों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
81.	47.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियां देय होने पर तुरन्त देने की आवश्यकता।	
81.	48.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लाने की नीति पर,	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			जिससे विभागीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर समाप्त होते हैं; पुनर्विचार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
81.	49.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक के कार्यालय से लेखापालों को प्रतिनियुक्ति पर लाने की नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता, ताकि विभागीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिले।	100 रुपये
81.	50.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों की भांति पर्यटन विभाग के सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों को सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भेजने की आवश्यकता।	100 रुपय
81.	51.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों को रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता ताकि उन्हें पर्यटन विभाग में लेखापालों को पदों को सम्भालने के योग्य बनाया जा सके और लेखापालों के पदों पर इस समय काम कर रहे व्यक्तियों को उनके मूल कार्यालयों में वापस भेजा जा सके, जिसके फलस्वरूप व्यय में बचत होगी और विभागीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।	100 रुपये
81.	52.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग के प्रशासनिक प्रभाग में और अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ताकि कर्मचारियों की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
81.	53.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में बहुत से अराजपत्रित कर्मचारियों को अर्ध स्थायी घोषित न किया जाना यद्यपि उन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, यद्यपि नियमों में ऐसी अपेक्षा है ।	100 रुपये
81.	54.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटन विभाग में बहुत से अराजपत्रित कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का समय पर सत्यापन न कराना, जिसके फलस्वरूप उन्हें अर्ध-स्थायी होने में प्रमाणपत्र विलम्ब से दिये जाते हैं ।	100 रुपये
80.	55.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	नियमों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय में बहुत से अराजपत्रित कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी घोषित करने में असफलता, जबकि वे 3 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी कर चुके हैं ।	100 रुपये
80.	56.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	नागर विमानन महानिदेशालय में निम्न श्रेणी लिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिकों को स्थायी बनाने में असफलता, जबकि वे वहां 10 साल से अधिक अवधि की सेवा पूरी कर चुके हैं ।	100 रुपये
80.	57.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	नागर विमानन महानिदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लाने की नीति को, जिससे विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर समाप्त होते हैं, समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80.	58.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों को रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता, ताकि उन्हें नागर विमानन	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			महानिदेशालय कार्यालय में लेखापालों के पदों को सम्भालने के योग्य बनाया जा सके, जिससे लेखापालों के पदों पर इस समय कार्य कर रहे व्यक्तियों को उनके मूल कार्यालयों में वापस भेजा जा सके और जिसके फलस्वरूप खर्चे में बचत होगी और कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।	100 रुपये
80.	59.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	वर्तमान नीति को बदलकर, जिसके अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय में कर्मचारियों को महीनों तक समयोपरि भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता, कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का शीघ्र भुगतान कराने की नीति अपनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
80.	60.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	नागर विमानन महानिदेशालय कार्यालय में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता, जबकि उनमें से अधिकांश कर्मचारियों ने कई वर्षों की सेवा अवधि पूरी कर ली है।	100 रुपये
80.	61.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्लर्कस् यूनियन, डी० जी० सी० ए० ब्रांच के पत्रों का उत्तर देने में असफलता।	100 रुपये
80.	62.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	नागर विमानन महानिदेशालय कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भविष्य निधियों के खातों का सही ढंग से हिसाब-किताब रखने में असफलता, जबकि इस सम्बन्ध में कर्मचारी संघ ने बार-बार मांग की है।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
80.	63.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक विभाग के निर्देशों, कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/43/71-सी० एस० (2) दिनांक 23-11-71 के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय में अन्वेषकों के पदों के लिए भर्ती के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
80.	64.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय में कार्यालय परिषद का गठन करने में असफलता	100 रुपये
80.	65.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	नागर विमानन महानिदेशालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समय पर वर्दी देने में असफलता ।	100 रुपये
80.	66.	श्री एस० एम० बनर्जी श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय में निम्न श्रेणी लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर पदोन्नत करने में असफलता ।	100 रुपये
78.	67.	श्री रामावतार शास्त्री	राजगृह को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
78.	68.	श्री रामावतार शास्त्री	राजगृह में और अधिक पर्यटक गृहों के निर्माण की आवश्यकता ।	100 रुपये
78.	69.	श्री रामावतार शास्त्री	पर्यटक विश्राम गृहों का असंतोषजनक प्रबन्ध ।	100 रुपये
78.	70.	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में पर्यटकों के लिए सरकारी होटल के निर्माण करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
78.	71.	श्री रामावतार शास्त्री	पटना नगर के गंगा तटवर्ती क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए आकर्षक एवं सुन्दर बनाने में असफलता ।	100 रुपये
78.	72.	श्री रामावतार शास्त्री	पटना सिटी में गुरुगोबिन्द सिंह के जन्म स्थान को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने में असफलता ।	100 रुपये
78.	73.	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार फ्लाइंग क्लब में कुव्यवस्था को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
78.	74.	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार फ्लाइंग क्लब को सरकारी प्रबन्ध में लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये
78.	75.	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार फ्लाइंग क्लब, पटना, में अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर फिजूल खर्ची ।	100 रुपये
78.	76.	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार फ्लाइंग क्लब, पटना, के कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने में असफलता ।	100 रुपये
78.	77.	श्री रामावतार शास्त्री	हवाई जहाजों की उड़ानों में विलम्ब को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
78.	78.	श्री रामावतार शास्त्री	हवाई जहाजों में मिलने वाले भोजन में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
78.	79.	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार के सभी पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
78.	80.	श्री रामावतार शास्त्री	भागलपुर तथा अन्य जिला केन्द्रों को हवाई जहाज द्वारा पटना से जोड़ने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
78.	81.	श्री रामावतार शास्त्री	अशोक की राजधानी कुम्हरार को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
78.	82.	श्री रामावतार शास्त्री	नालन्दा को आधुनिक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने में असफलता ।	100 रुपये
78.	83.	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार सरकार को राज्य में पर्यटक केन्द्रों को विकसित करने के लिए अधिक धन राशि देने में असफलता ।	100 रुपये
78.	84.	श्री रामावतार शास्त्री	पटना हवाई अड्डे को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
78.	85	श्री रामावतार शास्त्री	हवाई अड्डों पर बिकने वाली वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने में असफलता ।	100 रुपये
78.	86.	श्री रामावतार शास्त्री	प्रशिक्षित पायलटों को रोजगार देने में असफलता ।	100 रुपये

Shri Vekaria (Junagadh) : While supporting the demands of this Ministry, I would like to point out that adequate facilities are not being provided to the tourists. I suggest that arrangements should be made to promote the tourism industry in the country.

There are so many tourist centres in our country and Government should provide all kinds of facilities to the tourists coming from various parts of the world. National Sanctuary in Junagadh is unique for having pious in Asia. But due to the non-availability of transport facilities, tourists have to face difficulties as a result of which other facilities which have been provided there have lost their importance. Government should look into it.

I also suggest that the Dakota service from Bombay to this National Sanctuary should be substituted by Avro service as Dakota service is not comfortable.

Porbandar aerodrome should be improved. Government should formulate a scheme to develop certain tourist centres in backward district, also to enable them to increase their income. Sea beach in Div District should be developed as a tourist centre.

I would also like to know the time by which Air India would introduce air taxi service. Steps should be taken to minimise the cases of strikes in Indian Airlines. Flights should be regularised to curb the difficulties faced by passengers.

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasganj) : Trade is one of the most important factor in bringing prosperity to a nation. Our country can progress to a large extent if tourism industry in developed. India is full of places of tourist attraction but due to certain difficulties they do not visit these centres. I am sorry to say that income from tourists was only 1.5 per cent of the total National income in 1968-69. I admit that this percentage has increased now to 4, but as compared to the income earned by small countries like Switzerland and Jtaly, the income of Indian tourism industry in much less. In these circumstances, Government should develop all tourist centres of historical, and religious importance and those blessed with natural beauty.

I would also like to refer to the reports given by the tourists in 1970 regarding the evils in our country. 49 per cent of the tourists showed their apathy towards the poverty in India. 36 per cent of the tourists not like unhealthy people and 25 per cent of the tourists were disappointed with the prevailing corruption in India. I feel that countries like China and Pakistan are making wrong propaganda aginst India, resulting in decrease in the number of tourists. The hon. Minister should look into this matter.

I would also like to suggest that foreign tourists visiting India should be provided with all kinds of facilities including better literature and newspapers of all languages.

Cases of accidents in Indian Airlines should also be minimised The rate of passenger surcharge should be reduced. Government should also reduce the fare on return tickets for tourists. The task of development of small centres of tourists' attraction should be assigned to the state Governments. With these suggestions, I support the Demands of this Ministry.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिवेदन में विमान यात्रा, रेल यात्रा सहित मौसम विज्ञान, भूकम्प विज्ञान आदि अनेक पक्षों का उल्लेख किया गया है। उसमें रेल सुरक्षा आयोग की भी चर्चा की गई है। मेरे विचार से इस मंत्रालय को इतना व्यापक कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिये। कम से कम रेल दुर्घटना सम्बन्धी कार्य किसी अन्य मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि खानपान सम्बन्धी संस्थान को, जो अधिक से अधिक होटल स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है, इस मंत्रालय के अन्तर्गत रखना चाहिए क्योंकि पर्यटन को ध्यान में रखते हुए इसका महत्व अधिक है।

इस मंत्रालय के मौसम सम्बन्धी विभाग को भी किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत रखना चाहिये। पर्यटन मार्गदर्शन का प्रशिक्षण देने के लिए एक पृथक् संस्थान स्थापित किया जा सकता है।

मेरा एक यह भी सुझाव है कि ताजमहल जैसे राष्ट्रीय स्मारकों की देखरेख का कार्य इस मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि कई बार पर्यटक किसी स्मारक के विषय में यह पूछ लेते हैं कि इसका अमुक भाग क्यों टूट गया तथा उसकी कब तक मरम्मत होगी। किन्तु उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती।

इण्डियन एयर लाइंस की एवरो सेवा के सम्बन्ध में मुझे यह आपत्ति है कि इस सेवा का अधिकतर लाभ दक्षिण भारत को दिया गया है तथा पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। दक्षिणी क्षेत्र में वापसी टिकट पर 30 प्रतिशत की रियायत देकर आय में वृद्धि करने के लिए 10 एवरो उड़ानों की

व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था पूर्वी क्षेत्र के लिए भी की जा सकती थी, किन्तु नहीं की गई। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन विभाग द्वारा अशोक होटल में पर्यटकों के लिए बनवाई गई 'कश्मीर से केरल' नाम फिल्म को देखने का मुझे भी अवसर मिला था। मुझे यह देखकर खेद हुआ कि प्रबन्धकों ने मंत्रियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे थे तथा संसद-सदस्यों के लिए नहीं। मुझे इस प्रकार भेदभाव बरते जाने पर खेद है।

इसके अतिरिक्त, उक्त फिल्म में नालंदा, कोनार्क-मंदिर, जगन्नाथ-मंदिर तथा अन्य महत्त्व-पूर्ण स्थलों के लिए कोई स्थान नहीं था। इन बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को इस बात का पता लगाना चाहिए कि देश के किन्हीं भागों को सुविधा प्रदान करने तथा किन्हीं अन्य भागों की घोर उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

देश के छोटे हवाई अड्डों का भी विकास किया जाना चाहिये। कूच-बिहार हवाई अड्डे तथा अन्य हवाई अड्डों का पूरा विकास होना चाहिये। इस विभाग में अब भी बहुत से अस्थायी कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित किया जाना चाहिए। इन सुझावों के साथ, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : हमने अपने पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करने के लिए पूरा प्रयत्न किया। किन्तु हमें बताया गया कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत वस्तुएं वहां उपलब्ध नहीं हैं। अतः हमने इस मंत्रालय की ओर इस आशा से देखा कि सम्भवतः प्राकृतिक सौन्दर्य को ध्यान में रखकर यह मंत्रालय कुछ कदम उठाएगा। इस क्षेत्र में चार झरने हैं तथा बांधोगढ़ में एक वन्य पशु शरणस्थल बनाया गया है। हमारे यहां श्वेत चीते भी पाये जाते हैं तथा सतना के निकट रामबाण नामक स्थान पर पूरी रामायण के दृश्य हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर मंत्री महोदय को इस क्षेत्र को भी पर्यटन केन्द्रों में सम्मिलित करना चाहिये। हमें इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं नहीं चाहिएं।

जबलपुर को विमान मार्ग के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया, यद्यपि हमने इस सम्बन्ध में अनेक बार अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ब्रिटेन में एक विमान बस बनाई गई है जो उतने ही खर्च पर चल सकती है जितने खर्च पर बस चलती है। यदि सरकार उक्त विमान बस को चलाए तो जबलपुर के लिए अपेक्षित यात्री मिल सकते हैं।

वन्यपशु शरणस्थलों को वन्य विभाग के अन्तर्गत न रखकर इस मंत्रालय के अधीन रखना चाहिए क्योंकि वन्य विभाग का उद्देश्य पर्यटकों से धन अर्जित करना है, वन्य पशुओं को शरण देने का नहीं।

अन्त में, मेरा सुझाव है कि श्वेत चीते की नस्ल देश से समाप्त होती जा रही है, अतः सरकार को इस नस्ल को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : इस वाद-विवाद में रुचि रखने के लिए मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूँ । मैं माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुन रही थी ।

हिमालय से लेकर सागर तक फैले हुए हमारे देश में अनेक सुन्दर-सुन्दर स्थल हैं तथा यह असम्भव है कि कोई व्यक्ति इन सभी रमणीय स्थलों को देख सके । यह भी सम्भव नहीं है कि सभी पर्यटकों को सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकें ।

अतः विदेशों से आने वाले पर्यटक केवल महत्वपूर्ण स्थलों तथा जिनकी विदेशों में अधिक चर्चा है, उन्हीं को ही देखना चाहते हैं । वे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि किन-किन स्थलों के लिये परिवहन सुविधाएं तथा मार्गदर्शक और आवास सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हैं । पर्यटन विभाग तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम देश में पर्यटन को बढ़ावा देने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं । पर्यटन के केन्द्र प्राचीन स्मारक, प्राकृतिक सौन्दर्य स्थल, वन्य पशु शरणस्थल और पर्वतीय क्षेत्र हैं । इन चारों किस्मों के पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये विभिन्न विभागों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है । प्राचीन स्मारकों के रखरखाव के लिये हमें पुरातत्व विभाग का सहयोग चाहिये । जहाँ तक समुद्र तटों तथा पर्वतीय स्थलों के विकास का सम्बन्ध है उसके लिये हमें विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग प आश्रित रहना पड़ता है । माननीय सदस्यों को विभिन्न राज्य सरकारों से भी निवेदन करना चाहिये कि वे पर्यटन विकास में अधिक रुचि लें क्योंकि इसका उत्तरदायित्व उन पर भी है । इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को चौथी योजना में 9 करोड़ रुपये दिये गये हैं किन्तु देखा गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने उस राशि को खर्च नहीं किया । अतः माननीय सदस्यों को राज्य सरकारों पर भी दबाव डालना चाहिये ।

श्री बेकारिया ने गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने की माँग की है । उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि गिर जंगल में राष्ट्रीय वन्यपशु शरणस्थल है । सरकार वहाँ आवास, आंतरिक सड़कें तथा परिवहन सम्बन्धी सभी सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है । लगभग सभी पशु शरणस्थलों में छोटी बसें चलती हैं तथा पर्यटकों के लिये मार्गदर्शकों की भी व्यवस्था है ।

काजिरंगा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पर्यटन विभाग ने गेंडा प्रजनन के लिये विशेष धनराशि दी है तथा आवास में भी वृद्धि की गई है । गौहाटी में इस वर्ष एक पर्यटक बंगला बनाया गया है । पुरी में एक होस्टल बनाया जायेगा तथा भुवनेश्वर में भी आवश्यक कार्य आरम्भ होगा । इस प्रकार सभी राज्यों की ओर ध्यान दिया गया है ।

जहाँ तक भारतीय पर्यटन विकास निगम के नियमों का सम्बन्ध है, यदि निगम के अपने नियम नहीं हैं तो वहाँ केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन किया जा रहा होगा । श्रेणी चार और तीन के पदों पर उन्नति के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । यू० डी० सी० से सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण के मामले पर विचार किया जा रहा है तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा रहा है ।

जहाँ तक दक्षिण भारत की उपेक्षा का प्रश्न है, मद्रास में एक युवक होस्टल विद्यमान है तथा त्रिवेन्द्रम में भी एक युवक होस्टल है । रामेश्वरम् में एक पर्यटक गृह का निर्माण किया जा रहा

है। पर्यटकों की सुविधा के लिये विविध कार्य किये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, कुल्लू-मनाली आदि जगहों पर धर्मशाला या अन्य प्रकार की आवास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पंजाब में भी पर्यटकों के अनुसार आवास सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है। वन्यपशु शरणस्थलों को देखने के इच्छुक पर्यटकों को विशेष सुविधाएं देना आवश्यक है क्योंकि वहाँ खतरनाक पशु भी होते हैं।

प्राचीन स्मारकों की उचित देखभाल होनी चाहिये तथा पर्यटकों को उनसे सम्बन्धित जानकारी देने के लिये मार्गदर्शक सेवा दी जा रही है। अतः हम पुरातत्व विभाग का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परिवहन सुविधाओं के बिना विदेशी पर्यटक केवल आगरा का ताजमहल तथा अन्य स्मारक देखकर ही चले जाएंगे। अतः हम चाहते हैं कि वे भारत के अन्य रमणीय स्थलों का भी दौरा करें जिससे हम अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकें। गत वर्ष 40 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। वास्तव में विदेशी मुद्रा के साथ-साथ विभिन्न देशों के साथ सौहार्द बनाए रखने का भी प्रश्न है। अतः हम चाहते हैं कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के हृदय में भारत के प्रति प्रेम और सौहार्द उत्पन्न हो।

पर्यटन उद्योग के साथ-साथ इससे सम्बन्धित अन्य उद्योगों का भी विकास करना होगा। सरकारी होटलों में इस समय 9945 कमरे हैं तथा 70 नई परियोजनाओं के पूरे होने पर 7675 कमरे और उपलब्ध हो सकेंगे। सरकारी तथा गैर-सरकारी होटलों में प्राप्त आवास क्षमता के अतिरिक्त 1975 तक अनुमानतः 1500 कमरों की कमी होगी। इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा पर्यटन विभाग गैर-सरकारी क्षेत्र को होटल बनाने के लिये ऋण भी दे रहा है। विभाग ने 9 करोड़ रुपयों का ऋण देने का निर्णय किया है जिसमें से $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

पर्यटन विभाग परिवहन उद्योग को भी पर्याप्त राशि दे रहा है जिससे वह मोटर गाड़ियाँ आदि खरीद सके। भारतीय पर्यटन विकास के सारे देश में 15 परिवहन यूनिट हैं। घटना में भी एक यूनिट है। सरकार धीरे-धीरे देश में अन्य परिवहन एकक भी स्थापित करना चाहती है।

अतः पर्यटन विभाग ने विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों के विकास के लिये विविध गतिविधियाँ आरम्भ की हैं। दार्जिलिंग में भी एक युवक होस्टल बनाया जा रहा है। पर्वतीय स्थलों तथा समुद्र तट के स्थलों का भी विकास किया जाना है। विदेशी पर्यटकों ने समुद्र तट के स्थलों को भी देखा है तथा वे उन्हें पसंद भी करते हैं। इसी कारण जर्मनी के विशेषज्ञों ने इन स्थलों की सराहना की है तथा बताया है कि व्यापारिक दृष्टि से भी उनका विकास किया जा सकता है। गुलमर्ग और कोवालम नामक दो स्थान काफी बड़े हैं तथा उनका विकास किया जा रहा है। केरल के सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि वहां 40 कुटीरें तथा बड़ा होस्टल बनाया जायेगा जिसमें 100 कमरे होंगे तथा वहाँ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जायेंगी। अत. पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक देश के सभी भागों में पर्यटन स्थलों का विकास किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

तमिलनाडु के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि दक्षिण भारत की उपेक्षा की जा रही है। वास्तविकता यह है कि यू. एन. डी. सी. की सहायता से मुडुमलाई, बदीपुर आदि स्थलों के विकास

के लिये योजना बनाई जा रही है। वहाँ एक सुन्दर वन्यपशु शरणस्थल का विकास किया जाएगा, किन्तु राज्य सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

लाल किले में मनोरंजन के लिये श्रव्यदृश्य कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। $4\frac{1}{2}$ लाख रुपयों की लागत से इस कार्यक्रम में सुधार किया गया है। साबरमती आश्रम में इस कार्यक्रम को गुजराती, हिन्दी और अंग्रेजी में चलाया गया है जिस पर 19 लाख रुपये खर्च हुये हैं। शालीमार गार्डन में भी चार-पांच महीने में यह कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा तथा दक्षिण के लिये महाबलीपुरम में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, नैनीताल में एक पृथक् होस्टल है। आगरा में एक स्वागत केन्द्र स्थापित किया जायेगा। कार्बेट पार्क में 25 कमरों का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटकों की संख्या 1969-70 में 2,80,000 थी तथा अब बढ़कर 3,00,000 हो गई है। आशा है इसमें दिन-प्रतिदिन वृद्धि होगी।

श्री दासचौधरी को रेलवे सुरक्षा विभाग को इस मंत्रालय के अन्तर्गत रखने पर आपत्ति है। यह विभाग पहले रेल मंत्रालय के अधीन था। बाद में इसे परिवहन के अन्तर्गत लाया गया। रेल दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच किये जाने के लिये इस विभाग को रेल मंत्रालय में न रखकर किसी अन्य मंत्रालय में रखने का निश्चय किया गया था। इसी आधार पर यह विभाग अब इस मंत्रालय के अन्तर्गत है।

मौसम सम्बन्धी विभाग के अन्तर्गत देश में 450 प्रेक्षणशालाएं हैं तथा इसका एक मुख्यालय है। वर्तमान मौसम केन्द्रों के अतिरिक्त भुवनेश्वर और त्रिवेन्द्रम तथा अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। स्वतः चित्र खींचने वाले केन्द्र भी खोले गये हैं।

गत वर्ष उड़ीसा में आए तूफान का एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। कलकत्ता से एक सूचना भेजी गई थी। इसका प्रसारण भी किया गया था। इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को भी सतर्क रहना चाहिये तथा मौसम विभाग द्वारा दिये गये संकेतों को सम्बद्ध व्यक्तियों तक पहुंचा देना चाहिये। तूफान से होने वाली क्षति को कम करने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। माननीय सदस्यों को इस समिति की गतिविधियों में रुचि रखनी चाहिये।

मौसम विभाग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा इसके अन्तर्गत तीन स्वायत्तशासी संस्थान हैं जो पूना, बम्बई तथा कोडाइकनाल में स्थित हैं।

मौसम विज्ञान विभाग काफी सक्रिय है और समुद्री तूफान की चेतावनी देने वाले राडारों की स्थापना पर अधिक ध्यान दे रहा है। एक राडार यन्त्र विशाखापत्तनम में स्थापित किया जा चुका है। तीन अन्य राडार यन्त्र कलकत्ता, पारादीप और मद्रास में स्थापित किये जायेंगे। इनमें से दो ब्रिटेन और जापान से आयात किये जायेंगे। पूर्वी तट पर पाँच राडार यन्त्र और पश्चिमी तट पर दो राडार यन्त्र स्थापित किये जायेंगे। मछलीपत्तनम और कराईकल में भी राडार यन्त्र स्थापित किये जायेंगे। इन राडार यन्त्रों से समुद्री तूफान की सूचना केवल 24 घंटे पहले ही मिल पाती है,

इसलिए इसकी सूचना शीघ्रतापूर्वक देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समितियों को अधिक तत्पर रहना है ।

मौसम विज्ञान विभाग बहुत महत्त्वपूर्ण विभाग है । उक्त विभाग मौसम, समुद्री तूफान और भारी वर्षा आदि की सूचना देकर कृषि, विमानन, नौवहन आदि की महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहा है । बाढ़ की पूर्व-सूचना भी इन चेतावनी केन्द्रों से दी जा सकेगी । इस विभाग का प्रचार-कार्य बहुत कम है । इस विभाग में अनेक सुधार हुए हैं और इसका कार्य सराहनीय रहा है । पर्यटन विभाग, भारतीय पर्यटन विकास निगम और मौसम विज्ञान विभाग की सराहना करने के लिए मैं सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ ।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं इस मन्त्रालय की माँगों का समर्थन करता हूँ ।

कोरापुट जिले में सुन्दर नदियाँ और मनोरम पहाड़ियाँ हैं और वह प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न क्षेत्र है । दण्डकारण्य भी इसी क्षेत्र में है । सरकार को इस जिले में पर्यटन सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए । इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास से वहाँ की जनता के आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा ।

कोरापुट का एक बाग के रूप में विकास किया जाना चाहिए । विश्वप्रसिद्ध सन्तरे का मूल-स्थान कोरापुट और गन्जम ही हैं । कोरापुट में उच्च श्रेणी के पर्यटक होटलों का निर्माण किया जाना चाहिए और उसे विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर से विमान सेवाओं द्वारा जोड़ा जाना चाहिए ।

पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर में अच्छे होटल और मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें नहीं हैं । विदेशी पर्यटकों को इन स्थानों की ओर आकर्षित करने के लिए पर्यटन विकास निगम को 150 कमरों वाले अन्तर्राष्ट्रीय होटलों का निर्माण करना चाहिए । जम्बो जेट सेवा प्रारम्भ होने से 1974 में उड़ीसा में 150 पर्यटक प्रतिदिन आने की आशा है । पुरी-कोणार्क मैरीन ड्राइव का निर्माण-कार्य सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए सरकार को मास्टर प्लान बनानी चाहिए और राज्य में विदेशी पर्यटकों के लिए सभी सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिएं ।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : विमानों की उड़ानों में बार-बार विलम्ब होता है । इन उड़ानों में विलम्ब का कारण विभिन्न विभागों में तालमेल न होना है ।

विमान परिवहन उद्योग में औद्योगिक विवाद हल करने की प्रक्रिया पर भी मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा । इण्डियन एयर लाइन्स के इन्जीनियरों और प्रबन्धकों के बीच विवाद था, जिसे श्रम मंत्रालय को सौंप दिया गया था । 17 अप्रैल, 1972 को इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी था । इस बारे में उस दिन 10 बजे अनन्तिम समझौता हुआ, परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार के दौरान इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया । इससे पता चलता है कि श्रम मन्त्रालय और नागर विमानन मन्त्रालय में तालमेल नहीं है । प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप करने पर ही दोनों मन्त्रालयों में तालमेल हो पाता है । इन्जीनियरों ने आश्वासन दिया है कि अगर मामला पंच-निर्णय के लिए सौंप दिया जाय, तो विवाद हल हो सकता है ।

इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया के कार्यों में पुनरावृत्ति है। मैं इण्डियन एयर लाइंस पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा. परन्तु एयर इण्डिया अपने कार्य में काफी दक्ष है। एयर इन्डिया कुछ मार्गों पर अपनी सेवायें प्रारम्भ करने जा रहा है। मेरा सुझाव है कि एयर इण्डिया को इण्डियन एयर लाइन्स का सारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिए, ताकि कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि हो सके।

अब मैं भ्रष्टाचार के निश्चित मामले आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जलपान-गृह ठेकेदारों को दे दिये जाते हैं और आय का कुछ प्रतिशत भाग सरकार को देना पड़ता है। बम्बई हवाई अड्डे पर जलपान-गृह का ठेकेदार दुहरा लेखा तैयार कर रहा था। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने लेखे की जांच की तो उसे 20,000 रुपये रिश्वत देने का प्रस्ताव किया गया। उस ईमानदार अधिकारी ने टेप रिकार्डर पर पूरी बातचीत रिकार्ड कर ली। उसने मामला नियन्त्रण अधिकारी के समक्ष रखा। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि हवाई अड्डे के उस अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया।

बम्बई में जन सम्पर्क विभाग का गठन किया गया और वाणिज्यिक विभाग में काम करने वाली महिलाओं का उस नये विभाग में स्थानान्तरण किया गया। स्थानान्तरण के समय उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि नये विभाग के बन्द होने पर उनका मूल विभाग में स्थानान्तरण होने पर उनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु अनेक अधिकारियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रशासन में सुधार लाने पर कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।

एयर फ्रांस ने यद्यपि खेद प्रकट किया है, परन्तु भारतीयों का अपमान करने की ऐसी घटनायें भविष्य में नहीं होनी चाहिए।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराधार) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। एलिजाबेथ के पति को भारत आने में 14 घन्टे लगे थे, जबकि एलिजाबेथ को भारत आने में केवल 7 घंटे ही लगे। मुझे मास्को से दिल्ली आने में 5 घंटे ही लगे। आसाम तक जाने में 3 घंटे ही लगते हैं। इससे पता चलता है कि कार्यकरण में निरंतर सुधार हो रहा है। अगर इन दो संगठनों में कहीं कुछ कमी अथवा त्रुटियां हैं, तो उनका कारण नौकरशाह अधिकारी हैं। मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि क्या इस नौकरशाही की व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कुछ सदस्यों ने दोनों विमान कम्पनियों में हो रहे भारी घाटे की ओर ध्यान आकर्षित किया। घाटे का मुख्य कारण कर्मचारियों में असहयोग की भावना है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बंधी समिति ने इंडियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए स्थान सुरक्षित करने के प्रश्न पर विचार किया था। अनुसूचित जाति के एक प्रोफेसर को परिवहन अधिकारी के रूप में नौकरी नहीं मिली, परन्तु वही प्रोफेसर बाद में आई० ए० एस० परीक्षा में सफल रहा। यह है नौकरशाही की मनोवृत्ति अनुसूचित जातियों के प्रति। केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किये गये हैं। कुछ व्यक्तियों के

मन में अनुसूचित जातियों के प्रति पूर्वाग्रह है। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए । हमें इन व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के स्तर तक लाना है। मंत्री महोदय को इन व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे वे विभाग में स्थान पा सकें।

श्री ब्रजराज सिंह-कोटा (झालावाड़) : पर्यटन एक सामग्री है, जिसकी बिक्री किसी भी देश को करनी होती है। पर्यटन उद्योग के विकास की गति को तीव्र किया जाना चाहिए । इण्डियन एयरलाइन्स में आकर्षक भारतीय युवतियों को विमान परिचारिकाओं के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए ।

हवाई अड्डों का कार्यभार एक परिश्रमी अधिकारी को सौंपा गया है। आशा है कि अब पालम और सान्ताक्रुज हवाई अड्डों की हालत में सुधार होगा। बम्बई के हवाई अड्डे पर वातानुकूलित शयनकक्ष में कोई भी व्यक्ति एक रुपया देकर रात भर सो सकता है। हवाई अड्डे का शयनकक्ष हरेक के लिए आश्रम स्थल नहीं होना चाहिए। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए।

पर्यटन के विकास में ट्रेवल एजेन्सियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य निर्यात गृहों की भांति इस उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । इन एजेन्सियों को भी करों में राहत दी जानी चाहिए।

पूर्वी राजस्थान और कोटा को विमान नक्शे और पर्यटन मानचित्र में नहीं दिखाया गया है। इस बारे में मन्त्री महोदय को कार्यवाही करनी चाहिए।

जैसलमेर में पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहां फाइवस्टार होटलों की व्यवस्था नहीं की जा सकती तो वहां आवास की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। जयपुर में यूथ होस्टल का उद्घाटन करते हुए मन्त्री महोदय ने कहा था कि यद्यपि अभी होस्टल अच्छी स्थिति में है, परन्तु इसका रखरखाव अच्छी प्रकार होना चाहिए, जिससे यह अच्छी स्थिति में बना रहे।

पर्यटन के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि सारे देश में सड़कों पर संकेत चिन्ह समान हों। पंजाब में गुरमुखी लिपि में सड़कों पर चिन्ह अंकित हैं, तो अन्य स्थानों पर अन्य भाषा में । पर्यटक को पता नहीं चल पाता कि कौनसी सड़क कहां जाती है।

पर्यटन विभाग में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। उन्हें गाइडों और स्वागतकर्त्ताओं के रूप में भर्ती किया जा सकता है ।

यह हर्ष की बात है कि मंत्री महोदय स्वयं वन्य पशु बोर्ड के अध्यक्ष हैं। केन्या, उगांडा और रुमानिया आदि पूर्व अफ्रीकी देशों में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सुन्दर पार्क बनाये गये हैं। सूरतगढ़, अलवर और कोटा में काली बतखें पाई जाती हैं । पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पूर्वी अफ्रीका की तरह हमें भी पार्क बनाने चाहिएं।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Internal tourism is a big contributory factor towards national integration. It is essential to promote internal tourism for bringing about national integration but our Department of tourism is not making sincere efforts in that direction.

Now-a-days it is difficult for common man to travel from one part of the country to another. To-day there are five star hotels at certain places while at other places pure and good meals are not available. The Department of tourism, in co-operation with other Ministries, should make proper arrangements for good catering services.

The Government of India has decided to obtain the services of experts of UNESCO and United Nations Development Programme for attracting foreign tourists but they have not paid any attention towards attracting the Hindus and Sikhs living abroad to our pilgrimages like Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri situated in northern region of our country. A scheme should be formulated to attract the foreign tourists to the pilgrimages like Hemkund, Lokpal etc.

I am sorry to say that the development of tourism industry could not be done in hilly districts of U.P. due to step-motherly treatment of the Central Government. To develop tourism, integrated planning is necessary.

Tourism should be developed in hilly districts of Uttar Pradesh. The Government allow railway concession for Kashmir and other hilly regions but it is not so in case of Badrinath and Kedarnath.

There is a ban on the entry of foreign tourists in the hilly areas in U.P. on the ground that they are situated on border. Is Kashmir not a border area? In fact, it is more vulnerable than the other hilly areas. Foreign tourists are allowed to visit that area. This is not fair.

The Government should not neglect the hilly areas of Uttar Pradesh, because no industry other than tourism can be developed there. The Government should prepare a tourist oriented plan for these areas and also seek the co-operation of other Ministries in this regard. Also, an infra-structure should be built up for this purpose. Enough grant-in-aid should also be sanctioned.

The U.N. Development Programme Group has suggested to merge the Department of Tourism with the Indian Tourism Corporation. I hope this merger will lead to the development of the hilly areas of Uttar Pradesh.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Madhya Pradesh is rich in forests and wild life. There are certain licensed hunters who hunt the animals. This has led to the decline of wild life in Madhya Pradesh. Wild life should be preserved and hunting banned.

Madhya Pradesh is a dacoit-infested area. Bhind, Morena, Sagar, Chhatarpur etc. are terror-stricken areas. Air service should be introduced for Dhana in the district of Sagar because that is a military area.

A number of air accidents resulting in heavy loss of life take place due to pilots driving planes when they are drunk. Legal ban should be imposed on the pilots not to drive the plane when they are drunk.

There are so many places of pilgrimage in our country but air service is not available to those holy places. Air Service should be introduced to places such as Badrinath, Rameshwaram, Dwarika, Puri etc.

Women candidates should be given opportunities of serving in Aviation Department. There are some girls who have studied in U.S.A. and other countries.

Prof. S.L. Saksena (Maharajganj) : I feel pleasure in saying that there has been a lot of improvement in this Department. Air India has earned a world fame. But it is a matter of regret that this Department has incurred loss for the first time in 21 years. Its causes should be investigated.

Last time, I requested to bring Gorakhpur on the air map of India and an assurance was also given in that regard, but it has not been fulfilled. Gorakhpur is not only a big city but it is a pilgrimage with the famous temple of Gorakhnath. Game sanctuary is also there. Wild life is also rich there. An airport should be constructed there. It should also be developed from the Archaeological point of view. It can be a big tourist centre. Arrangements should be made to provide tourism facilities at Gorakhpur for foreign tourists.

The grievances of workers in Air India have come to our notice. A machinery should be created to avoid strikes and the grievances of the workers should be redressed.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : ऐसा अनुमान है कि 1971 में समूचे विश्व में 18 करोड़ व्यक्तियों ने यात्रा की।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : There is no quorum in the house.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई है। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

डा० कर्ण सिंह : मैं यह कह रहा था कि आज के विश्व में पर्यटन ने बहुत प्रगति की है। इससे 15,000 करोड़ रुपये की आय हुई है। भारत में पर्यटन ने काफी प्रगति की है। 1971 में 3 लाख से अधिक पर्यटकों ने यात्रा की और 1973 तक हमारा लक्ष्य 4 लाख तक का है। पांचवीं योजना में इस संख्या के 8 लाख तक पहुंचने की आशा है।

भारत में अन्तर्देशीय पर्यटन अधिक होता है। मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे विदेशी पर्यटकों के बारे में हैं अर्थात् विदेशी पर्यटक अपने साथ विदेशी मुद्रा लाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पांचवीं योजना के अन्त तक हमें आशा है कि सीधे पर्यटन और विमानन विदेशी पर्यटकों से हमें 180-200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होगी। परन्तु अंतर्देशीय पर्यटन पर विदेशी पर्यटन निर्भर करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम अधिक समृद्ध विदेशी पर्यटकों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं क्योंकि हमारा ध्येय विदेशी मुद्रा कमाने का है परन्तु उसके साथ ही हम कम समृद्ध पर्यटकों के लिए भी आधारभूत आवश्यक व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं।

पर्यटन का कार्य ऐसा है जिसमें सहयोग की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को पूरा सहयोग देना होता है। राज्य सरकारों को पर्यटकों के लिये भूमि, जल, सड़क, बिजली आदि सभी सुविधाएं देनी होती हैं।

जब से इस मंत्रालय का गठन हुआ है, पर्यटकों में तो अधिक वृद्धि नहीं हुई है परन्तु इसने देश में पर्यटन के प्रति रुचि उत्पन्न की है। पहले पर्यटन को उपहास समझा जाता था परन्तु अब यह मान लिया गया है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। पांचवीं योजना में हम पर्यटन में भारी निवेश करेंगे। यह सच है कि इस मंत्रालय की मांगें बहुत कम हैं परन्तु

ये कम इसलिए हैं कि उत्पादन की दृष्टि से धन खर्च करने की हमारी क्षमता अभी तक बनी नहीं है। हम केन्द्रीय क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में भारी निवेश करने की आशा करते हैं ताकि पर्यटन में वृद्धि हो।

मैं शीघ्र ही राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना के बारे में घोषणा करने वाला हूं। जिस बोर्ड में न केवल विमानन तथा पर्यटन के प्रतिनिधियों को ही सम्मिलित किया जायेगा अपितु सड़क परिवहन, रेलवे, पुरातत्व, वित्त जैसे अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों और कुछ गैर सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। पर्यटन विकास परिषद् पहले से विद्यमान है जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है तथा जिसमें राज्यों से आए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बोर्ड का कार्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करना होगा जिसमें केन्द्रीय योजना, राज्य योजनाएं और गैर-सरकारी योजनाएं भी शामिल होंगी।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वन्य पशुओं के बारे में काफी विस्तारपूर्वक कहा गया है। मैं इस बात से काफी विदित हूँ कि हमारे देश में वन्यपशु समाप्त हो रहे हैं और बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख भी किया है।

मैं सभा को सूचित कर दूं कि मैं 'प्राजैक्ट टाइगर" नामक व्यवस्था की अध्यक्षता कर रहा हूँ। हमारा प्रयास बाघ का परिरक्षण करना है जो वन्य पशुओं की समाप्ति का एक प्रकार से द्योतक है। इसके लिए हमने एक विशेष दल का गठन किया है और हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में विश्व वन्य जीवन समिति हमारी सहायता करेगी।

एक माननीय सदस्य ने आदिम जीवन की रमणीयता और गौरव का उल्लेख किया है। यह अमूल्य चीज है। वैसे पर्यटन सराहनीय कार्य है परन्तु पर्यटन का सांस्कृतिक प्रभाव अच्छा नहीं है। पर्यटकों के कारण विश्व के कई रमणीक स्थलों का विनाश हो गया है। अत: हमें इस बात से सजग रहना है कि यद्यपि पर्यटकों को सुविधाएं दी जाएं, परन्तु उनसे आदिम जीवन पर कुप्रभाव न पड़े।

कुमाऊं पहाड़ियों के बारे में कहा गया है। काश्मीर से लेकर अरुणाचल तक सभी स्थल रमणीक हैं अतः यह कहना कठिन है, कौन सा क्षेत्र अधिक रमणीक है और कौन सा कम।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

हम चौथी योजना में तराई अथवा कुमाऊ क्षेत्रों की पहाड़ियों के विकास के लिए समेकित परियोजना नहीं बना पाये परन्तु माननीय सदस्य के इस सुझाव को पांचवीं योजना में ध्यान में रखा जाएगा।

जहाँ तक सुरक्षा और प्रतिबंध का प्रश्न है, यह ऐसा कार्य नहीं है जिस पर पर्यटन मंत्रालय स्वयं निर्णय ले सके कि किस क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया जाये और किसे खुला रखा जाए। इस मामले पर रक्षा और गृह मंत्रालयों के साथ परामर्श करके विचार किया जायेगा।

जहां तक विमानन का सम्बन्ध है, पाकिस्तान के साथ हुए हाल के युद्ध में एयर इन्डिया तथा इंडियन एयर लाइन्स, नागर विमानन विभाग और मौसम विज्ञान विभाग ने जो भूमिका निभाई है उसकी मैं सराहना किये बिना नहीं रह सकता हूँ।

संसद द्वारा पारित किये गए विधेयक के परिणामस्वरूप भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना का कदम विमानन इतिहास में बड़ा कदम है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विमानन के विकास से यह अब आवश्यक हो गया है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। अतः दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के चारों हवाई अड्डों को नये सरकारी निगम अर्थात् भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अन्तर्गत रखा गया है, चालू योजना में हमने इन हवाई अड्डों पर 36 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। यह पहला अवसर है कि इस उपक्रम में निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि को लिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया था वह औद्योगिक सुरक्षा दल के बारे में था। यह आशंका व्यक्त की गई है कि इससे चौकीदारों को नौकरी से हटा दिया जायेगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई छंटनी न हो।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को चार हवाई अड्डे दिये गए हैं। देश में शेष 88 हवाई अड्डे नागर विमानन विभाग के अन्तर्गत ही हैं। फिर भी हम अपने सीमित साधनों से उन हवाई अड्डों में सुधार कर रहे हैं।

इस वर्ष तिरुपति हवाई अड्डे के तैयार होने की संभावना है। जहां तक गोरखपुर का सम्बन्ध है इसके लिए हम रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हुए हैं। हमने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। आशा है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व गोरखपुर में भी सेवाएं चालू करना संभव होगा।

डा० कर्ण सिंह : इस क्षेत्र में लुम्बिनी और कुशीनगर जैसे आकर्षक और महत्वपूर्ण स्थान हैं। हम अवश्य प्रयत्न करेंगे कि कुछ हो सके। एक बार जहाज जाने शुरू हो जायेंगे तो वहां पर्यटक सुविधायें अपने आप आरंभ हो जायेंगी।

निश्चय ही एयर इन्डिया को गत वर्ष पहली बार नुकसान हुआ है। गत वर्ष इस उप-महाद्वीप में राजनैतिक गतिविधियों के कारण जितने लोगों के भारत में पर्यटन के लिए आने की आशा थी उतने नहीं आये इस कारण एयर इन्डिया को नुकसान उठाना पड़ा।

मई 1971 में बोइंग 747 विमान चला कर एयर इन्डिया ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। काफी सर्वेक्षण तथा अध्ययन के पश्चात् हमने निर्णय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतियोगिता के लिये एयर इन्डिया को अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये जम्बो-जेट विमान चलाना चाहिये।

जब नये विमान खरीदे जाते हैं तो उन पर काफी पूंजी लगानी पड़ती है। अतः इस क्रय का तात्कालिक प्रभाव प्रतिकूल ही पड़ना स्वाभाविक है। इन विमानों में प्रत्येक की कीमत २५ करोड़ रुपये है। अतः 1000 करोड़ रुपये का निवेश करना होता है तथा उस पर ब्याज आदि का भुगतान करना पड़ता है। बोइंग 707 के क्रय का ऋण एयर इन्डिया की अपनी कमाई से ब्याज सहित अदा कर दिया गया है तथा इस ऋण को भी शीघ्र ही अदा कर दिया जायेगा।

हमने चार्टर सेवा कम्पनी आरंभ की है जिसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारत के मूल निवासियों को बाहर से देश में लाने के लिए प्रयोग करना होगा तथा यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि वह लोग हमारे इन विमानों को किराये पर लेकर भारत आयें । इसे एयर इन्डिया चार्टर्स कहा जाता है ।

दूसरी कम्पनी होटल निगम है । समूचे विश्व में आज पर्यटन तथा विमानन के बीच एक अन्योन्यपोषक सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध में एक दूसरे को आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है । एयर इन्डिया स्वयं होटल व्यवसाय आरभ कर रहा है । यह सांताक्रुज तथा जुहू पर 8 करोड़ रुपये की कुल लागत से दो होटलों के निर्माण से कार्य आरंभ कर रहा है । अतः एयर इन्डिया की इन दो नई कम्पनियों ने इन गतिविधियों को अधिक सक्रिय बनाना है । भाग्य से गत वर्ष के दौरान एयर इण्डिया में श्रमिक संबन्ध अच्छे रहे हैं ।

31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में इन्डिया एयर लाइन्स को 5.22 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । इसके कई कारण हैं । बहुधा प्रबन्धक अथवा श्रमिकों पर आरोप लगाया जाता है ।

जब तक बंगला देश स्वाधीन नहीं हो गया तब तक हमारे विमान उस क्षेत्र के उपर से नहीं जा सकते थे और बिना भाड़े में वृद्धि किये हमें वायु-मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा जिससे करोड़ों रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े ।

काबुल को उड़ान बंद कर देने के कारण भी इन्डियन एयर लाइन्स को नुकसान हुआ ।

इन्डियन एयर लाइन्स को अकेले तेल के बिल के लिए एक वर्ष में 5 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है तथा मिट्टी के तेल पर वर्तमान कर से मूल्य और अधिक बढ़ गए हैं ।

विमान-अपहरण की घटना के पश्चात् हमने अपहरण न होने के लिए विमानों का बीमा करवाया, जिस पर करोड़ों रुपये अतिरिक्त खर्च हो गए ।

प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के अप्रिय सम्बन्धों के कारण मजदूरी में भी वृद्धि हुई है, यह भी घाटे का एक कारण है ।

दुर्भाग्यवश विमानन मजूरी ढांचों का देश के अन्य मजूरी ढांचों से कोई मेल नहीं है । हम विमानन उद्योग में मजूरी ढाँचे की समूची स्थिति का आधारभूत पुनर्मूल्यांकन करने में व्यस्त हैं । साधारणतः होता यह है कि एक संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं तो दूसरा संघ आन्दोलन करना आरंभ कर देता है और समझौतों की वैधता समाप्त हो जाती है ।

विमानन उद्योग अब ऐसी बातें और अधिक सहन नहीं कर सकता है । अतः इन समस्याओं का अधिक आधारभूत हल निकालने के लिए न केवल हमारा मंत्रालय अपितु श्रम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय भी व्यस्त हैं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : पहले मंत्री महोदय ने विभिन्न श्रेणियों के साथ समझौता किया । बाद में इन्जीनियरों के साथ । वह गलत प्रक्रिया थी ।

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं । समस्या यह है कि इन एयर लाइनों में बहुत से संघ हैं । इन्डियन एयर लाइन्स में सात संघ हैं तथा छह-सात संघ एयर इन्डिया में हैं । इनकी

प्रत्येक की बातचीत करने के बारे में अपनी अलग-अलग क्षमता है। उन सबके साथ एक साथ बात करना संभव नहीं है।

इन दोनों निगमों में समूचे मजूरी ढांचों की ध्यानपूर्वक जाँच करनी है।

यह कहा गया है कि पूर्वी क्षेत्र की बुरी तरह से उपेक्षा की गई है। यह कहना सही नहीं है। गौहाटी पहला हवाई अड्डा था जहां बड़े विमान आ सकते थे। इसके अतिरिक्त जो आश्वासन मैंने पहले दिया था वह सीधा कलकत्ता-गौहाटी जेट विमान आरंभ करके मैंने पूरा कर दिया है। पूर्वी क्षेत्र में, विशेष कर आसाम में, बहुत से ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां ये जेट विमान नहीं आ सकते हैं। यह कितनी हास्यास्पद बात है आज भी हम 'डी. सी. 3' एस' चला रहे हैं जो कि बहुत ही अलाभप्रद है। यदि इन्हें हटा दिया जाये तो वहां के लोग विमान-परिवहन से वंचित हो जायेंगे। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यदि वहाँ विमान सेवा न हो तो लोगों को बहुत कठिनाई होगी। हमने पूर्वी क्षेत्र में देश के शेष भागों की तुलना में भाड़े भी कम कर रखे हैं।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि इतने अधिक किरायों के बावजूद विमानन जनसाधारण की चीज कैसे हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विमान चलाने का व्यय, ईंधन, चालकों, मशीनों आदि पर व्यय के साथ-साथ किराए निर्धारित करने पड़ते हैं। यदि पूर्वी क्षेत्र में किराया बढ़ाया गया होता तो किरायों में 200 प्रतिशत नहीं तो 100 प्रतिशत वृद्धि अवश्य हो जाती। जब विमान चलाने का व्यय असहनीय हो जायेगा तो हमें किराये में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। आज गौहाटी का प्रश्न था परन्तु आसाम की ओर से कोई भी सदस्य सभा में नहीं बोला।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : आसाम की ओर से मैं बोला था।

डा० कर्ण सिंह : ठीक है आप बोले। गौहाटी के बारे में इसे इन्डियन एयर लाइन्स के लिए उप अड्डा बनाने का प्रश्न है जो विचारधीन है तथा मैं आश्वासन देता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में आवश्यकता पूरी करने के लिए जो कुछ हम कर सकेंगे, वह अवश्य करेंगे।

जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि कलकत्ता से अगरतला तक का किराया गैर-सरकारी एयर लाइन 50 रुपये अथवा 52 रुपये क्यों लेती हैं इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि मैं यह नहीं कह सकता कि ये एयर लाइनें वर्ष में 365 दिन एक ही दर पर सेवा प्रदान करती हैं। साथ ही जब उन्हें पूरी संख्या में यात्री नहीं मिलते हैं तो सेवा रद्द कर देते हैं जबकि इन्डियन एयर लाइंस में एक भी यात्री विमान में बैठा हो तो सेवा रद्द नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी कम्पनियों पर उपरि लागत कम पड़ती है जबकि हमारी उपरि लागत बहुत अधिक होती है।

जहां तक आने जाने के रियायती किराये का प्रश्न है, ऐसा तब संभव है जब ट्रैफ़िक न हो। हमारे पास बहुत अधिक ट्रैफिक है।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : कलकत्ता-कूच-बिहार लाइन के लिये विभाग कहता है कि ट्रैफिक नहीं है और जब रियायती भाड़े की बात कही जाती है तो वे कहते हैं कि बहुत ट्रैफिक है, यह कैसा विरोधाभास है।

डा० कर्ण सिंह : समूचे पूर्वी क्षेत्र में भाड़ा देश के शेष भागों से कम है। माननीय सदस्य मेरे पास आयें तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि कलकत्ता तथा कूच-बिहार के बीच लाभप्रद भाड़ा कितना है।

कुछ माननीय सदस्यों ने एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयर लाइन्स के बीच अतिव्याप्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न का उल्लेख किया है। मंत्री की हैसियत से मेरा यह दृष्टिकोण रहा है कि इण्डियन एयर लाइन्स तथा एयर इन्डिया के विमान बेड़े राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। उन सभी को इस देश की दुर्लभ मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा में कठिनाई से खर्च करने वाली मुद्रा से खरीदा गया है। अत: मैं यह नहीं चाहूंगा कि चूंकि एक बेड़ा एक निगम का है तथा एक दूसरे का इसलिए इनकी क्षमता का कम उपयोग हो। वैसे वायु सेवा में वृद्धि की समूचे देश की मांग है। कई बातों पर दोनों निगमों में समझौता नहीं होता है तो मुझे उन्हें निदेश देना पड़ता है कि वे 'वायु सेवा चालू रखें' क्योंकि उनकी असहमति से क्षमता बेकार हो जाती है।

जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्या उनके बीच कोई व्यवस्था है, मैं यह कहूंगा कि उनके बीच व्यवस्था है। उदाहरणार्थ, इन्डियन एयर लाइन्स कई अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवा प्रदान करती है यथा बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगला देश। इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं हैं क्योंकि हमें तो अपने बेड़े का अधिकतम उपयोग करना है।

श्री दंडवते ने एयर फ्रांस घटना के प्रश्न को उठाया है। मैं उनकी भावना समझता हूं कि यह अप्रिय घटना थी। यह प्रसन्नता की बात है कि एयर फ्रांस ने अनुपयुक्त क्षमायाचना की है, आशा है देश में ऐसी घटना कभी नहीं होगी।

बम्बई के खान-पान विक्रेता के बारे में बताया गया है। मेरी जानकारी यह है कि इस व्यक्ति का ठेका समाप्त कर दिया गया था। एयर इन्डिया ने बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो अल्पाहार कक्ष खोले हैं। टेप-रिकार्डरों का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के पास है। दिल्ली हवाई अड्डे पर जो रेस्तरां चलाने वाला व्यक्ति है उसके विरुद्ध शिकायतें होने पर भी वह वहाँ गत 5 वर्ष से बैठा हुआ है क्योंकि उसने याचिका पेश कर रखी है।

जहां तक हवाई-अड्डा अधिकारी के स्थानान्तरण करने का प्रश्न है, उनके विरुद्ध कई शिकायतें थीं कि हवाई अड्डा कुशलतापूर्वक नहीं चल रहा है, आदि। अतः उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की भरती के बारे में प्रतिशतता का प्रश्न है, 1-4-71 को उनका प्रतिशत 17.5 था जोकि 1 4-72 को बढ़ कर 25.5 प्रतिशत हो गया है। मैं इस बात का ध्यान रखता रहूंगा कि इन विशेष श्रेणियों को अपना उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहे।

श्री ब्रजराज सिंह-कोटा द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के बारे में अभिव्यक्त विचारों से मैं सहमत हूं कि इन भूतपूर्व सैनिकों ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमेशा राष्ट्र की सेवा की है।

जहाँ तक पटना में पर्यटक होटल खोलने सम्बन्धी किसी कार्यक्रम का प्रश्न है, हम पटना में एक शानदार स्वागत केन्द्र बना रहे हैं जिसमें थोड़ा स्थान रहने के लिए भी होगा। यदि कोई गैर-सरकारी फर्म इस कार्य को करने के लिए आगे आयेगी तो हम सहर्ष उसको यह काम सौंप देंगे।

इस समय रात्रि वायु डाक सेवा 'टरबो-परोप' इंजन वाले विमान से चलती है जो नागपुर होती हुई चार महानगरीय नगरों से गुजरती है। इंडियन एयर लाइन्स इन मार्गों पर जेट विमान चलाने की संभावना पर विचार कर रहा है ताकि अधिक यात्री मिलें। इस सम्बन्ध में कई अन्य बातों पर भी विचार किया जा रहा है।

हम विमानन तथा पर्यटन में आधुनिकता लाना चाहते हैं। विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं तथा विमानन प्रौद्योगिकी और पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि नव-भारत के निर्माण में हमारी विमानन सेवा अच्छी हो तथा समूचे भारत में वायु सेवा का जाल बिछ जाये और पर्यटन का विकास हो जाये।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The departure time of planes from Patna to Calcutta may, please, be changed. I request that the previous Time Table may again be restored. That suited us.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : If someone cancels his air journey and claims for refund a large amount is deducted. This procedure should be amended.

Dr. Karan Singh : If anybody cancels his journey at the time when the plane is about to take off, then there is loss. I think the amount of deduction should be increased.

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The cut Motions were put and negatived.

सभापति द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands in respect of Ministry of Tourism and Civil Aviation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
78	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	24,30,000
79	ऋतु विज्ञान	5,37,18,000
80	विमानन	12,97,68,000
81	पर्यटन	2,61,00,000
130	विमानन पर पूंजी परिव्यय	4,72,33,000
131	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	9,95,72,000

विदेश व्यापार मंत्रालय

सभापति महोदय : अब विदेश व्यापार मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या 32,33,34 और 116 पर सभा में चर्चा होगी।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक माननीय सदस्य 15 मिनट के अन्दर अपने नाम की परची भेजें।

विदेश व्यापार मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
32	विदेश व्यापार मंत्रालय	4,11,59,000
33	विदेश व्यापार	1,05,70,42,000
34	निर्यातोन्मुख उद्योग	6,34,19,000
116	विदेश व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,74,64,000

***श्री मनोरंजन हाजरा** (आराम बाग) : सभापति महोदय, मंत्रालय के प्रतिवेदन में अनेक परस्पर विरोधी बातें हैं। पृष्ठ 19 वें पर यह दिया गया है कि चमड़े तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात जनवरी अगस्त से 7.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 54.5 करोड़ रुपये हो गया है। परन्तु इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इकनामिक तथा कमर्शियल ग्रूप बुलेटिन में बताया गया है कि इस बार व्यापार में 930.60 लाख रुपये की कमी हुई है। इसी प्रकार हस्तशिल्प वस्तुओं के बारे में प्रतिवेदन में कुछ बताया गया है और बुलेटिन में कुछ और ही बताया गया है। मत्स्य निर्यात के बारे में इसी प्रकार का वैभिन्न्य है। तम्बाकू के बारे में इस प्रकार की विभिन्नता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़े ठीक हैं अथवा बुलेटिन में दिये गये आंकड़े ठीक हैं।

मुख्य शिकायत यह है कि माननीय मंत्री का दृष्टिकोण पुराना है और वह इसको बदल रहे हैं। परन्तु समय के अनुसार वह स्वयं को नहीं बदल सके हैं। सबसे आवश्यक बात यह थी कि निर्यात वस्तुओं के उद्योगों का समन्वय किया जाये। परन्तु ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री ने इस ओर गम्भीरता से विचार नहीं किया है।

देश में लगभग 3000 औद्योगिक कारखाने बन्द पड़े हैं। इनमें से 400 एकक पश्चिम बंगाल में हैं। इनके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि कपड़े के निर्यात में पिछले दो-तीन वर्षों से वृद्धि हो

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

रही थी । परन्तु इस वर्ष इसके निर्यात को कुछ धक्का लगा है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है ? प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि इसका कारण यह है कि देश में रुई के मूल्य बहुत अधिक हैं । इसका यह भी एक कारण हो सकता है । परन्तु यदि देश में रुई के समान मूल्य रखे जाते और सभी राज्यों को समान मूल्य पर रुई सप्लाई की जाती तो मेरे विचार में इस संकट से बचा जा सकता था । आशा है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे ।

पश्चिम बंगाल में इस समय लगभग 22 कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं । इनमें से अनेक मिलें रुई की अधिक लागत तथा मिल मालिकों के कदाचारों के कारण बन्द पड़ी हैं । मुझे आशा है कि इस समस्या को हल करने के लिए तुरन्त कोई कार्यवाही की जानी चाहिये ।

केरल सरकार ने नारियल जटा उद्योग विकास के लिए एक योजना बनाई है जिस पर 15.59 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । उन्होंने यह योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी थी जिसने इसे आगे योजना आयोग को भेज दिया । एक अध्ययन दल भी नियुक्त किया गया था । उक्त दल ने जून 1970 में यह सिफारिश की थी कि इस योजना के लिए 6.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाये । परन्तु इसकी क्रियान्विति के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं अनुरोध करूंगा कि अध्ययन दल द्वारा जितनी राशि देने की सिफारिश की गई थी उतनी राशि राज्य सरकार को दे दी जाये ।

केरल विधान सभा ने 13-4-71 को एक संकल्प पास किया था जिसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह केरल राज्य काजू विकास निगम को वित्तीय सहायता दे । केरल सरकार ने यह भी अनुरोध किया था कि उसे कम से कम 40 लाख रुपये दिये जाने चाहिएं जिससे वह 10 नए एकक खोल सके । परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है । राज्य सरकार ने विद्यमान एककों के लिए कच्चे काजू का कोटा निर्धारित करने का अनुरोध किया था । इस बारे में भी केन्द्रीय सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

क्विलोन में एक अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए योजना तैयार की गई थी । मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वह 50 प्रतिशत व्यय वहन करे । परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

गत वर्ष 4290 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ । उसमें से 2130 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया । चाय के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कलकत्ता में एक निगम की स्थापना की गई थी । परन्तु हमने देखा कि निर्देशकों में चेयरमैन का पद प्राप्त करने के लिए होड़ लग गई और इस प्रकार निगम के कार्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा । चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए गत पांच वर्षों में 4.80 करोड़ रुपये व्यय किये गये । परन्तु इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ ।

गत एक वर्ष में पटसन उद्योग ने भारी लाभ कमाया है । इस उद्योग में अनेक कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जा रही है ।

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : अभी दो घण्टे पहले विरोधी दलों के सचेतकों से बातचीत हुई थी। उसमें यह निर्णय हुआ था कि मध्याह्न भोजन के समय तथा छः बजे के पश्चात् गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। परन्तु श्री कछवाय इस बात को नहीं मान रहे हैं। मुझे आशा है कि वह इस नियम का पालन करेंगे।

श्री आर० वी० बड़े (खगोन) : मैं अभी इस बारे में अपने दल के सदस्यों को सूचित नहीं कर सका हूं। कल हमारी बैठक होने वाली है। उसमें हम इस बारे में निर्णय लेंगे।

सभापति महोदय : अब जबकि उन्होंने एक बात के बारे में समझौता कर लिया है तो उन्हें अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

श्री राज बहादुर : हम कल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, विरोधी दल के माननीय सदस्य इस बात पर भी सहमत हो गये थे कि जब भी गणपूर्ति का प्रश्न उठाया जायेगा तो विरोधी दलों के भी 15 सदस्य उपस्थित होंगे। कांग्रेस के 35 सदस्य उपस्थित होंगे।

श्री मनोरंजन हाजरा : पटसन की खेती करने वालों को यह आश्वासन दिया गया था कि एक मन पटसन के लिए उनको धान के तीन मन के समान मूल्य दिया जायेगा। परन्तु अब धान के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं। सरकार कुछ एककों को तो राज सहायता दे रही है परन्तु खेतिहरों को कोई सहायता नहीं दे रही है।

लन्दन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् शेष काफी का निर्यात करेगा। लगभग 45 प्रतिशत काफी की खपत देश में ही हो जाती है। शेष काफी का निर्यात किया जाता है। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश को विदेशी मुद्रा की बहुत कम कमाई होती है। इसका कारण यह है कि जिन देशों को हम काफी निर्यात करते हैं वे इसका आगे अन्य देशों को निर्यात कर देते हैं। आशा है कि माननीय मंत्री इस पहलू पर भी ध्यान देंगे।

कल उत्तर प्रदेश में हथकरघों के लगभग दो लाख मजदूर हड़ताल करने जा रहे हैं। इनकी दशा के बारे में सबको ज्ञान है। माननीय मंत्री को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की स्थापना की गई थी। अब ऐसा लगता है कि सरकार एक अन्य निगम स्थापित करने जा रही है क्योंकि निगम के अधिकारी सरकार के सभी निदेशों से सहमत नहीं हैं। आशा है कि माननीय मंत्री इस बारे में सभा को अवगत करायेंगे।

यूनियन कारबाइड कम्पनी बहुत अधिक धनराशि अपने देश को भेज रही है, वह इस प्रकार हमारे देश का शोषण कर रही है, आशा है कि माननीय मंत्री इस शोषण को समाप्त कराने का प्रयास करेंगे।

विदेश व्यापार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32.	41.	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात चादरों की कतरनों का सरकारी अभिकरणों के माध्यम से आयात करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	42.	श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/43/71सी.एस.(II) दिनांक 23-11-71 के अनुदेशों के अनुसार तृतीय एशियाई मेले के लिए विशेष तौर पर बनाये गये क्षेत्रीय अन्वेषकों के पदों पर विदेश व्यापार मंत्रालय के निम्न श्रेणी लिपिकों / उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	43.	श्री रामावतार शास्त्री	सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट वर्कर्स यूनियन, विदेश व्यापार मन्त्रालय शाखा से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	44.	श्री रामावतार शास्त्री	अन्वेषकों तथा क्षेत्रीय अन्वेषकों आदि के पदों के लिये विदेश व्यापार मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अपेक्षित आरक्षण देने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	45.	श्री रामावतार शास्त्री	भारत सरकार द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में नियुक्ति के लिए विदेश व्यापार मन्त्रालय के संवर्ग में सम्मिलित सभी कर्मचारियों को अवसर देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32.	46.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश व्यापार मन्त्रालय द्वारा समयोपरि भत्ते पर मनमाने ढंग से लगाई गई अधिकतम सीमा को हटाने की आवश्यकता जो कर्मचारियों की परिलब्धियों की एक-चौथाई तक सीमित कर दी गई है जबकि वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों द्वारा विहित अधिकतम सीमा एक-तिहाई है।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	47.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश व्यापार मन्त्रालय में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर आए लेखाकारों को उनके मूल कार्यालयों में वापस भेजने और इसके परिणामस्वरूप रिक्त पदों पर लेखाशास्त्र प्रशिक्षण में उत्तीर्ण विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नत करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	48.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश व्यापार मन्त्रालय में कर्मचारियों के लिए जलशीतकों की व्यवस्था करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	49.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश व्यापार मन्त्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रूम कूलरों की व्यवस्था करने में सफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	50.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश व्यापार मन्त्रालय में लेखाकारों के पदों का कार्य सम्भालने के योग्य बनाने के लिए विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों को रोकड़ और लेखा शास्त्र में प्रशिक्षण देने तथा लेखाकार के पदों पर कार्य करने वाले वर्तमान	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			व्यक्तियों को उनके मूल कार्यालयों को वापस भेजने की आवश्यकता, जिससे व्यय में बचत होगी तथा विभागीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।	
32.	51.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश व्यापार मन्त्रालय में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाने की नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता, जिसके कारण विभागीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाते हैं।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	52.	श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक विभाग के अनुदेशों के अनुसरण में विदेश व्यापार मंत्रालय के लिपिकों और तीसरी श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	53.	श्री रामावतार शास्त्री	गृह मंत्रालय के दिनांक 2-5-1970 के अनुदेश संख्या 10/3/69 सी०एस० (2) के अनुसरण में विदेश व्यापार मंत्रालय के उच्च श्रेणी लिपिकों को, कार्मिक विभाग को प्रायोजित न करके जिससे वे कहीं और लगाये जा सकें पदोन्नत करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	54.	श्री रामावतार शास्त्री	निम्न श्रेणी / उच्च श्रेणी लिपिकों को, यद्यपि वे स्थायी बनाये जाने के पात्र हैं, विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा स्थायी बनाने में पूर्ण शिथिलता से काम लिया जाना।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	55.	श्री रामावतार शास्त्री	निम्न श्रेणी / उच्च श्रेणी लिपिकों तथा सहायकों के ग्रेड में 80 प्रतिशत	राशि में से 100 रुपये घटा दिये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			पदों को स्थायी बनाने में असफलता, जैसा कि भारत सरकार के आदेशों के अधीन अपेक्षित है ।	जायें ।
32.	56.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश व्यापार मंत्रालय में कार्यालय परिषद स्थापित करने में असफलता, जैसा कि कार्मिक विभाग के दिनांक 28-12-71 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/18/71-जे० सी० ए०, के अनुसार अपेक्षित है ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
32.	57.	श्री रामावतार शास्त्री	अन्वेषकों आदि के पदों के लिए भर्ती के नियमों में संशोधन करने में असफलता, जिसका निदेश भारत सरकार ने कार्मिक विभाग के दिनांक 23-11-1971 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/43/71-सी० एस० (2) के अन्तर्गत दिया है ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
32.	58.	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता शीघ्र देने की नीति अपनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
32.	59.	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों को क्रमबद्ध ढंग से रखने में शिथिलता व उपेक्षा ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
32.	60.	श्री रामावतार शास्त्री	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ठीक समय पर और नियमित रूप से वर्दियां सप्लाई करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
32	61.	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रालय में अनेक वर्षों से कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32.	62.	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रालय में दैनिक वेतन पर रखे जाने वाले निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यथोचित पदों का आरक्षण करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	63.	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रालय में दैनिक वेतन पर रखे जाने वाले संदेश वाहकों और पानी पिलाने वालों के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण देने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
33.	21.	श्री डी० के० पंडा	अफ्रीकी-एशियाई देशों में उद्यमों को स्थापित करके औपनिवेशिक शोषण करने के लिये टाटा और बिड़ला जैसे बड़े एकाधिकारियों को लाइसेंस देना बन्द करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
33.	21.	श्री डी० के० पंडा	समाजवादी देशों के साथ लाभदायक व्यापार की सम्भावनाओं का पूरा पता लगाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
33.	22.	श्री डी० के० पंडा	1930 में चाय और कहवा उद्योग में ब्रिटिश और अमरीकी कम्पनियों के साथ किये गये व्यापार समझौतों में भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संशोधन करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
33.	23.	श्री डी० के० पंडा	1930 में ब्रिटिश और अमरीकी कम्पनियों के साथ चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में किये गये व्यापार समझौतों में, भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप, संशोधन करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
33.	24.	श्री डी० के० पंडा	ऐसे सभी संयुक्त उद्यमों सम्बन्धी व्यापार समझौतों में, जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है, संशोधन करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	9.	श्री सी० के० चन्द्रापन	परम्परागत उद्योगों को स्थायी बनाने के लिए धन का आवंटन करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	10.	श्री सी० के० चन्द्रापन	भारतीय एकाधिकार-गृहों को विदेशों में पूंजी लगाने की अनुमति दी जाना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	11.	श्री सी० के० चन्द्रापन	राजकीय व्यापार निगम द्वारा कच्चे काजू का वितरण।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	12.	श्री सी० के० चन्द्रापन	नारियल जटा बोर्ड को एक विदेशी प्राइवेट विज्ञापन फर्म को अपने विज्ञापन देने से रोकने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	13.	श्री सी० के० चन्द्रापन	नारियल जटा बोर्ड के लिए एक गैर-सरकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	14.	श्री सी० के० चन्द्रापन	नारियल जटा उत्पादों के उन निर्यातकों को, जो निर्माता नहीं हैं, लाइसेंस देना बन्द करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	15.	श्री सी० के० चन्द्रापन	राजकीय व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा उन विदेशी कारों का जो बिक्री के लिए हैं, प्रयोग रोकने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	16.	श्री सी० के० चन्द्रापन	विदेशी कम्पनियों के चाय बागानों का पुनः रोपण कराना।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32.	17.	श्री सी० के० चन्द्रापन	नारियल का आयात रोकने में असफलता, जब कि भारत में नारियल का मूल्य घट रहा है।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	18.	श्री सी० के० चन्द्रापन	बनावटी रबड़ का आयात रोकने में असफलता जबकि हमारे पास प्राकृतिक रबड़ की बिक्री के लिए पर्याप्त बाजार नहीं हैं।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	19.	श्री सी० के० चन्द्रापन	कहवा के छोटे उत्पादकों के साथ सम्बन्ध सुधारने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	20.	श्री सी० के० चन्द्रापन	काजू का चोरी-छिपे किया जाने वाला परिष्करण, जिसके कारण व्यवस्थित उद्योग को हानि होती है।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
32.	25.	श्री सी० के० चन्द्रापन	हथकरघा उद्योग को स्थायी बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	26.	श्री सी० के० चन्द्रापन	नारियल जटा और काजू उत्पादों के निर्यात के लिए नये बाजार खोजने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	27.	श्री सी० के० चन्द्रापन	विदेशी मांग को पूरा करने के लिए हीरे तराशने का एक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	28.	श्री सी० के० चन्द्रापन	विदेशी कम्पनियों के चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	29.	श्री सी० के० चन्द्रापन	विदेशी कम्पनियों के चाय बागानों में, जिनकी विदेशी मालिकों द्वारा जानबूझ कर उपेक्षा की जाती है, पुन: रोपण कराने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32.	30.	श्री सी० के० चन्द्रापन	रबड़ के लिए भारत में तथा विदेशों में बाजार खोजने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	31.	श्री सी० के० चन्द्रापन	नारियल जटा उद्योग के स्थायीकरण के लिए केरल सरकार के अनुरोध पर 1.5 करोड़ रुपये का आसान किस्तों पर ऋण तुरन्त देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	32.	श्री सी० के० चन्द्रापन	केरल काजू निगम के स्थायीकरण के लिए और प्राइवेट उद्योगपतियों द्वारा उद्योग को शोषण से बचाने के लिए उसे वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	33.	श्री सी० के० चन्द्रापन	कन्नानौर (केरल) में एक हथकरघा मरम्मत केन्द्र की तुरन्त स्थापना करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	34.	श्री सी० के० चन्द्रापन	कन्नानौर (केरल) में एक हथकरघा डिजाइन केन्द्र की तुरन्त स्थापना करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	35.	श्री सी० के० चन्द्रापन	हथकरघा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	36.	श्री सी० के० चन्द्रापन	हथकरघा उत्पादों के लिए विदेशी बाजार खोजने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	37.	श्री सी० के० चन्द्रापन	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32.	38.	श्री सी० के० चन्द्रापन	राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अलगप्पा कपड़ा मिल को अपने नियंत्रण में लेने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	39.	श्री सी० के० चन्द्रापन	राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किया गया कार्य।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	40.	श्री सी० के० चन्द्रापन	राजकीय व्यापार निगम की अनेक असफलताएं।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
32.	41.	श्री सी० के० चन्द्रापन	गुण-प्रकार नियंत्रण सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन कराने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
33.	64.	श्री मनोरंजन हाजरा	विदेशों में औद्योगिक मेलों में भाग लेने के लिए मन्त्रणा समिति के परामर्श से विशेष दल गठित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
34.	65.	श्री मनोरंजन हाजरा	पश्चिम बंगाल में हथकरघा उद्योग का पुनर्गठन करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
34.	66.	श्री मनोरंजन हाजरा	पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
34.	67.	श्री मनोरंजन हाजरा	नारियल जटा उद्योग का वैज्ञानिक आधार पर गठन करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
34.	68.	श्री मनोरंजन हाजरा	सामुद्रिक उत्पादों से होने वाले लाभ को विदेशों में भेजे जाने से रोकने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
34.	69.	श्री मनोरंजन हाजरा	देश में बन्द पड़े और संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
116.	70.	श्री मनोरंजन हाजरा	देशी अथवा विदेशी अन्य कच्चे माल तथा रुई के मूल्यों में समानता लाने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
116.	71.	श्री मनोरंजन हाजरा	उपयुक्त स्थानों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

श्री एम० सुदर्शनम (नरसारावपेट) : माननीय मंत्री ने देश की विदेश व्यापार नीति को नया रूप देने के लिए जो प्रयास किये हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं । रूस ने अलौह धातु तथा अखबारी कागज जैसी वस्तुओं की सप्लाई में जो उदारता दिखाई है उससे आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में हमारी योग्यता प्रदर्शित होती है । इन वस्तुओं के लिए हम पहले अमरीका पर निर्भर थे ।

मंत्रालय ने उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने में भी शानदार कार्य किया है । इस वर्ष आंध्र वर्ष में तम्बाकू का मूल्य कम होना शुभ हो गया था । राज्य व्यापार निगम ने उसी समय तम्बाकू खरीदकर मूल्यों को और अधिक गिरने से रोका । इस प्रकार कपास निगम ने कपास उगाने वाले क्षेत्रों में अनेक शाखाएं खोली हैं और मूल्यों को गिरने से रोका है । यह ठीक है कि पटसन निगम ने परिवहन बाधाओं के कारण पर्याप्त कार्य नहीं किया है, परन्तु वहां पर कोई प्रशिक्षित अधिकारी भी नहीं है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्व बाजार में इन वस्तुओं की खपत हो सकती है उनके उत्पादन वाले क्षेत्रों को चुनकर उनमें उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिएं । दूसरे इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए । इस बारे में एक विवरण सभा-पटल पर भी रखा जाना चाहिए कि निर्यात नीति संकल्प में निहित विचारों की क्रियान्विति के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं ।

यदि हम दृढ़ता से बातचीत करेंगे तभी विकसित देश अपने रवैये में परिवर्तन करेंगे । इस उद्देश्य हेतु हमें समुद्र में अत्यधिक माल भाड़े की समस्या को हल करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

निर्यात में प्रतिकरात्मक समर्थन दिये जाने तथा आयात प्रतिपूर्ति दिये जाने में विलम्ब की समस्याओं को आपातिक आधारों पर हल किया जाना चाहिए । राष्ट्रीयकृत बैंकों को नकद सहायता दिये जाने के लिए कहा जा सकता है ।

मैं निर्यात संवर्धन के मामले में संगठनात्मक व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जा रही है, अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री एम० सुदर्शनम : प्राक्कलन समिति के 14वें प्रतिवेदन में बड़े मूल्यवान सुझाव दिये गये हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा अब कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 12 मई, 1972/22 वैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 12th May, 1972/Vaisakha 22, 1894 (Saka)

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32, 11-5-72/490